Friday, 14 April, 1972

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

Preservation Unit 18-8-92
Fumigated On 15-2-84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 13 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XIII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 24, शुक्रवार, 14 अप्रैल, 1972/25 चैत्र,, 1894 (शक)

No. 24, Friday, April 14, 1972/Chaitra 25, 1894 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
401. कानपुर में विशेष मिश्र इस्पात संयंत्र का स्थापित किया जाना	Setting up of Special Alloy Steel Plant at Kanpur	1
405. भुवनेश्वर और नई दिल्ली के बीच सीधी विमान सेवा	Direct Air Service between Bhubaneshwar and New Delhi	2
407. गुजरात के कोयाली तेलशोधक कारखाने का विस्तार	Expansion of Koyali Refinery in Gujarat..	4
409. पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की सप्लाई	Shipment of US Arms to Pakistan	6
410. विदेशी सेनाध्यक्षों की भारत यात्रा	Visits by Foreign Army Chiefs	7
411. ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Kerosene Oil in Rural Areas..	9
412. चीन द्वारा परमाणु बम का विस्फोट	Explosion of Hydrogen Bomb by China ..	12
413. हिमालय की सीमा के साथ-साथ चीनी सेना का तैनात किया जाना	Deployment of Chinese Army along Himalayan Border	15
415. भारत में तेल के कुएं खोदने के लिए विदेशी कम्पनियों के साथ करार	Agreements with Foreign Companies for drilling of wells for oil in India ..	16
416. विकास योजनाओं के लिए पी० एल० 480 की धनराशि का उपयोग	Use of PL. 480 funds for Development Schemes ..	17
अल्प-सूचना प्रश्न/SHORT NOTICE QUESTION		
2. सीमा शुल्क विभाग, नई दिल्ली, के गोदाम में आग	Fire in godown of the Customs Department, New Delhi ..	19

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

402. मिग-21 विमान की सुधारी हुई किस्म का उत्पादन	Production of Improved kind of MIG-21 Aircraft ..	20
403. युद्ध विधवाओं को रोजगार देना	Employment to War Widows	20
404. पाकिस्तान में भारतीय युद्ध बन्दियों की पूरी सूची का पाकिस्तान सरकार द्वारा न दिया जाना	Non-supply by Pakistan Government of complete List of Indian POW's in Pakistan	21
406. शालीमार बाग श्रीनगर (काश्मीर) में ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शन करने का प्रस्ताव	Proposal for Mounting of Son-Et-Lumiere in Shalimar Garden, Srinagar (Kashmir)	21
408. विदेशी कम्पनियों द्वारा अपने देशों को धन भेजा जाना	Repatriation of Funds by Foreign Companies ..	22
414. सेवा मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सिविल सेवाओं में प्राथमिकता	Preference in Civil Services to Released Emergency Commissioned Officers ..	22
417. लघु औषध निर्माण एककों की कठिनाइयों का पता लगाने के लिए गठित अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Report of the Study Group set up to assess the difficulties of Small Scale Drug Manufacturing Units	24
418. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैनिक अकादमी में प्रवेश पाने वालों की संख्या में कमी	Decline in number of entrants to NDA and IMA ..	24
419. अनाज, सीमेन्ट, चीनी और मोटे कपड़े के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Wholesale Trade of Foodgrains, Cement, Sugar and Coarse Cloth ..	25
420. कनाडा से वित्तीय सहायता	Financial Assistance from Canada	25

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

2780. बिहार में उत्पादन शुल्क की बकाया राशि	Arrears of Excise duty in Bihar ..	25
2781. बिहार में आय कर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax in Bihar ..	26

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

2782. बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा इंजीनियरिंग और चिकित्सा स्नातकों को मंजूर किये गये ऋण	Loans sanctioned to Engineering and Medical Graduates by Nationalised Banks in Bihar	27
2783. बिहार में आय कर की बकाया राशि	Arrears in Income tax in Bihar ..	27
2784. भारत में तेल शोधक कारखाने	Number of Oil Refineries in India	27
2785. अधिकांश विदेशी पूंजी वाली औद्योगिक कम्पनियों के सम्बन्ध में नीति	Policy regarding Foreign Majority Industrial Concerns ..	28
2786. अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को मुआवजा संबंधी 1929 का वारसा कनवेंशन	Warsaw Convention of 1929 on Compensation to International Passengers	29
2787. कम्पम विमान दुर्घटना में हताहतों को मुआवजा	Compensation to Victims of Kampam Air Crash ..	29
2788. केरल के तट पर तस्करी	Smuggling on Kerala Coast ..	31
2789. गैर-सरकारी क्षेत्र में कोयला खानों के विकास के लिए विश्व बैंक से ऋण	World Bank Loan for Development of Coal Mines in Private Sector	31
2790. तमिलनाडु में अकाल राहत कार्यों के लिए वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Famine Relief Works in Tamil Nadu ..	32
2791. भारत और पाकिस्तान में पदवार और सैक्टरवार युद्धबन्दियों की संख्या	Number of POWs in India and Pakistan Rank-wise and Sector-wise ..	32
2792. मारे गये, घायल हुए और लापता सैनिकों की पदवार और सेक्टर वार संख्या	Number of Defence Personnel killed wounded and missing, Rank-wise and Sector-wise ..	34
2793. युद्ध में अपंग हुए सैनिकों के लिए रोजगार	Employment to Defence Personnel disabled during War ..	35
2795. बंगला देश के शरणार्थियों के लिये सहायता	Aid for Bangla Desh Refugees ..	35
2796. भारत में बन्दी बनाये गये पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों द्वारा भागने का प्रयास	Escape bid by POWs in India ..	35

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2797. आयकर अधिकारियों द्वारा दिल्ली में मारा गया छापा	Raid by Income tax Officials in Delhi	36
2799. सरकारी उपक्रमों में संसद् सदस्यों का प्रतिनिधित्व	Representation of M. Ps. in Public Undertakings	36
2800. भारतीय औषध उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिए कार्यवाही	Steps to Modernise Indian Drug Industry	37
2802. उद्योगों द्वारा राजनीतिक दलों को दिया गया चन्दा	Donations by Industries to Political Parties	37
2803. बड़ौदा में नैफ्था क्रैकर की "डाउन स्ट्रीम" परियोजनाओं की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना	Planning and Implementation of "Down Stream" Projects of Naphtha cracker in Baroda	37
2804. पाकिस्तान में भारतीय युद्ध बंदियों की राज्यवार संख्या	State-wise Data of Indian POWs in Pakistan	38
2805. गुम हुये सैनिकों की राज्यवार संख्या	State-wise Data of Missing Armed Personnel ..	39
2808. अमरीकी सहायता प्राप्त करने के लिये करार	Agreement for Aid from USA ..	39
2809. बंगला देश के लिये उर्वरक कारखाने का निर्माण	Construction of a Fertilizer Plant for Bangla Desh	39
2810. सहायकों और आशुलिपिकों को एफ० आर० 22 सी के लाभ	Benefit of FR-22C to Assistants and Stenogrophers	39
2811. आयुध कारखानों में काम कर रहे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता	Percentage of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Employees in Ordinance Factories	40
2812. इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड से एक अमरीकी पार्टी द्वारा सर्जरी के औजारों की खरीद	Purchase of Surgical Instruments from Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd., by an American Party	40
2813. पेंशनभोगियों के संगठन की एक पेंशन आयोग नियुक्त करने की मांग	Demand made by Pensioners' Organisation regarding Appointment of a Pension Commission ..	41

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2814. कल्याण (बम्बई) में एक मकान से गोला बारुद का पकड़ा जाना	Ammunition seized from a House—Kalyan, (Bombay) ..	41
2815. भारतीय जीवन बीमा निगम, कटक द्वारा दैनिक वेतन पर रखे गये अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति	S. C. and S. T. employed on Daily Wages in LIC India, Cuttack ..	42
2816. कराधान और राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर	Rate of Increase in Taxation and National Income ..	42
2817. विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर का प्रशिक्षण	NCC Training for University Students ..	43
2818. अमरीकी सहायता में कमी	Decline in US Aid	43
2819. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को दिये गये ऋण	Loans advanced by Nationalised Banks to Farmers in Rural Areas ..	43
2820. पेट्रोल में मिट्टी के तेल की मिलावट करना	Adulteration of Petrol with Kerosene Oil ..	44
2821. ग्लोब मोटर्स कम्पनी, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त किये गये डिपाजिट्स	Deposits received by Globe Motor Company, New Delhi ..	44
2822. अमर जवान ज्योति	Amar Jawan Jyoti	45
2823. केरल में कार्य कर रहे राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं	Branches of Nationalised Banks Functioning in Kerala	45
2824. युद्ध के घायल और अपंग हुए सैनिक	Defence Personnel Wounded and Disabled during War ..	46
2825. कोचीन उर्वरक परियोजना के द्वितीय चरण के लिए विश्व बैंक से सहायता	World Bank Assistance for the Second Phase of Cochin Fertilizer Project	46
2826. भारतीय बख्तरबन्द गाड़ियों के निर्यात की क्षमता	Export Potential for Indian Armour	46
2827. अमरीका द्वारा हिन्द महासागर में पनडुब्बी विध्वंसक अभ्यास	Anti-Submarine Exercise in Indian Ocean by USA	47
2828. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा देश के तेल संसाधनों का सर्वेक्षण	Survey of Country's Oil Resources by ONGC ..	47

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2830. थोक व्यापारियों को संस्थाओं से ऋण	Institutional Credit Advanced to Wholesale Traders ..	48
2831. उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में बदरमा में शिविर स्थलों का बनाया जाना	Establishment of Camping Sites at Badarma in District Sambalpur (Orissa)	49
2832. 1972-73 का सामान्य बजट पेश किये जाने के बाद मुल्यों में हुई वृद्धि	Rise in Prices after presentation of General Budget for 1972-73 ..	49
2833. वर्तमान सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों को खेती योग्य भूमि आवंटित करने सम्बन्धी योजना	Scheme for Allotment of Cultivable Land to Servicemen and Ex-Servicemen ..	49
2834. सीमित यातायात वाले क्षेत्रों में इंडियन एयारलाइन्स की सेवा	Indian Airlines Service to areas with Limited Access	50
2835. जबलपुर में विमान सेवा चालू करने का प्रस्ताव	Proposal to bring Jabalpur on the Air Map	50
2836. इंडियन एयरलाइंस के इंजीनियरों द्वारा "धीरे काम करो" आन्दोलन आरम्भ किया जाना	Go Slow Agitation started by the Engineers of Indian Airlines ..	50
2837. पेट्रोकेमिकल उद्योग समूह की स्थापना के लिए स्थान चयन करने सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश	Recommendations of the Expert Committee for Selection of site for setting up of a Petro-Chemical Complex ..	51
2838. नगरों का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgradation of Cities ..	51
2839. राजस्थान पर ऋण की बकाया राशि	Outstanding Amount of Loan against Rajasthan	52
2840. राजस्थान में उद्योगपतियों पर बकाया आयकर	Income tax Outstanding against Industrialists in Rajasthan ..	52
2841. सशस्त्र सेनाओं के अधीन पुनर्वास निदेशालय की स्थापना	Creation of Rehabilitation Directorate under Armed Forces ..	53
2842. लखनऊ में शहीद गृह योजना	Martyr's Home Scheme in Lucknow	53
2843. वाराणसी में पर्यटकों के लिए सुविधाएं	Facilities for Tourists at Varanasi ..	55

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

2844.	भारतीय उर्वरक निगम की उद्यम विकास योजना के अधीन तमिलनाडु के प्रशिक्षित उम्मीदवार	Candidates from Tamil Nadu Trained under the Entrepreneurship Development Scheme of Fertilizer Corporation of India ..	55
2845.	अकाल सहायता कार्य के लिए केरल को दी गई वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Kerala for Famine Relief Works ..	55
2846.	रक्षा और गृह मंत्रालयों की सैनिक स्कूल छात्रवृत्ति योजनाओं में एकरूपता लाना	Uniformity in Sainik School Scholarship Schemes of Defence and Home Ministries ..	56
2847.	मजगांव डाक लिमिटेड को फ्रिगेट के लिये आर्डर	Orders for Frigates with Mazagon Dock Ltd. ..	56
2848.	इछापुर राइफल फैक्ट्री के अधिकारियों द्वारा पिस्तौलों की खरीद	Purchase of Pistols by Officers of Ichhapore Rifle Factory ..	56
2849.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बड़े, मध्यम और लघु उद्योगों को दिये गये ऋण	Advance made by Scheduled Commercial banks to Large, Medium, and Small Scale Industries ..	57
2850.	अनुसूचित बैंकों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को दिये गये ऋण	Advances by Scheduled Commercial Banks to Industrial Sector ..	58
2851.	बड़ौदा में अनुसन्धान और विकास के लिए भारतीय पेट्रोकेमिकल्स निगम द्वारा दी गई सुविधायें	Fecilities Provided by Indian Petro-Chemicals Corporation for Research and Development at Baroda ..	59
2852.	पी० वी० सी० और पोलीथिलीन की मांग को पूरा करने के लिए स्थापित किये गये कारखाने	Units set up to meet the output of PVC and Polyethylene ..	60
2853.	सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित स्थानों का आरक्षण समाप्त करना	De-Reservation of Posts meant for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Public Undertakings ..	60
2854.	गत युद्ध में खाली कराये गये सीमावर्ती गांवों की संख्या	Number of Border Villages got vacated during the War ..	60
2855.	कम्पनियों को लाइसेंस देना	Issue of Licences to Companies ..	61
2856.	आयकर की बकाया राशि को बट्टे खाते डाला जाना	Write off of Arrears of Income-Tax ..	61

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2857. कोचीन में एक नये पर्यटक केन्द्र का विकास	Development of a New Tourist Centre at Cochin ..	62
2858. भारत का सरकारी ऋण	Public Debt of Iddia	62
2859. सरकारी उपक्रमों के लिए योजना निवेश बोर्ड	Plan Investment Board for Public Undertakings ..	63
2860. आसाम में सहायक वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना	Establishment of Subsidiary Commercial Banks in Assam ..	63
2861. रिजर्व बैंक आफ इन्डिया के गवर्नर द्वारा व्यक्त किये गये विचार	Views expressed by Governor, Reserve Bank of India	63
2862. मध्य प्रदेश में विमान सेवाओ का प्रसार	Expansion of Air Services in Madhya Pradesh	64
2863. देश में औषध कम्पनियों में लगी विदेशी पूंजी	Foreign Capital Invested in Pharmaceutical Companies in the Country ..	64
2864. आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax	64
2865. भारत के विदेशी मुद्रा रिजर्व में गिरावट	Depletion of India's Foreign Exchange Reserves	65
2866. राष्ट्रीय वेतन आयोग की नियुक्ति	Setting up of a National Pay Commission ..	65
2867. महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व के कार्यालय द्वारा भारतीय सांख्यिकी सेवा के तदर्थ पदोन्नत अधिकारियों के लिये वेतन स्लिपें जारी करने के लिये समान प्रक्रिया	Uniform Procedure for issuing Pay Slips to Ad hoc Promotees of Indian Statistical Service by AGCR	65
2868. प्रत्यक्ष कर जांच समिति का प्रतिवेदन	Direct Taxes Enquiry Committee Report..	66
2870. बुरहानपुर, मध्य प्रदेश के छोटे व्यापारियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	Loans Advanced by Nationalised Banks to Small Traders of Burhanpur, Madhya Pradesh ..	66
2871. मध्य प्रदेश द्वारा ऋण का भुगतान न किया जाना	Non-Payment of loans by Madhya Pradesh	67
2872. मध्य प्रदेश में व्यक्तियों तथा कम्पनियों की और आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income tax against Individuals and Companies in Madhya Pradesh ..	67

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2873. मध्य प्रदेश में नाइलोन टेक्सटाइल फिलामेंट यार्न एककों की स्थापना के लिए आवेदन पत्र	Applications for setting up Nylon Textile Filament Yarn Unit in Madhya Pradesh ..	67
2874. आगरतला में सेना तथा त्रिपुरा पुलिस के कर्मचारियों के बीच मुठभेड़	Clash between Army and Tripura Police Personnel at Agartala ..	68
2875. सौराष्ट्र में ओखा कांडला में पाइपलाइन का बिछाना	Setting up of Pipeline at Okha Kandla in Saurashtra ..	68
2876. आर्थिक पैनल का गठन	Forming of an Economic Panel ..	69
2877. शोधित पेट्रोलियम उत्पादों का आयात	Import of finished Petroleum Products ..	69
2878. पाकिस्तान में भारतीय युद्धबंदियों के साथ अमानवीय व्यवहार के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति का प्रतिवेदन	Report of ICRD on inhuman treatment of P.O.W.'s in Pakistan ..	70
2879. गुजरात के पैट्रो-रसायन उद्योग समूह के डाउनस्ट्रीम यूनिट	Downstream units of the Petro-Chemical Complex in Gujarat ..	70
2880. कच्छ में तेल की खोज के लिए खुदाई कार्य	Drilling for Oil in Kutch ..	70
2881. एयर इंडिया की चार्टर सेवा के लिए ब्रिटेन और भारत के बीच सीटों की बुकिंग का बन्द किया जाना	Supension of booking of Seats on Air India Charter Services between U. K. and India ..	71
2882. त्रिपुरा में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों के रहने के लिये क्वार्टर	Residential quarters for ONGC Staff in Tripura	71
2883. भारतीय उर्वरक निगम के प्रबन्ध निदेशक और उत्पादन तथा विपणन निदेशक के विरुद्ध केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जाँच	CBI enquiry against Managing Director, Director Production and Marketing of Fertiliser Corporation of India ..	71
2884. भारत में विदेशी फर्मों के विस्तार के बारे में नीति पर पुनर्विचार	Reconsideration of Policy regarding expansion of Foreign Firms in India ..	72
2885. नेफा में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास	Rehabilitation of Ex-Servicemen in NEFA ..	72

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2886. विदेशी सहायता में कमी	Gap in Foreign Aid	73
2887. भारतीय उर्वरक निगम के पुनर्गठन के संबंध में रामकृष्णय्या समिति की सिफारिशें	Recommendations of Ramkrishnayya Committee on Re-organisation of Fertilizer Corporation of India	73
2888. भारतीय उर्वरक निगम के निदेशक मंडल में प्रतिनिधित्व	Representation on the Board of Directors of the Fertilizer Corporation of India ..	74
2889. व्यास सतलेज लिंक प्रोजेक्ट में कार्य कर रहे डाक कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता	House-Rent Allowance to Postal Employees working in Beas-Sutlej Link Project ..	75
2890. उत्तर प्रदेश में खुदरा व्यापारियों तथा स्वनियोजित व्यक्तियों के लिये ऋण सुविधाओं की व्यवस्था	Credit Facilities provided for Retail traders and Self Employed Persons in U. P. ..	75
2891. पैट्रो-रसायन परियोजनाओं का प्रबन्ध करने के लिए नई नियंत्रक कम्पनी का गठन	Formation of a New Holding Company to manage Petro-chemical Projects ..	76
2892. जीवन बीमा निगम के अधिकारियों द्वारा आन्दोलन	Agitation by Officers of LIC ..	76
2893. फ्लाइंग क्लबों तथा नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षित विमान चालक	Pilots trained in Flying Clubs and Civil Aviation Training Centres ..	76
2894. केरल के पर्यटन केन्द्रों में होस्टलों का निर्माण करने सम्बन्धी प्रस्ताव	Proposal to construct Hostels at Tourist Centres in Kerala ..	77
2895. त्रावनकोर कोचीन केमिकल्स लि० उद्योगमण्डल (केरल) के कास्टिक-क्लोरीन संयंत्र का विस्तार	Expansion of Caustic-Chlorine Plant of Travancore-Cochin Chemicals Ltd. Udyogamandal (Kerala) ..	78
2896. केरल में मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Kerosene Oil in Kerala	78
2897. नई दिल्ली के अशोक होटल में घूमती छत वाले एक रेस्टोरेंट के निर्माण करने के बारे में निर्णय	Decision on Construction of a Restaurant with a Revolving Tower in Ashoka Hotel, New Delhi ..	78
2898. सामान्य बीमा कम्पनियों के अधिकारियों की परिलब्धियां	Perquisites of Officers of General Insurance Companies	79

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2899. अन्य बीमा कम्पनियों के अभिरक्षकों के रूप में कार्य कर रहे सामान्य बीमा कम्पनियों में महा-प्रबन्धक	General Managers of General Insurance Companies working as Custodians of other Insurance Companies ..	79
2900. भारत-पाक युद्ध के पश्चात् चीन द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई	Supply of Chinese Arms to Pakistan After Indo Pak War ..	80
2901. हिमाचल प्रदेश में बागबानी और कृषि-योग्य भूमि पर धन कर से छूट	Exemption from Wealth Tax on Horticultural and Agricultural Lands in Himachal Pradesh	80
2902. आय कर विधियों में संशोधन	Revision of Income tax Laws	80
2903. पैट्रोलियम उत्पादों के आयात में हुई हानि	Loss in Imports of Petroleum Products ..	81
2904. मैसर्स मोलिंस इण्डिया लिमिटेड	M/s Molins India Ltd.	81
2905. उड़ीसा के चिल्का झील के विकास के लिये प्रस्ताव	Proposal for Development of Chilka Lake in Orissa ..	82
2906. राष्ट्रीयकृत बैंकों में आसाम राज्य से जमा की गई राशि	Deposits from Assam in the Nationalised Banks ..	82
2907. एशियन केबलस कारपोरेशन के लेखापरीक्षक की नियुक्ति	Appointment of Auditor of Asian Cables Corporation	83
2908. मैसर्स स्मिथ स्टेनस्ट्रीट एण्ड कम्पनी के लिये लेखापरीक्षक की पुनः नियुक्ति	Reappointment of Auditor for M/s Smith Stanstreet and Co. ..	83
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	83
देश के कुछ भागों में सूखे और अकाल की गंभीर स्थिति का समाचार	Reported drought and famine conditions in certain parts of the country ..	83
श्री फूल चन्द वर्मा	Shri Phool Chand Verma ..	84
श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde	85—86
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattachary ..	87
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanti	88
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	90
राज्य सभा से प्राप्त सन्देश	Messages from Rajya Sabha ..	92

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
वास्तुविद् विधेयक—राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में	Architects Bill—As passed by Rajya Sabha	
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills ..	92
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of Absenee from the Sitting of the House	92
राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान एक सदस्य के आचरण संबंधी समिति	Committee on Conduct of a Member During President's Address	92
दूसरा प्रतिवेदन	Second Report	93
नियम 377 के अधीन मामला	Matter Under Rule 377	93
बोनस के प्रश्न पर कानपुर में कपड़ा श्रमिकों की हड़ताल	Strike by textile workers in Kanpur on the bonus issue ..	93
अनुदानों की मांगें, 1972-73	Demands for Grants, 1972-73 ..	93
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	Department of Science and Technology ..	94
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	94
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	94—95
श्री वी० एन० पी० सिंह	Shri V. N. P. Singh	95
श्री सी० सुब्रह्मण्यम्	Shri C. Subrahmaniam	96
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्	Shri K. P. Unnikrishan	99
संचार मंत्रालय	Ministry of Communications	100
श्री मनोरंजन हाजरा	Shri Manoranjan Hazra	101
श्री राम भगत पस्वान	Shri Ram Bhagat Paswan	102
पुरःस्थापित किये गये विधेयक	Bills, Introduced	
(1) श्री पन्नालाल बारूपाल का संसद् सदस्यों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक (धारा 4 का संशोधन और धारा 8 का प्रतिस्थापन)	Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill (Amndt. of Sec. 4 and Substitution of Sec. 8) by Shri Panna Lal Barupal ..	113
(2) श्री प्रसन्नभाई मेहता का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 370 का लोप)	Constitution (Amendment) Bill (Omission of article 370 by Shri P. M. Mehta) ..	113
(3) श्री प्रसन्नभाई मेहता का अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षक योजना विधेयक,	Compulsory Military Training Scheme Bill by Shri P. M. Mehta	114

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्रीमती सुभद्रा जोशी का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) –विधेयक (धारा 153 का प्रतिस्थापन)/वापस लिया गया	Indian Penal Code (Amendment) Bill—(Substitution of Section 153 A) by Shrimati Subhadra Joshi—Withdrawn	114
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh ..	114
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha ..	115
श्री सैयद अहमद आगा	Shri Syed Ahmed Aga ..	115
श्री आर० पी० उलगनम्बी	Shri R. P. Ulaganambi ..	116
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan ..	116
श्री राम सहाय पाण्डेय	Shri R. S. Pandey ..	117
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	117
श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय	Shri Krishna Chandra Pandey	118
श्री पी० वैंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	118
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	118
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	119
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ramgopal Reddy	119
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin	120
श्रीमती सुभद्रा जोशी	Smt. Subhadra Joshi	120
श्री एस० सी० सामन्त का चलचित्र उद्योग कर्मकार विधेयक	Film Industry Workers Bill by Shri S. C. Samanta	121
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	
श्री राम सहाय पांडे	Shri R. S. Pandey ..	121—122
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukhrjee	123
श्री सुबोध हंसदा	Shri Subodh Hansda ..	123—124
श्री मनोरंजन हाजरा	Shri Manoranjan Hazra	125
श्री बी० के० दासचौधरी	Shri B. K. Daschowdhury ..	122—125
श्री जे० एम० गौडर	Shri J. M. Gowder	126

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 14 अप्रैल, 1972/25 चैत्र, 1894 (शक)

Friday, April 14, 1972/Chaitra 25, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बज कर दो मिनट पर समवेत हुई

The Lok Sabha met at Two minutes past Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कानपुर में विशेष मिश्र इस्पात संयंत्र का स्थापित किया जाना

*401. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित विशेष मिश्र इस्पात संयंत्र कानपुर में स्थापित कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस कारखाने में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्पादन आरम्भ हो जायेगा?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) सरकार ने नवम्बर, 1971 में परियोजना की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है ।

(ग) परियोजना को कार्यान्वित होने में लगभग 5 से 6 वर्ष तक लगेंगे ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय इस बात के प्रति सजग हैं कि देश परम्परागत प्रचलित तथा आधुनिक हथियारों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की ओर बढ़ रहा है और ऐसे हथियारों के लिये विशेष मिश्रित इस्पात आवश्यक वस्तुओं में से एक है । इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विदेशी मुद्रा की कठिनाई की समस्या सुलझा ली गई है और क्या चौथी योजना के दौरान कानपुर में इस परियोजना के स्थापित हो जाने की आशा है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयां सुलझा ली गयी हैं तथा परियोजना को कार्यरूप देने के लिये स्वीकृति दे दी गई है । इसे क्रियान्वित करने का कार्य भी सरकार के हाथ में है । हमने बड़ी सावधानी से ऐसी योजना बनायी है जिससे परियोजना कार्य में विलम्ब न हो । जैसा कि माननीय सदस्य को पता है, परियोजना में काफी विलम्ब हो चुका है और हम नहीं चाहते कि इसके पूरा किये जाने के दौरान और विलम्ब हो ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मुझे प्रसन्नता है कि परियोजना की स्थापना कानपुर में की जा रही है । इस परियोजना की रोजगार क्षमता क्या होगी और क्या निर्माण कार्य उस क्षेत्र में किया जायेगा जहां आयुध कारखाना स्थित है अथवा इसके लिये अन्यत्र कोई भूमि ली गई है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस समय रोजगार सम्बन्धी निश्चित आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं । परन्तु मेरा अनुमान है कि रोजगार काफी लोगों को काफी संख्या में प्रदान किया जायेगा क्योंकि यह एक बहुत बड़ी परियोजना है । निस्संदेह इसमें स्वचालित मशीनों से भी कार्य होगा । फिर भी काफी लोगों को रोजगार मिलेगा ।

माननीय सदस्य, जिनके निर्वाचन क्षेत्र में यह परियोजना स्थापित की जा रही है, जानते हैं कि इसके लिये कौन सा स्थान निश्चित किया गया है । आयुध कारखाने के निकट जहाँ सरकार ने एक स्कूल की स्थापना की है वहीं पर इस संयंत्र की स्थापना भी की जायेगी । वहां रक्षा उत्पादन विभाग की जो बहुत बड़ी भूमि है वही संयंत्र की स्थापना के लिये निश्चित की गई है ।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : यह मेरे निर्वाचन में है ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मुझे खेद है । यह क्षेत्र माननीय उपमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है । इस परियोजना का कार्य ठीक प्रकार चल रहा है और हमें आशा है कि इसे हम निश्चित समय में पूरा कर लेंगे ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has stated that there would be automatic processes and even then there would be good employment potential in this project. May I know the exact number of persons to be employed and the amount to be invested therein ?

Shri Vidya Charan Shukla : I have already stated that at present I cannot give definite figures of employment. He had not asked about the investment figures. I think the estimated amount to be spent is about Rupees 46 crores including foreign exchange component of Rs. 5 crores. It means that most of the plant equipments would be manufactured indigenously.

भुवनेश्वर और नई दिल्ली के बीच सीधी विमान सेवा

*405. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य की राजधानी और दिल्ली के बीच सीधी विमान सेवा आरम्भ करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि फिलहाल यातायात सम्भाव्यता एक सीधी सेवा के औचित्य को सिद्ध नहीं करती ।

श्री अर्जुन सेठी : बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली से हमारे राज्य की राजधानी तक अभी तक भी किसी सीधी विमान सेवा की व्यवस्था नहीं है । फिर भी मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस तथ्य का पता है कि प्रातःकाल की उड़ान संख्या 261 के समय में परिवर्तन कर दिये जाने के कारण यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो क्या इस उड़ान की वर्तमान समय सारिणी में कोई परिवर्तन करने पर विचार किया जा रहा है ?

डा० कर्ण सिंह : जहां तक सीधी सेवा का प्रश्न है, यह तभी सफल हो सकती है जब यात्री उपलब्ध हों । अन्यथा केवल इस कारण से कि यह स्थान एक राज्य की राजधानी है, सीधी विमान सेवा की व्यवस्था संभव नहीं है, क्योंकि विमान सीमित संख्या में उपलब्ध हैं । यातायात ही इसका निर्णायक हो सकता है । जहां तक समय सारिणी में परिवर्तन का प्रश्न है, इस पर मैं ध्यान दूंगा ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : किन किन राज्यों की राजधानियों को दिल्ली से सीधी विमान सेवा उपलब्ध नहीं है ? मंत्री महोदय ने बताया है यात्रियों की कमी के कारण सीधी विमान सेवा की व्यवस्था संभव नहीं है । वाराणसी तथा पटना आदि स्थानों के लिये सीधी विमान सेवायें उपलब्ध हैं । इस सेवा का भुवनेश्वर तक विस्तार करने में मंत्री महोदय को क्या आपत्ति है ?

डा० कर्ण सिंह : हम ऐसा प्रयत्न करते हैं कि प्रत्येक राज्य की राजधानी में विमान सेवा उपलब्ध हो । यदि सीधी विमान सेवा संभव नहीं होती तो जेट सेवा का प्रबन्ध किया जाता है । बहुत सी नयी सेवायें आरम्भ की गयी हैं । फिर भी भोपाल तथा जम्मू जैसी कुछ राज्यों की राजधानियों के लिये जेट सेवा आदि की व्यवस्था नहीं है । स्थिति यह है कि कलकत्ता-भुवनेश्वर मार्ग पर यातायात बहुत अधिक है । अतः भुवनेश्वर के लिये जो भी विमान सेवायें उपलब्ध हैं, कुछ समय के लिये, उन्हें कलकत्ता होकर ही जाना पड़ेगा यद्यपि विजाग से कलकत्ता तक एक अन्य सेवा भी उपलब्ध है । जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि पटना और वाराणसी जाने वाला विमान भुवनेश्वर में भी रुके । यह मामला भी यातायात पर निर्भर करता है । वाराणसी से भुवनेश्वर तक कोई यातायात प्राप्त होने की आशा नहीं है । हम मामले पर ध्यान दे रहे हैं । मैं ऐसा प्रयत्न कर रहा हूं कि कलकत्ता से भुवनेश्वर तक जेट सेवा, यदि संभव हो सके तो विमानों की स्थिति में सुधार हो जाने के समय आरम्भ की जाये । मैं इस मामले के प्रति सजग हूं ।

श्री जगन्नाथ राव : मंत्री महोदय ने बताया है कि भुवनेश्वर के लिये सीधी विमान सेवा आरम्भ करने हेतु यातायात उपलब्ध नहीं है । दिल्ली से कलकत्ता होकर भी यदि ऐसी व्यवस्था की जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है । इस समय डमडम हवाई अड्डे से दो उड़ान की जाती है—उड़ान संख्या 261 तथा उड़ान संख्या 271/इससे पता चलता है कि यातायात उपलब्ध है । अतः सीधी विमान सेवा उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रस्ताव उचित ही हैं ।

डा० कर्ण सिंह : मेरे विचार से कलकत्ता होकर दिल्ली से भुवनेश्वर जाने के लिये परिवहन व्यवस्था उपलब्ध है ।

गुजरात के कोयाली तेलशोधक कारखाने का विस्तार

*407. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात वाणिज्य और उद्योग मंडल के पदमुक्त हो रहे अध्यक्ष ने केन्द्रीय सरकार से गुजरात के कोयाली तेलशोधक कारखाने का विस्तार करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) गुजरात राज्य में एक और परिष्करणशाला की स्थापना और अथवा कोयाली परिष्करण-शाला के विस्तार के सम्बन्ध में गुजरात राज्य सरकार, गुजरात चैम्बर आफ कामर्स एन्ड इंडस्ट्री, कुछ संसद् सदस्यों तथा विधान-सभा के सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। सरकार ने वर्तमान कोयाली परिष्करणशाला के विस्तार की वांछनीयता की जांच के लिए एक अध्ययन दल नियुक्त किया। अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, जो सरकार के विचाराधीन है।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या यह सच है कि कोयाली तेलशोधक कारखाने का 10 लाख टन तेल शोधन की क्षमता तक विस्तार करने में केवल एक करोड़ रुपया व्यय होगा और उत्तर-पश्चिम-क्षेत्र में प्रस्तावित नये तेल शोधक कारखाने पर 15 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय होगी और यदि ऐसा है, तो कोयाली तेल शोधक कारखाने का विस्तार करने में क्यों विलम्ब किया जा रहा है ?

श्री एच० आर० गोखले : मूल्य लागत इस सम्बन्ध में निर्णय न किये जाने का कारण नहीं है। यदि तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से कोयाली तेल शोधक कारखाने का विस्तार उचित ठहरता है, तो निश्चित रुपयों का निर्णय किया जायेगा। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि इस मामले पर सक्रिय रूप में विचार किया जा रहा है। मूल्य की अपेक्षा दो बातें इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण हैं। पहली यह कि 1969 में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने यह अनुमान लगाया था कि वर्ष 1975 तक गुजरात में अशोधित तेल का उत्पादन 50 लाख टन अथवा इससे कुछ अधिक हो जायेगा। उन्होंने फिर से इसका मूल्यांकन किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि प्राप्त अनुभव के आधार पर पहले अनुमान के अनुरूप 50 लाख टन उत्पादन होना संभव नहीं है। अतः यह मामला उनके मत जानने के लिये, अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को भेजा गया है। 50 लाख टन उत्पादन के लक्ष्य तक न पहुंच पाने के अतिरिक्त आयातित अशोधित तेल से कारखाने की क्षमता का विस्तार करने पर विचार किया जा रहा है और निर्णय करने के लिये यह बात भी ध्यान में रखी जाती है।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या ओखा तथा कांदला में पाइपलाइन का कार्य आरम्भ करने के सम्बन्ध में योजना का पुनरीक्षण करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो वे प्रस्ताव क्या हैं और क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि पाइपलाइन बड़ौदा से जाने वाले मार्ग पर बिछाई जायेगी जिससे निकटवर्ती कोयाली तेलशोधक कारखाने में आयातित अशोधित तेल का उपयोग किया जा सके।

श्री एच० आर० गोखले : यह बहुत बड़ा प्रश्न है। परन्तु मैं केवल इतना बता सकता हूं कि उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में तेलशोधक कारखाने की स्थापना की संभाव्यता की दृष्टि से कोयाली तेल शोधक

कारखाने के विस्तार से सम्बद्ध पाइप लाइन बिछाने का प्रश्न जिससे दोनों का समन्वय किया जा सके, विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 408. श्री जी० वाई० कृष्णन . . . वह अनुपस्थित हैं।

जो सदस्य प्रश्न की नोटिस देता है, सदन में उपस्थित रहना उसका कर्तव्य हो जाता है। यदि वह किसी कारणवश सदन में आने में असमर्थ रहते हैं तो उन्हें कम से कम अध्यक्ष को सूचना देने का कष्ट तो करना ही चाहिये। प्रश्नकाल चलता है सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं। इससे दूसरे सदस्यों को अवसर दिया जा सकता है। इन सब बातों में काफी पैसा खर्च होता है। यदि सदस्य सदन में उपस्थित होने में असमर्थ हैं तो उन्हें अध्यक्ष को अपनी अनुपस्थिति की सूचना देने का कष्ट करना चाहिये .... (**व्यवधान**)। उपस्थित होना सदस्य का कर्तव्य है।

श्री रामसहाय पांडे : यह बहुत महत्वपूर्ण है, मैं भी इसकी प्रशंसा करता हूं। परन्तु आपने कुछ ऐसी प्रक्रियायें अपनायी हुई हैं जिनसे बहुत से सदस्य प्रश्न भेज देते हैं परन्तु नाम बैलट में नहीं आ पाते। मैंने कुछ प्रश्न दिये थे परन्तु बैलट में मेरा नाम नहीं आया.... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपको इन सब बातों के लिये तैयार रहना चाहिये।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : एक सदस्य की अनुपस्थिति में अध्यक्ष महोदय किसी दूसरे सदस्य को प्रश्न पूछने का अधिकार दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह अधिकार दूसरे दौरे में दिया जाता है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मान लीजिये मैंने कोई प्रश्न दिया और वही प्रश्न कुछ अन्य सदस्य भी दे देते हैं तो आप प्रश्नों के लिये पांच नामों की स्वीकृति देंगे। इस प्रकार यदि अब मैं अनुपस्थित होता हूं तब उनमें से कोई अन्य सदस्य प्रश्न पूछ सकता है। इसलिये एक प्रश्न के लिये कम से कम चार या पांच नामों की स्वीकृति दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : हम पहले से ही तीन नामों की स्वीकृति देते हैं।

श्री राम सहाय पांडे : मैं श्री बनर्जी के विचारों का समर्थन करता हूं।

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, previously four or five names were allowed and someone out of those was found present in the House.

अध्यक्ष महोदय : मैंने ये विचार इसलिये व्यक्त नहीं किये कि इस विषय पर विनियमित वाद-विवाद हो जाये। प्रश्न सूची काफी पहले सदस्यों को भेज दी जाती है। सदस्यों को इस बात की पता होनी चाहिये। जो सदस्य नहीं आ सकता, उसे सूचना भेजनी चाहिये।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : प्रक्रिया के अनुसार यदि सदस्य की अनुमति होती है, तो अन्य प्रश्नों के साथ उस प्रश्न पर चर्चा हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा दूसरे दौरे में हो सकता है पहले में नहीं। श्री सामन्त।

पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की सप्लाई

*409. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा हाल ही में पाकिस्तान को बहुत अधिक मात्रा में शस्त्रास्त्र, गोला बारूद और अन्य सैन्य सामग्री जहाजों द्वारा सप्लाई किये जानें की सरकार को जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सरकार के पास इस विषय में सूचना उपलब्ध है जिसकी जांच करवायी जा रही है।

(ख) इन सप्लाइयों से हमारी सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव का जायजा लिया जा रहा है जिससे रक्षा तैयारियों के लिए बनाई जाने वाली हमारी योजनाओं के समय उसे ध्यान में रखा जा सके।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सप्लाई किन्हीं अन्य देशों के माध्यम से पाकिस्तान में भेजी गयी है, यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : समाचार पत्रों में ऐसे समाचार प्रकाशित हुये हैं कि अमरीका से सैनिक सामान की सप्लाई अन्य देशों के माध्यम से पाकिस्तान पहुंचाई जा रही है और इन समाचारों की पुष्टि की जा रही है।

श्री पीलू मोदी : वे देश कौन-कौन से हैं, जिनके नाम माननीय सदस्य जानना चाहते हैं ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : उन देशों के नाम हैं—लीबिया, जार्डन तथा ईरान।

श्री एस० सी० सामन्त : मन्त्री महोदय की जानकारी का स्रोत क्या है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जानकारी के स्रोत बताये नहीं जा सकते।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : पाकिस्तान को किस प्रकार के शस्त्रों की सप्लाई की गई। क्या मंत्री महोदय के पास इस आशय की कोई सूचना है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मूल प्रश्न के उत्तर में मैं बता चुका हूं कि जो जानकारी हमारे पास है, उसकी पुष्टि के लिये कार्यवाही की जा रही है। जब तक हमें मामले की पूरी जानकारी न हो जाये, तब तक उसे किस प्रकार बताया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री साठे, आप पहली पंक्ति में आ गये ?

श्री वसंतराव पुरुषोत्तम साठे : वहां से मुझे आपका चेहरा दिखाई नहीं देता था।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप पीछे ही ठीक हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : सदस्यों को अपन स्थान से ही प्रश्न पूछने चाहियें ।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या यह सच है कि श्री जैक एन्डरसन के रहस्योदघाटनों के अनुसार, अमरीका के इन्कार करने पर भी कि वे पाकिस्तान को और हथियार नहीं दे रहे हैं, पाकिस्तान को आधुनिक शस्त्रास्त्र की सप्लाई दूसरे देशों के माध्यम से भेज रहा है, और यदि ऐसा है, तो क्या इस मामले पर अमरीका सरकार के साथ बातचीत की गई है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस मामले में दिल्ली में भी तथा बाशिंगटन में भी अमरीका सरकार से बातचीत की गई । उन्होंने ऐसा करने से इन्कार किया है । उन्होंने बताया कि उनकी जानकारी के बिना किसी अन्य देश से अमरीकी हथियारों की सप्लाई नहीं की जा सकती ।

श्री के० मनोहरन : यह झूठ है ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : परन्तु इसके पश्चात् उन्होंने कहा कि वे मामले पर ध्यान दे रहे हैं । वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसी घटना हुयी है । अतः उन्होंने स्पष्ट रूप से इन्कार नहीं किया । हम इस मामले पर उनके साथ सम्पर्क बनाये हुये हैं ।

श्री वसंतराव पुरुषोत्तम साठे : क्या यह सप्लाई पहले से चली आ रही सप्लाई का शेष भाग है अथवा उन करारों से अतिरिक्त है और इस वर्तमान सप्लाई का मूल्य क्या है ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : उनके पहले से चले आ रहे करारों की सप्लाई कभी बन्द नहीं हुयी । परन्तु यह तो एक गुप्त रूप से की गई सप्लाई है । करारों की सप्लाई सीधी पाकिस्तान भेजी गयी । अतः यह स्पष्ट है कि यह सप्लाई पहले से चली आ रही सप्लाई का शेष भाग नहीं है ।

श्री वसंतराव पुरुषोत्तम साठे : इसका मूल्य क्या है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जब तक मामले की जांच न कर ली जाये तब तक मूल्य के विषय में कुछ नहीं बताया जा सकता ।

(कुछ माननीय सदस्य खड़े हुये)

अध्यक्ष महोदय : खेद है, इस पर पहले ही बहुत से प्रश्न पूछे जा चुके हैं । श्री पम्पन गौड़ा ।

विदेशी सेनाध्यक्षों की भारत यात्रा

*410. **श्री पप्पन गौडा :** क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी सेनाध्यक्षों के नाम क्या हैं, जिन्होंने हाल ही के भारत-पाक युद्ध के बाद भारत की यात्रा की ; और

(ख) क्या उन्होंने बंगला देश में हमारी सेनाओं के कार्य के बारे में कोई रिपोर्ट दी है ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) यूगोस्लाविया की सशस्त्र सेनाओं के चीफ आफ जनरल स्टाफ कर्नल जनरल विक्टर बुंबज ने 25 फरवरी से 7 मार्च 1972 तक भारत का दौरा किया है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमन् ।

श्री पम्पन गौडा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार, भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए, अपनी सेनाओं की संख्या और उसकी शक्ति में वृद्धि करने का है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस माकले के बारे में हम कई बार सदन में भी बता चुके हैं। इस कार्य के लिए हमारी एक व्यापक योजना होती है जिसके अन्तर्गत हम समय-समय पर अपनी सुरक्षा तैयारी का मूल्यांकन करते रहते हैं और अपनी सुरक्षा के हर सम्भव खतरे के बारे में समय-सयय पर हमें जो भी जानकारी प्राप्त होती रहती है इसके आधार पर हम इस दिशा में लगातार कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। अतः हम से यह पूछना कि क्या हम इस दिशा में कुछ कर रहे हैं, एक आश्चर्यजनक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने प्रश्न तो पूछा ही नहीं, अपितु वह तो प्रश्न से अलग कुछ जानकारी दे रहे थे। आप ने उसका उत्तर देना आरम्भ कर दिया।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं तो यही समझ बैठा था कि आपने प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी है क्योंकि यदि आप ने अनुमति न दी होती, तो आप मुझे मना कर देते। सुरक्षा की तैयारी का तो निरन्तर मूल्यांकन किया जाता है।

श्री पम्पन गौडा : यूगोस्लाविया के सेनाध्यक्ष पर भारत यात्रा का क्या प्रभाव पड़ा है ?

श्री नवल किशोर सिंह : सेनाध्यक्ष द्वारा किन-किन स्थानों का दौरा किया गया ? क्या उन्होंने हमारे आयु डिपुल्पों और रमणीक स्थानों के बारे में कोई सुझाव दिये हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : उन्होंने बम्बई, हिम्मत नगर, खजुराहो, आगरा, जोधपुर, जयपुर, देहरादून तथा अन्य स्थानों की यात्रा की।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : क्या उन्होंने हमारी सरकार के निमन्त्रण पर यह यात्रा की ? इस यात्रा का उद्देश्य क्या था ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस प्रकार का कोई भी माननीय अतिथि बिना निमंत्रण के नहीं आया करता और वह भी भारत सरकार के निमन्त्रण पर ही आए थे। इसी प्रकार हमारे लोगों को भी निमन्त्रित किया जाता है और यह सब पारस्परिक होता है।

श्री पीलू मोदी : हमारे लोग तो बिना निमन्त्रण के ही चले जाते हैं।

श्री विद्या चरण शुक्ल : बिना निमन्त्रण के हम में से कोई भी नहीं जाता।

श्री पीलू मोदी : श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने रबात की यात्रा बिना किसी निमन्त्रण के की थी।

श्री एस० ए० कादर : आपने जो निमन्त्रण दिया था, तो उससे सम्बद्ध उनकी यात्रा के लिए कार्यक्रम भी बनाया होगा। यदि हां, तो जो कार्यक्रम बनाया गया था तो क्या उस में खजुराहो जैसे स्थानों को भी शामिल किया गया था ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं समझता हूं कि इस पूरक प्रश्न का मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : जब इस प्रकार सेनाध्यक्षों को निमंत्रित किया जाता है, तो क्या उनके साथ अपने देश की समस्याओं के बारे में विचार विमर्श भी किया जाता है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : प्राय: इस प्रकार की यात्रायें सद्भावना यात्रायें होती हैं । अतः सह-भागियों द्वारा पारस्परिक हितों के बारे में बात चीत करना स्वाभाविक ही होता है परन्तु यह अनि-वार्य नहीं है कि भारत की यात्रा करने वाले विदेशी सेनाध्यक्षों के साथ अपने देश की समस्याओं के बारे में विचार किया जाये । हां अगर दोनों सहयोगियों के पारस्परिक हित की कुछ समस्यायें हों, तो उन पर निश्चय ही विचार किया जाता है ।

Shortage of Kerosene Oil in Rural Areas

*411. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there has been shortage of kerosene oil in the rural areas for the last six months ;

(b) whether the shortage is due to hoarding of oil by oil dealers or due to decline in production of oil in the country ; and

(c) the remedial steps taken by Government to meet the shortage ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) मास दिसम्बर, 1971 के अतिरिक्त, जब राज्य में आपातकालीन स्थिति के कारण, राज्य सरकारों को अनुरोध किया गया था कि वें मिट्टी के तेल की खपत पर नियन्त्रण करे और यदि आवश्यक समझें तो स्टाक संरक्षण की दृष्टि से मिट्टी के तेल का राशन लागू करें ; देश में मिट्टी के तेल का सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए (देश में) मिट्टी के तेल की सप्लाई बिना किसी वाधा के होती रही है । सामान्यत: ग्रामीण क्षेत्रों से मिट्टी के तेल की कमी के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Nathu Ram Ahirwar : The hon. Minister has stated that shortage of kerosene oil during December last was due to emergency. But, I am sorry to say that even today kerosene oil is being sold at the rate of rupees 1.50 per litre in rural areas. When the small traders go to petrol pump depots, they are told that kerosene oil is in shortage but when the same traders go to villages, they have to pay for kerosene oil at the rate of rupees 1.50 per litre. So I want to know the action being taken by the Government in this regard.

श्री एच० आर० गोखले : सब से पहली बात तो यह है कि रेलवे लाइनों के टूटने, दुर्घटनाओं हड़तालों आदि के कारण सप्लाई एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने में बाधा पड़ जाती है, जिसके

फलस्वरूप कहीं कहीं अभाव की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। मेरे कहने का यह तात्पर्य भी नहीं है कि चोर बाजारी कभी भी नहीं होती। परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम ही है, हम राज्य सरकारों को वार्षिक कोटे का आवंटन कर देते हैं और राज्य सरकारें इसका वितरण छोटे व्यापारियों को करती रहती हैं और अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें यह अधिकार दे दिया गया है कि जब कभी भी वितरण के बारे में उनके पास कोई शिकायत पहुंचे, वह उस पर उपयुक्त कार्यवाही कर सकते हैं। यदि माननीय सदस्य की शिकायत किसी स्थान विशेष के बारे में है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह उस ओर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में मिट्टी के तेल की चोर बाजारी के कारण वहां तेल की भारी कमी है और क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी भी है कि भारतीय तेल निगम के पूर्वी क्षेत्र का मुखिया, जिसका मिट्टी के तेल की चोर बाजारी में बहुत बड़ा हाथ है, किसी राज्यपाल का लड़का है ?

श्री एच० आर० गोखले : मुझे पश्चिम बंगाल राज्य से बहुत बड़े पैमाने पर शिकायतें प्राप्त होने की कोई जानकारी नहीं है। भारतीय तेल निगम के अधिकारी के विरुद्ध, माननीय सदस्य द्वारा जो आरोप लगाया गया है, मुझे उसकी भी कोई जानकारी नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : जब श्री धर्मवीर राज्यपाल थे, तो उस समय यह महोदय उनके घर में रहा करते थे। यह बात सभी जानते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : फिर कठिनाई उत्पन्न हो गई। मैं तो शांत रहना चाहता हूं। यह बात तो समाचार पत्रों में भी छप चुकी है और कलकत्ता के समाचार पत्रों को भी बहुत से पत्र लिखे गये हैं। मैंने स्वयं पत्र लिखा था परन्तु अभी भी मन्त्री महोदय फरमा रहे हैं कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। सदन में इनका इस प्रकार का व्यवहार कब तक चलता रहेगा ? आपही इसका निर्णय कीजिये और जरा उन्हें ठीक राह पर लाइये।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो माननीय सदस्य के बारे में भी चिंतित हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान जी आपको तो पक्षपात नहीं करना चाहिए।

श्री राजा कुलकर्णी : मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी क्यों नहीं है कि अभी हाल में मिट्टी के तेल के शुल्क में वृद्धि के कारण दुकानदारों ने मिट्टी के तेल की बनावटी कमी पैदा की है।

श्री एच० आर० गोखले : मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। मैं बंगाल सम्बन्धी प्रश्न की चर्चा कर रहा था। मैं इस बात को जानता हूं कि मिट्टी के तेल तथा एच० एस० डी० के मूल्य के अन्तर के कारण मिट्टी के तेल का दुरुपयोग हुआ है और इसका प्रभाव देश के किसी न किसी भाग में इस उत्पाद की कम उपलब्धता के रूप में पड़ा। सम्भवतः ग्रामीण क्षेत्रों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो। राज्य सरकारों से हमारे पास इस बारे में कोई भी शिकायतें नहीं आयीं।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : इस बात को ध्यान रखते हुए कि मिट्टी के तेल की कमी अपर्याप्त उत्पादन के कारण ही नहीं बल्कि दुकानदारों द्वारा चोर बाजारी से भी हुई है, सरकार मिट्टी के तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री एच० आर० गोखले : जहाँ तक देश में उत्पादन का प्रश्न है, हम अधिकांश आवश्यकता-स्वदेशी उत्पादन से पूरी करते हैं और इसके बहुत कम भाग का हम आयात करते हैं। सन् 1967 में 2,024, 000 टन उत्पादन हुआ तथा 4,48,000 टन का आयात हुआ जब कि कुल मांग 2,580,-000 टन की थी। 1971 में उत्पादन 2,991,000 टन हुआ तथा आयात 600,000 टन का हुआ जब कि मांग 3,461. 000 टन की थी। मांग को आवश्यक मात्रा में आयात द्वारा पूरा किया गया।

श्रीमती एम० गौडफ्रे : मन्त्री महोदय की इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मिट्टी के तेल की सामान्य कमी नहीं है, क्या मैं पूछ सकती हूं कि क्या वे राज्य सरकारों को मिट्टी के तेल के मूल्य कमकरने का निर्देश देंगे क्योंकि यह वस्तु काले बाजार में बिक रही है ?

श्री एच० आर० गोखले : सम्भवतः माननीया सदस्या यह पूछ रहीं है कि क्या मिट्टी के तेल के मूल्य कम करना सम्भव है।

एक माननीय सदस्य : इन्होंने कालेबाजारी का जिक्र किया है।

श्री एच० आर० गोखले : जहां तक कालेबाजारी का सम्बन्ध है, कानून इसके लिए बने हैं। मेरी जानकारी के अनुसार सभी राज्य सरकारें जमाखोरी तथा कालेबाजारी की शिकायतें मिलने पर दोषी दुकानदारों के विरुद्ध अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन कार्यवाही करती हैं। यदि मेरी जानकारी में कोई विशेष मामला लाया जाये, तो मैं आश्वासन देता हूं कि हम इसे उचित कार्यवाही के लिये सम्बन्धित राज्य सरकार के ध्यान में लायेंगे।

Dr. Laxminarain Pandey : Quota to different states is not distributed equally as a result of which acute shortage of kerosene oil is felt in many States. Is it not for this reason that quota given to Madhya Pradesh could not reach the interiors and the villages have to purchase kerosene oil at high prices ?

श्री एच० आर० गोखले : राज्य-वार मिट्टी के तेल की सप्लाई पहली खपत के आधार पर की जाती है। वार्षिक तथा मासिक आवश्यकता के अनुसार भी अनुमान तैयार किये जाते हैं। इन अनुमान के बावजूद भी तेल कम्पनियों को निर्देश दिये गए हैं कि इन अनुमानों पर निर्भर न करें और वास्तविक स्थिति के अनुसार तेल की अधिक या कम मात्रा में सप्लाई करें। जहां तक मेरी जानकारी है, मध्य प्रदेश सरकार को इस वर्ष के लिये जो कोटा दिया गया था, वह पहली खपत तथा वार्षिक और मासिक अनुमान के सिद्धांत के अनुसार ही दिया गया था। यदि कोई कमी है, और यदि इसे मेरे ध्यान में लाया जाये, जब कि राज्य सरकार से मुझे इसकी कोई सूचना नहीं मिली, तो तेल कम्पनियों को कोटा बढ़ाने का निर्देश दे दिया जायेगा।

Explosion of Hydrogen Bomb by China

*412. **Shri Ishwar Chaudhary :**
Shri Chintamani Panigrahi :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether China has recently exploded a Hydrogen bomb ;

(b) if so, the approximate strength of the explosion ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) चीन ने अभी हाल में एक परमाणु बम का विस्फोट किया है किन्तु उनके प्रकार का पता नहीं है।

(ख) विस्फोट 20 और 200 किलोटन मध्य की क्षमता के थे।

(ग) अपनी रक्षा व्यवस्था को पुनरीक्षित करते समय इस प्रकार की सब गतिविधियों को ध्यान में रखा जाता है।

Shri Ishwar Chaudhary : Is India also contemplating to review its atomic policy in view of the increasing power of China ? Scientifically what are the effects of Chinese explosion on our atmosphere and how much loss we suffer on this amount ?

Shri Vidya Charan Shukla : We have at ready declared our policy on the subject so manytimes in this august House. It has always been our declared policy that we will not make atomic bomb in our country. We have constantly been considering as to how we should defend ourselves from all such things.

So far as fall out is concerned. only Atomic Energy Commission and Atomic Energy Department looks into it and they are in a better position to tell something about it.

Shri Ishwar Chaudhary : Scientifically what are the effects on our atmosphere and what are the losses ?

Shri Vidya Charan Shukla : I have already stated that Atomic Energy Department looks into it and observes the fall out, its reaction and losses.

Shri Ishwar Chaudhary : Is it a fact that China has produced atomic weapon and if so, whether India is also going to produce atomic weapon in order to counter it ? I would also like to know the steps being taken to strengthen our striking power with a view to deter Chinese power ?

Shri Vidya Charan Shukla : I have already answered this question. I also stated that we have considered this issue and have been doing whatever is necessary in the interest of defence.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : यह चीन का 9 वां विस्फोट है। अब तक के विस्फोट की शक्ति 20 तथा 100 किलोटन थी लेकिन मंत्री महोदय के उत्तर से आज यह जानकर आश्चर्य होता है कि इस नवीनतम विस्फोट की शक्ति 20 और 200 किलोटन थी। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या इसके अनुमान सम्बन्धी हमारा अनुमान ठीक था क्योंकि अंतर बहुत अधिक है—यह अब 20 से 200 किलोटन है—और क्या यह मूल्यांकन हो सका है कि विस्फोट 100 किलोटन से अधिक का था ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी भी है कि चीन ने अपने अणविक प्रतिष्ठान को

लोपनोर से सिंकियांग के दूरस्थ स्थान की ओर बदलना शुरू कर दिया है और यदि ऐसा है, तो इसे बदले जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार हमें यह भी बतायेंगी—क्योंकि इन्होंने कहा कि चीन की अणु विज्ञान प्रगति को ध्यान में रखते हुए सरकार सेना की स्थिति पर पुनः विचार का रही है—

अध्यक्ष महोदय : सब कुछ एक ही प्रश्न में ?

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : मैं आपके आदेश का पालन करता हूं। अतः क्या मंत्री महोदय स्पष्ट रूप से यह बतायेंगे कि क्या हम आणविक विज्ञान के क्षेत्र में चीन से कितनी अवधि–पाँच वर्ष, 10 वर्ष अथवा 20 वर्ष पीछे हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : आणविक विज्ञान के क्षेत्र में चीन से पीछे रहने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। अंतर केवल इतना है कि वे अपने आणविक विज्ञान का विकास युद्ध कार्यों के लिये कर रहे हैं और हम आणविक विज्ञान का विकास शांति कार्यों के लिये कर रहे हैं।

जहां तक विस्फोट की शक्ति का सम्बन्ध है, हमें विभिन्न स्त्रोतों से जानकारी मिलती है तथा हम उस जानकारी की पुष्टि अन्य उपलब्ध विभिन्न स्त्रोतों से करवाते हैं। मैंने सभा को जो कोई भी जानकारी दी है, वह विश्वस्त स्त्रोतों पर आधारित है।

जहां तक स्थल को बदलने का प्रश्न है, वे विभिन्न उपाय कर रहे हैं जिनका हमें पता चलता रहता है, परन्तु इस बारे में हमारे पास कैसी तथा कितनी जानकारी है, उसे सभा में बताना हमारे हित में नहीं होगा।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : श्रीमन्, स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। अतः स्पष्ट उत्तर पाने के लिये मैंने थोड़ा अधिक समय ले लिया। परन्तु आपने चाहा कि मैं बैठ जाऊं तो मैं बैठ गया। जो प्रश्न मैंने पूछा था वह ....

अध्यक्ष महोदय : आपके दृष्टिकोण से प्रश्न का ठीक ढंग से उत्तर नहीं दिया गया था क्योंकि आपने बहुत लम्बा प्रश्न किया था। आप संक्षेप में नहीं पूछते हैं। यदि प्रश्न संक्षिप्त होता, तो मंत्री महोदय उत्तर दे सकते थे।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मैं फिर संक्षेप में प्रश्न पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : अगली बार पूछिए।

Shri Bibhuti Mishra : The hon. Minister cannot reply to other questions without consulting the Prime Minister but as he has said that atomic energy is being developed for the use of peaceful purposes, may I know whether the atomic energy has been used for digging canal by blasting mountains so that we can know that it is being used for peaceful purposes ?

Shri Vidya Charan Shukla : Whatever be the peaceful use of atomic energy, we are doing all that. The hon. Member may ask the Atomic Energy Department as to where that energy has been used for blasting a mountain or digging a canal.

श्री समर गुह : क्योंकि मंत्री महोदय ने 20—200 टी० एन० टी० क्षमता का उल्लेख किया है, अतः यह स्पष्ट है कि यह परमाणु बम है न कि हाइड्रोजन बम । हाइड्रोजन बम के विस्फोट की क्षमता लाखों मीट्रिक टनों में गिनी जाती है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपका यही प्रश्न है ?

श्री समर गुह : चीन द्वारा सामरिक दृष्टि के आणविक अस्त्रों के इकट्ठे किये जाने के बारे में क्या सरकार के पास कोई जानकारी है तथा क्या चीन ने अपने अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणाशस्त्र तैयार भी कर लिये हैं और हिन्द महासागर में भारतीय आकाश में उनका प्रयोग करने की तैयारी कर रहा है और यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : चीन द्वारा सामरिक दृष्टि के आणविक अस्त्रों के जमा किये जाने के बारे में हमारे पास जानकारी है । **(व्यवधान)** परन्तु मैं नहीं समझता कि हम यह बता दें कि वह जानकारी क्या है ।

अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्र के बारे में हम इस सभा में प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर पहले ही दे चुके हैं । उन्होंने अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्र तैयार कर लिया है तथा हमें सूचना मिली है कि वे इन अस्त्रों का परीक्षण करने जा रहे हैं । परीक्षण स्थल संभवतया हिन्द महासागर क्षेत्र अथवा प्रशांत महासागर में कोई स्थान था । परन्तु अभी तक हमारे पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है कि उन्होंने इस कार्य को करने का निर्णय कर लिया है । फिर भी यदि वे हमारे आकाश में परीक्षण करना चाहते हैं तो मैं नहीं कह सकता कि हम इस बारे में क्या करें क्योंकि वे तेज रेंज से छोड़े जाते हैं जो कई देशों के ऊपर से गुजरते हैं ।

श्री समर गुह : मुझे आपका संरक्षण चाहिये । मंत्री महोदय ने कहा है कि सामरिक दृष्टि के अस्त्रों के इकट्ठा होने के बारे में उनके पास जानकारी तो है परन्तु वे इसे बताना नहीं चाहते हैं । सारा विश्व यह जानता है; रक्षा अध्ययन संस्थान इस बारे में जानकारी प्रकाशित करता है तथा कई देशों को इसकी जानकारी है । इससे भारत की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है । अतः इसे बताया जाना चाहिये । **(व्यवधान)**

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह सर्वविदित सत्य है कि विश्व में अनेक संस्थान हैं जो अपना दृष्टिकोण प्रकाशित करते हैं । किसी संस्थान अथवा स्वतन्त्र निकाय द्वारा अपना दृष्टिकोण बताने और किसी देश अथवा सरकार द्वारा सरकारी रूप से अपना दृष्टिकोण बताने में बहुत अन्तर है । उनके अस्त्रों के जमाव अथवा इकट्ठा हो जाने के बारे में जितनी जानकारी हमारे पास है, उस जानकारी से अन्य देशों को अवगत कराना हमारे राष्ट्रीय हित में नहीं है । ऐसा करने से उनको हमारी सही जानकारी का पता लग जायेगा । अतः दूसरे देशों के बारे में हमारे पास जो जानकारी है, उसे बताना उचित नहीं है ।

श्री तरुण गोगोई : चीन द्वारा हाइड्रोजन बम के विस्फोट किये जाने से क्या हमारे उप-महाद्वीप को खतरा है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जी, हां ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

Shri Shankar Dev : Competition of armaments can be put to an end by a world Government. May I know whether Government of India is thinking in this direction because India has always been an idealist country?

Mr. Speaker : I have called for next question.

हिमालय की सीमा के साथ-साथ चीनी सेना का तैनात किया जाना

*413. **श्री समर गुह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय की सीमा पर चीनी सेना की तैनाती के विषय में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की बात सरकार के ध्यान में आई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) उत्तरी सीमाओं पर चीनियों द्वारा कोई असाधारण सैनिक गतिविधि सरकार की जानकारी में नहीं आई है।

श्री समर गुह : क्या सरकार का ध्यान **"टिबेटन रिव्यू"** में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि चीनी-अमरीकी समझौते के बाद चीनी सेना के तीन नियमित डिवीजन तथा उसके बोर्डर गार्ड्स के तीन डिवीजन के अतिरिक्त 28 डिवीजनों में से कुछ डिवीजनों को, जो पूर्वी तटीय प्रदेशों में तैनात थे, तिब्बत में तैनात कर दिया गया है और यदि हां तो इसके बारे में तथ्य क्या है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं कह चुका हूं कि कोई असाधारण गतिविधि हमारे ध्यान में नहीं आई है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सरकारी जानकारी दी है, न कि समाचार-पत्रों की । मन्त्री महोदय के पास जितनी जानकारी होती है, उसे जानने के लिये प्रश्न पूछे जाते हैं, परन्तु यदि आप उनके सामान्य ज्ञान की परीक्षा लें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : चीन ने अपनी सेनायें एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैनात की होंगी परन्तु अपनी सीमाओं पर कोई असाधारण गतिविधि हमारे ध्यान में नहीं आई है ।

श्री समर गुह : क्या चीन ने अपने नागर विमानन हवाई अड्डों के अतिरिक्त गत वर्ष तिब्बत में शिगातो, पद्मा तथा गोनकेन में जेट विमानों के प्रयोग के लिए तीन हवाई पट्टियां बनाई हैं और यदि हां, तो हमारे देश की सीमा सुरक्षा पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : उन्होंने समूची भारत-चीन सीमा पर न केवल तीन ही अपितु कई हवाई पट्टियां बना रखी हैं तथा हमने यह सुनिश्चित करने के लिए अपने देश में वायु संरक्षण कैसा होना चाहिए इस बात पर गौर कर लिया है कि वे किस प्रकार के विमानों का प्रयोग करेंगे तथा उनके पास कैसी हवाई पट्टियां हैं ।

भारत में तेल के कुएं खोदने के लिये विदेशी कम्पनियों के साथ करार

*415. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में तेल के कुएं खोदने के लिए इस वर्ष कुछ विदेशी कम्पनियों के साथ करार किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) स्व-चालित जैक-अप प्लेट फार्म, जिसका (तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के लिए) इस समय जापान में निर्माण किया जा रहा है, का प्रयोग करते हुए, अपतट व्यधन के लिए अमरीका के मैसर्स आफ्शोर इन्टरनेशनल एस० ए० (ओ० आई० एस० ए०) आफ हाउसटन के साथ एक समझौता किया गया था ।

(ख) समझौते की शर्तों के अनुसार, मैसर्स ओ० आई० एस० ए० खंभात की खाड़ी और अरब सागर के संलग्न क्षेत्र में एक वर्ष की अवधि के लिए व्यधन कार्यों का निष्पादन करेगा । वे, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा दिए गए तकनीकी कार्यक्रम तथा अनुदेशों के अनुसार, इस आयोग द्वारा चयन किये गए व्यधन-स्थलों पर व्यधन कार्य करेंगे । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे एक सीमित संख्या में अपने तकनीको व्यक्तियों को साथ लायेंगे । तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग पूरक स्टाफ की व्यवस्था करेगा ।

इसके अतिरिक्त, ओ० आई० एस० ए० अपतट व्यधन में कुछ चुने गये तकनीकी व्यक्तियों को प्रशिक्षण भी देगा । जब हमारा प्लेटफार्म कार्य करना आरम्भ कर देगा तो परिचालन कार्यों में विदेश में तथा कार्य-स्थल पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी ।

श्री एन० ई० होरो : समझौते की शर्तों के अनुसार "मैसर्स आफशोर इन्टरनेशनल" से एक वर्ष के लिए समझौता किया गया है और इस अवधि के दौरान वह हमारे लोगों को विदेशों में प्रशिक्षण देंगे । मैं इस सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या यह समझौता मात्र एक वर्ष के लिए किया गया है या कि एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पर इसके नवीकरण की भी कुछ व्यवस्था है ?

श्री एच० आर० गोखले : यह सच है कि समझौते का मुख्य उद्देश्य हमारे अधिकारियों को तट-दूर खुदाई के बारे में प्रशिक्षण सम्बन्धी सहायता प्रदान करने तथा स्वचालित जैक अप प्लेटफार्म, जो कि इस वर्ष के अन्त तक जापान से आ जाएगा, का प्रयोग करना सिखाना है । अभी समझौता फिलहाल एक वर्ष के लिए किया गया है और यह आशा की जाती है कि इस अवधि के दौरान हमारे लोग काम सीख जायेंगे । समझौते को 2 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था है पर यह हमारी इच्छा पर निर्भर है ।

श्री एन० ई० होरो : इस फर्म को काम सौंपने पर सरकार कुल कितना खर्च करेगी ?

श्री एच० आर० गोखले : यह जानकारी इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है । मैं इसे बाद में सभा पटल पर रख दूंगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण कलकत्ता के बोदरा तेल क्षेत्र में खुदाई कार्य के लिए सहयोग के रूप में तकनीकी सेवा प्राप्त करने का कोई समझौता किया गया और इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री एच० आर० गोखले : जैसा कि मैंने अपने मूल उत्तर में कहा है यह समझौता खम्भात की खाड़ी और अरब सागर के निकटवर्ती क्षेत्र में तेल खुदाई के बारे में ही किया गया है ।

श्री डी० डी० देसाई : उत्तरी सागर की खुदाई को ध्यान में रखते हुए क्या मन्त्री महोदय अरब सागर की तट-दूर खुदाई को अन्तर्राष्ट्रीय जल की सीमा से परे नहीं समझते ?

श्री एच० आर० गोखले : हमारे समक्ष अभी प्रश्न प्लेटफार्म के प्रयोग के बारे में है जो कि हमें जापान से मिलने वाला है और आशा है कि इस वर्ष सितम्बर तक यह भारत आ जाएगा । इस कार्य में विशेष दक्षता अपेक्षित हैं और जैसे ही हमारे लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे हमें आशा है कि एक वर्ष के भीतर वह काम सीख जायेंगे । हम अन्य क्षेत्रों में भी समय आने पर तट-दूर खुदाई का कार्य आरम्भ करेंगे ।

श्री डी० डी० देसाई : उत्तरी सागर में खुदाई कार्य अन्तर्राष्ट्रीय जल सीमा से परे तक किया गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि अरब सागर और खम्भात की खाड़ी में तट-दूर तेल की खुदाई करना हमारे क्षेत्राधिकार में है अथवा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय इसका उत्तर दे चुके हैं ।

Use of PL-480 Funds for Development Schemes

*416. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount of PL. 480 funds invested in the various development schemes at present ; and

(b) the efforts being made by Government in the direction of making these development schemes self-reliant ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी रुपया-राशियां मुख्यतः रिजर्व बैंक में रखता है जो उन्हें भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में लगाता है । इस प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका की ये रुपया-राशियां सीधे किन्हीं विशिष्ट विकास योजनाओं में नहीं लगाई जातीं । 31 दिसम्बर, 1971 को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा धारित पी० एल० 480 निधियों के आंकड़े 24 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1224 के उत्तर में प्रस्तुत किये गये विवरण में दिये गए थे ।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत कृषि-वस्तुओं की बिक्री से संयुक्त राज्य अमेरिका को प्राप्त रुपया-राशियों में से, संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार को ऋण और अनुदान के रूप में क्रमशः कुल 1410.75 करोड़ रुपये और 376.68 करोड़ रुपये दिये हैं । जिन योजनाओं के लिए भारत सरकार को ऋण और अनुदान मिले हैं उनका विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1752/72]** । इनमें से कई योजनायें

पूरी हो चुकी हैं और हो सकता है कि उनके लिये अतिरिक्त परिव्यय की आवश्यकता न पड़े, बहरहाल, ये आयोजनागत योजनायें हैं और इनके लिए आवश्यक धनराशि के लिए बजट में व्यवस्था की जाती रहेगी।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, Sir, a sum of Rs. 31 crores and 50 lakhs from out of the loan of Rs. 1440 crores 75 lakhs and a sum of Rs. 19 crores from out of the grant of Rs. 31 crore and 50 lakhs has been spent on Chambal Valley Project but this amount is not sufficient in view of the needs of that area. Government has regarded Bhind and Morena as backward areas. The canals that have been built there for the development of Chambal valley are altogether insufficient. Now that you are about to spend more money for the development of that area you should see that the money is properly utilised.

It has been said that Rs. 37 crores have been spent for this national highway but no attention has been paid to the national highway between Delhi to Bombay. Accidents on that highway are quite frequent. Are you going to spend some money on it ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : हम अपनी विकास योजनाओं हेतु विभिन्न देशों से प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता पर ही निर्भर नहीं रह सकते अपनी आवश्यक्ताओं को हमें अपनी बजट व्यवस्थाओं से पूरा करना होगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : My question is whether you are going to spend any money over and above the PL. 480 loan.

Shri Y. B. Chavan : Yes, if it is necessary.

Shri Hukam Chand Kachwai : From the figures given by you about slum areas, it appears that a sum of Rs. 64 crores and 8 lakhs has been spent on slums in towns. I want to know the names of those A and B areas that have been selected by you for slum clearance. It has also been said that some schemes have been implemented and some are still pending. I want to know which schemes have been implemented and which are yet pending.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य ने मुझसे सहायतार्थ प्राप्त धन के उपयोग तथा उन योजनाओं के बारे में पूछा है, जिन पर यह धन व्यय किया जायगा । यदि वह उपयोग के ब्यौरों को जानना चाहते हैं कि योजनायें पूरीं हुई हैं अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों अथवा परियोजना प्राधिकारियों से परामर्श करके ही उत्तर दिया जा सकता है। एकदम इनका उत्तर देना मेरे लिए संभव नही है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, Sir, I had asked the question in Hindi but the hon. Minister has replied in English. I have not been able to follow a word.

Mr. Speaker : The hon. Minister says that you had put question about PL-480 in general form. You had not asked about the details. How could he answer these questions offhand like that.

Shri Hukam Chand Kachwai : In part (b) of the question I have asked about the efforts being made by Government in the direction of making these development schemes self-reliant ?

अध्यक्ष महोदय : सामान्य प्रश्न पर अधिक ब्यौरों के बारे में नहीं पूछा जा सकता।

अल्प-सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

सीमाशुल्क विभाग, नई दिल्ली के गोदाम में आग

श्री शशि भूषण : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल रैवन्यू बिल्डिंग, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली स्थित सीमा शुल्क विभाग के गोदाम में आग लग गई थी ;

(ख) यदि हां, तो आग लगने के क्या कारण थे और उसके परिणाम-स्वरूप कितनी हानि हुई ; और

(ग) क्या कुछ सरकारी रिकार्ड भी जल गया था, और यदि हां, तो जल जाने वाले दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) आग लगने के कारण की स्थानीय पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। इस कार्य में अपराध शाखा तथा अन्य विशेषज्ञ उनकी सहायता कर रहे हैं। पुलिस की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। आग लगने के कारण नष्ट हुए माल का मूल्य लगभग 24,000/- रुपये है.

(ग) आग से कोई सरकारी रिकार्ड नहीं जला था।

Shri Shashi Bhushan : When the fire broke out in Customs Department, the lights were on. It is clear from the newspaper reports that fire was not caused due to short circuit ; what is the cause of fire in such a situation ?

The fire broke out long before. Have you been able to get details of the loss caused by fire and the cause of fire ?

श्री के० आर० गणेश : यह कहना ठीक नहीं है कि जिस समय सीमा शुल्क विभाग में आग लगी, उस समय बत्ती जल रही थी। वहां उपस्थित प्राधिकारियों की राय है कि उस समय बत्ती नहीं जल रही थी।

जहां तक आग लगाये जाने के कारणों का सम्बन्ध है, पुलिस इस बारे में जांच कर रही है और अपराध शाखा उनकी सहायता कर रही है। विस्फोटकों का पता लगाने वाले अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है और वे यथावश्यक गुप्तचर विभाग से सहायता ले रहे हैं। ऐसी अवस्था में जब कि पुलिस मामले की छान-बीन कर रही है, आग लगने के कारणों को बताना मेरे लिए संभव नहीं। इन कारणों का पता लगाना पुलिस का काम है। विभागीय अधिकारियों ने अपनी राय पुलिस को बता दी है।

जहां तक आग से जले हुए नुकसान का सम्बन्ध है मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह क्षति 24,000 रुपये के लगभग है और जलने वाली वस्तुओं के अन्तर्गत पत्रिकाएं, कैलेन्डर, ट्यूब-टायर, मशीनों के पुर्जे, हाथ करघा वस्त्र, प्लास्टिक की वस्तुएं, कालीन, शराब, नायलोन के कपड़े आदि सम्मिलित है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने भी इस प्रश्न की सूचना दी थी। हो सकता कि विलम्ब के कारण मेरा नाम इसमें नहीं जोड़ा गया है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। (क) क्या यह सच है कि फरवरी 1970 में पकड़ी गई, 900 पौंड अफीम न्यायालय में दिखाने हेतु इसी गोदाम में रखी हुई थी ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह अफीम आग में जल गई है अथवा कि अग्नि शमन के दौरान पानी में बह गई; और (ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली पुलिस के गुप्तचर विभाग तथा केन्द्रीय जाँच ब्यूरों ने, जो कि आग लगने के कारणों के बारे में जांच कर रहे हैं, यह सम्भावना व्यक्त की है कि आग तार जल जाने के कारण नहीं लगी ?

श्री के० आर० गणेश : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है आग लगने के समय स्टोर में अफीम नहीं रखी हुई थी। अतः कोई अफीम नष्ट नहीं हुई। जहां तक माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है इस बारे में अभी हमें केन्द्रीय जाँच ब्यूरो तथा पुलिस की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह समाचार ब्लिट्ज पत्रिका में छपा था।

श्री के० आर० गणेश : मैंने विशिष्ट रूप से मना किया है कि यह रिपोर्ट ठीक नहीं है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : ऐसी अफवाह है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के लोगों को, जो कि मामले की छान-बीन कर रहे हैं, अधिकारियों द्वारा पूर्ण सहयोग नहीं दिया जा रहा है। यदि यह बात सच है तो क्या सरकार इस शक को दूर करेगी ?

श्री के० आर गणेश : माननीय सदस्य का सन्देह आधार-रहित है। हम सभी तथ्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो के समक्ष रख रहे हैं। हम उन कारणों की जड़ तक पहुंचना चाहते हैं जिनके कारण आग लगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

मिग-21 विमान की सुधारी हुई किस्म का उत्पादन

*402. **डा० कर्ण सिंह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में मिग-21 की सुधारी हुई किस्म के उत्पादन में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मिग-21 के संशोधित रूप का निर्माण कार्य हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड को सौंपा गया है। वायुयान का उत्पादन 1973-74 से आरम्भ होने की आशा है।

युद्ध-विधवाओं को रोजगार देना

*403. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध-विधवाओं को रोजगार देने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) अब तक कितनी विधवाओं को रोजगार दिया गया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) युद्ध के कारण हुई विधवाओं के पुनर्वास की समस्या का कई उपायों द्वारा सामना किया जा रहा है। उदार पेंशन लाभों की 24 फरवरी 1972 को जारी की गई थी। अन्तरिम उपाय के रूप में सरकार ने शोक सन्तप्त परिवारों को दिसम्बर 1971 और जनवरी 1972 मास के पूरे वेतन और भत्तों की मन्जूरी दे दी थी।

2 रोजगार के मामले में विधवा सहित शोक-सन्तप्त परिवार के अधिक से अधिक दो सदस्यों को केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों और विभागों में श्रेणी iii और श्रेणी iv के पदों में वरीयता दी जाती है। अनेक राज्य सरकारों ने उसी प्रकार की सुविधायें दी हैं। रक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत पदों पर रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हुए बिना रोजगार दिया जायेगा।

(3) युद्ध के कारण हुई विधवाओं और विकलांग कार्मिकों के पुनर्वास कार्य को देखने के लिए एक विशेष संगठन की स्थापना की गई है। यह संगठन पुनर्व्यवस्थापन महानिदेशालय के कार्यों में भी सहायता करेगा।

पाकिस्तान में भारतीय युद्ध-बन्दियों की पूरी सूची का पाकिस्तान सरकार द्वारा न दिया जाना

*404. **श्री बयालार रवि** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के कब्जे में सभी भारतीय युद्ध-बन्दियों, विशेष कर नौजवान अफसरों के नाम पाकिस्तान सरकार ने नहीं दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो रेड क्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति के माध्यम से भारतीय युद्ध-बन्दियों की पूरी सूची प्राप्त करने के लिए किये गये प्रयास कहां तक सफल सिद्ध हुये हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) कुल 1006 गुमे हुए मिलिट्री रेडक्रास पैरा मिलिट्री कार्मिकों में से पाकिस्तान ने अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति के द्वारा 638 को घोषित किया है जिसमें एक बिना शिनाख्त का युद्ध बन्दी के रूप में है। शेष 369 में से सशस्त्र सेनाओं तथा जम्मू तथा कश्मीर मिलीशिया के 328 कार्मिकों की सूचियों को अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति को पाकिस्तानी प्राधिकारियों के साथ सत्यापित करने के लिये भेजा गया है। शेष 41 जो कि सीमा सुरक्षा दल की सूची के हैं सत्यापित किये जा रहे हैं तथा बाद में अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति को भेजा जायगा। अभी तक जो सूचियां अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति को भेजी गई है जिनकी अभी तक जांच की जा रही है।

Proposal for Mounting of Son-et-Lumiere in Shalimar Gardens, Srinagar (Kashmir)

*406. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have approved the proposal for mounting of Son-et-Lumiere in Shalimar Gardens, Srinagar (Kashmir) and if so, the total expenditure to be incurred thereon ;

(b) whether the equipment for the purpose is proposed to be imported from Holland ; and

(c) if so, the estimated cost thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir. The total expenditure is expected to be Rs. 26.30 lakhs.

(b) and (c) : Yes, Sir. The estimated cost is Rs. 4,12,735/-.

विदेशी कम्पनियों द्वारा अपने देशों को धन भेजा जाना

*408. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी कम्पनियों ने जो वर्ष प्रति वर्ष अपना पूरा लाभांश अपने देशों को भेजती रही है अब अपनी रक्षित निधियों में से भी बड़ी राशियां विदेश स्थित अपने मुख्यालयों को भेजना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) क्या बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा इन कम्पनियों की उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुए सामान्यतः अधिक रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ विदेशी कम्पनियां, खासकर विदेशी स्वामित्व वाली तेल-शोधक कम्पनियां ऊंची दरों पर लाभांश घोषित करने के लिए अपनी प्रारक्षित निधियों से भारी मात्रा में निकासियां करती रही हैं जिनके परिणामस्वरूप विदेशी प्रेषणाओं में वृद्धि हुई है । अब सरकार ने एक निर्णय लिया है जिसके अन्तर्गत, शतप्रतिशत विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियों द्वारा अपनी आरक्षित निधियों में से पूर्णतः अथवा अंशतः घोषित लाभांशों के सम्बन्ध में प्रेषण सुविधाएं तभी दी जायंगी जब रिजर्व बैंक को इस बात का सन्तोष हो जायगा कि (i) प्रारक्षित निधियों से निकासियां केवल इसलिए की गयी हैं कि लाभांश की राशि, पिछले 5 वर्षों में घोषित लाभांश के औसत के बराबर अथवा चुकता पूंजी के 10 प्रतिशत के बराबर इसमें से जो अधिक हो, हो जाय, (ii) प्रारक्षित निधियों से निकाली जाने वाली राशि, वर्ष के शुरू में, कम्पनी की चुकता पूंजी और मुक्त प्रारक्षित निधियों के जोड़ के 10 प्रतिशत से अधिक न हो और (iii) निकासी के बाद बची हुई मुक्त प्रारक्षित निधि, चुकता पूंजी और उपर्युक्त (ii) में उल्लिखित प्रारक्षित निधियों के जोड़ के 15 प्रतिशत से कम न हो ।

Preference in Civil Services to Released Emergency Commissioned Officers

*414. **Shri Jagannath Rao Joshi :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government have laid down any policy for guaranteeing employment and giving preference in Civil Services to the released Emergency Commissioned Officers ; and

(b) if so, the outlines thereof ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b) : Certain measures have been taken to ensure suitable rehabilitation of the released ECOs. A Statement, indicating those measures, is laid on the Table of the House.

Statement

Various steps taken towards the resettlement of released *ECOs in civil employments and in self-employment are outlined below :

***Emergency Commissioned Officers.**

1. Reservations have been made in All India and Central Services for released ECOs/ *SSCOs both in respect of permanent and long-term temporary vacancies to be filled by direct recruitment as follows :-

***Short Service Commissioned Officers.**

IAS/IFS	20%
IPS	27%
Class I	25%
Class II	27%

The reserved vacancies in All India and Central Services are filled up by a special Competitive examination held by the UPSC exclusively for the EC/SSCOs. They have only to appear in three papers namely, Essay, 'General English' and 'General Knowledge'. The age limit i.e. 24 years is taken as on 1st August of the year of joining the pre-commissioning training.

2. State Governments have also agreed to reserve certain precentages of vacancies in their Class I and Class II (non-technical) posts for released ECOs.

3. Relaxation in educational qualifications has been allowed to the ECOs/SSCOs whose studies were interrupted due to their having joined the Army with the consequence that they could not acquire the requisite minimum educational qualification of a Degree for appointment to the civil services.

4. For released ECOs/SSCOs holding Engineering Degrees, 32% of vacancies in Class I and Class II Services had been reserved. This has since been reduced to 27%, due to raising the reservation for Scheduled Caste/Scheduled Tribes. Selection of candidates is made on the basis of an interview by the UPSC instead of their having to sit for a written examination.

5. ECOs who have risen from the ranks and have not been found fit for grant of Permanent Commission are considered for reversion, at least to JCO's rank on a purely voluntary basis, and each case of such reversion is examined on merits.

6. The State Governments have been requested to extend all facilities including finance, technical know-how, raw materials etc. to released emergency commissioned officers in their efforts to organise cooperatives in the industrial sector.

7. Guidance for setting up Small Industries as a measure of self-employment of released ECOs, in industrial estates, in agriculture etc., is being given to them by an officer specially appointed for this purpose under the Directorate General of Resettlement of this Ministry.

8. To help the ECOs, a number of re-orientation courses in the field of Business, Industrial and Personnel Management have been arranged. 253 ECOs have so far undergone such courses.

9. Efforts are made to persuade the Public Sector Undertakings under the various Central Government Departments to absorb the released ECOs. Such efforts are also being made with the Private Sectors Undertakings by the Officers on Special Duty at Delhi and Bombay, under the Directorate General Resettlement in this Ministry.

10. State Bank of India as well as other nationalised Banks having an element of direct recruitment in their officers cadres have reserved/agreed to reserve 20%-25% of the vacancies filled by direct recruitment, for released ECOS.

11. The UPSC had agreed to consider Survey-trained released ECOs for oppointment in the Survey of India in a civilian capacity and such of them as were found fit have in fact, been absorbed-offered appointment in the Survey of India.

A scheme has been introduced under which an interest - free loan up to Rs. 2,000/- can be sanctioned to deserving individual ex-Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officers on merits for undergoing the following training/higher educational studies within the country :

(a) Professional training

(b) Management training

(c) Educational studies qualifying for a degree or above.

लघु औषध निर्माण एककों की कठिनाइयों का पता लगाने के लिए गठित अध्ययन दल का प्रतिवेदन

*417. **श्री सी० चित्तिबाबू :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के परिणामस्वरूप लघु औषध निर्माण एकको को हुई कठिनाइयों का पता लगाने के लिए नियुक्त किये गये लघु अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) लघु अध्ययन दल की महत्वपूर्ण सिफारिशों का उल्लेख संलग्न विवरण पत्र में किया गया है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1753/72]**

(ख) इन सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है ।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैनिक अकादमी में प्रवेश पाने वालों की संख्या में कमी

*418. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैनिक अकादमी में प्रवेश पाने वालों की संख्या में तेजी से कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाया है ; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

अनाज, सीमेंट, चीनी और मोटे कपड़े के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण

*419. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनाज, सीमेंट, चीनी और मोटे कपड़े आदि के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने के प्रस्ताव हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) आर्थिक क्रियाकलाप के किसी भी क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण का निश्चय लोक-हित को ध्यान में रख कर किया जाता है। फिर भी, सरकार सरकारी वसूली और वितरण प्रणाली के माध्यम से, मुख्य अनाजों के थोक व्यापार का काफी काम पहले से ही कर रही है। जनवरी, 1972 से, चीनी के उत्पादन के 60 प्रतिशत भाग की बिक्री, उचित दर/राशन की दुकानों से करने के प्रबन्ध भी किये गये हैं। कारखानों से चीनी की निकासी का भी विनियमन कर दिया गया है। प्रत्येक तिमाही में, नियन्त्रित मूल्य पर बेचे जाने वाले 10 करोड़ वर्ग मीटर कपड़े का उत्पादन करने के लिए कपड़ा मिलों के साथ प्रबन्ध किये गये हैं ; उचित वितरण व्यवस्था किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है। सीमेंट के मूल्य तथा वितरण पर कई वर्षों से नियन्त्रण लागू है।

कनाडा से वित्तीय सहायता

*420. **श्री पी० गंगा देव** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विकास कार्यक्रमों के बारे में भारत और कनाडा के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई है ;

(ख) क्या कनाडा ने भारत को अपनी सहायता में काफी वृद्धि करने की इच्छा व्यक्त की है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित वृद्धि कितनी होगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां। बातचीत मुख्यतः 1972-73 के वर्ष के लिए कनाडा द्वारा दी जाने वाली सहायता के बारे में हुई।

(ख) और (ग) कनाडा के प्रतिनिधियों द्वारा इस बात का संकेत नहीं किया जा सका कि वस्तुतः कितनी सहायता दी जायगी, क्योंकि अभी तक कनाडा के मंत्रि-मंडल ने 1972-73 के वर्ष के लिए आर्थिक सहायता की राशि का निर्धारण नहीं किया है।

बिहार में उत्पादन शुल्क की बकाया राशि

2780. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों से बिहार में, जिलावार, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की कितनी राशि बकाया है।

(ख) ऐसे कितने मामले दो वर्ष से अधिक समय से लम्बित हैं ; और

(ग) बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) बिहार में गत दो वर्षों में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की बकाया की कुल राशि 5,77,54,000 रुपये है। जिलावार ब्यौरा निम्नानुसार है :—

	जिला	राशि (रुपये 000)
1	सिंहभूम	3,04,83
2	रांची (संथाल परगना जिला सहित)	2,47
3	धानबाद	1,49
4	हजारीबाग	20
5	शाहाबाद (पालामऊ जिला सहित)	3,12
6	गया	76
7	मुंगेर	2,33,92
8	पटना	1,31
9	भागलपुर	76
10	छपरा	9,67
11	मुजफ्फरपुर	6,78
12	मोतीहारी	5,70
13	दरभंगा	2,45
14	पूर्णिया (सहरसा जिला सहित)	4,08

(ख) 45,382 मामले।

(ग) मांगों के एक बड़े हिस्से के बारे में न्यायालयों में विवाद उठाया गया है तथा विभागीय अधिकारियों के सम्मुख भी अपीलें और नजरसानी की दरख्वास्तें प्रस्तुत की गयी है। न्यायालयों में 244 लाख रुपये से अधिक की राशि के मामले पड़े है और इसलिये वे न्याय-निर्णयाधीन है। लगभग 147 लाख रुपये अपीलों तथा नजरसानी की दरख्वास्तों के कारण रुके पड़े हैं। लगभग 12 लाख रुपये के मामलों में राज्य सरकार के अधिकारियों को वसूली के लिये लिखा गया है। शेष राशि अर्थात् लगभग 174 लाख रुपये के बारे में समझा-बुझा कर वसूली की कार्रवाई की जा रही है।

बिहार में आय-कर की बकाया राशि

2781. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रांची, गिरीडीह, पटना और डालटनगंज के किन-किन व्यक्तियों और फर्मों पर एक लाख रुपये और इससे अधिक का आयकर बकाया है और इन पर बकाया कुल राशि कितनी हैं ; और

(ख) इनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) 31-3-1972 की यथास्थिति के अपेक्षित विवरणों को इक्ट्ठा किया जा रहा है और यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा इंजीनियरिंग और चिकित्सा स्नातकों को मंजूर किये गये ऋण

2782. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बिहार में इन बैंकों से ऋण के लिए कितने इंजीनियरिंग और चिकित्सा स्नातकों ने आवेदन दिये ; और

(ख) इनमें से कितने आवेदकों को ऋण दिये गये और दिये गये ऋण की राशि कितनी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) माननीय सदस्य ने इंजीनियरिंग और चिकित्सा स्नातकों को दिये गये अग्रिमों से सम्बन्धित जैसे आंकड़े मांगे हैं वैसे आंकड़े अलग-अलग नहीं रखे जाते । किन्तु ऐसे व्यक्तियों को दिये जाने वाले अग्रिम छोटे पैमाने के उद्योगों और व्यावसायिक तथा आत्म-नियोजित व्यक्तियों के वर्गों के अन्तर्गत आते हैं । दिसम्बर 1971 के अन्त तक बिहार राज्य में इन वर्गों को दिये गये अग्रिम से सम्बन्धित आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा दिये गये अग्रिम

वर्ग	उधार-खातों की संख्या	बकाया (लाख रुपयों में)
छोटे पैमान के उद्योग	855	504.64
व्यावसायिक तथा आत्म-नियोजित व्यक्ति	558	16.82

टिप्पणी : आंकड़े अनन्तिम हैं ।

बिहार में आय-कर की बकाया राशि

2783. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में (जिलावार) वर्ष 1971-72 के अन्त तक आय-कर की कुल कितनी राशि बकाया थी ; और

(ख) बिहार में बकाया राशि वसूल करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए और उनका क्या परिणाम रहा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) अपेक्षित विवरणों को एकत्रित किया जा रहा है और यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

भारत में तेल शोधक कारखाने

2784. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कितने तेल शोधक कारखाने हैं और सरकार की चौथी पंचवर्षीय

योजना की अवधि में ऐसे कितने कारखाने स्थापित करने का विचार है तथा इनकी क्षमता कितनी होगी ।

(ख) क्या बिहार के छोटा नागपुर जैसे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) भारत में इस समय कुल मिला कर नौ तेल परिष्करणशालायें हैं; जिनमें से पांच सरकारी क्षेत्र में हैं । पश्चिमी बंगाल के हल्दिया नामक स्थान पर निर्माणाधीन प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन मीटरी टन क्षमता की एक परिष्करणशाला जिसके 1973 के मध्य तक उत्पादन शुरू कर देने की आशा है, के अतिरिक्त सरकार ने असम में बोंगेगांव नामक स्थल पर प्रतिवर्ष 1 मिलियन मीटरी टन क्षमता की एक तेल परिष्करण-शाला स्थापित करने के एक प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है । देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में प्रति-वर्ष 6 मिलियन मीटरी टन की एक परिष्करणशाला स्थापित करने के एक और प्रस्ताव पर भी सरकार विचार कर रही है । इसके स्थान के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है । इन दोनों प्रायोजनाओं के पांचवी योजना अवधि के दौरान चालू हो जाने की आशा है ।

(ख) और (ग) : नई परिष्करणशालाओं के स्थान मुख्यतः तकनीकी आर्थिक आधार पर निश्चित किये जाते हैं ।

अधिकांश विदेशी पूंजी वाली औद्योगिक कम्पनियों के संबंध में नीति

2785. **श्री शशि भूषण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी निवेश के संबंध में अपनी नीति में परिवर्तन कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार अधिकांश विदेशी पूंजी वाली औद्योगिक कम्पनियों के 51 प्रतिशत शेयर राष्ट्रीय हित में अपने अधिकार में लेने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) जी नहीं । सरकार ने अपनी विदेशी निवेश नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया है ; यह नीति मोटे रूप से, उन क्षेत्रों में, जहां विदेशी पूँजी वास्तविक योगदान कर सकती है, 50 प्रतिशत से कम शेयरों के आधार पर, विदेशी पूंजी का स्वागत करने की है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।

अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों को मुआवजे संबंधी 1929 की वारसा कनवेंशन

2786. **श्री वयालार रवि** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों को मुआवजे संबंधी 1929 की वारसा कनवेंशन में हेग में 1955 में किये गये संशोधन को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) क्या 1971 के अन्त में कम्पम में हुई दुर्घटना में हताहतों से इस कनवेंशन के अनुसार मुआवजा दिए जाने के लिए कोई दावा प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं। परन्तु 1965 के हेग प्रॉटोकोल के उपबन्धों को लागू करने के लिये भारतीय विमान द्वारा वहन अधिनियम, (इंडियन कैरिज बाइ एयर एक्ट), 1934 में वैधानिक कार्यवाही द्वारा संशोधन करने का प्रस्ताव है।

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स को मुआवजे के लिये कुछ '**क्लेम**' (दावे) प्राप्त हुये हैं परन्तु इनका सम्बन्ध हेग प्रॉटोकोल से नहीं है।

(ग) सभी दावों पर उन पर लागू होने वाले कानूनों, करारों और अभिसमयों के अनुसार शीघ्रतापूर्वक विचार किया जा रहा है।

कम्पम विमान दुर्घटना में हताहतों को मुआवजा

2787. **श्री वयालार रवि** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 के अन्त में कम्पम में हुई विमान दुर्घटना में हताहतों को कुल कितना मुआवजा दिया गया ; और

(ख) प्रत्येक को कितना-कितना मुआवजा दिया गया ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा मृतक/घायल यात्रियों के सम्बन्धियों से प्राप्त दावों का, कानूनी कार्रवाइयां पूरी न होने के कारण, निपटारा अभी होना है।

मृत्यु अथवा किसी प्रकार की शारीरिक चोट की हालत में इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा दिये जाने वाले मुआवजे की राशि निम्न प्रकार है —

यात्री :

(i) मृत्यु अथवा यात्री को किसी प्रकार की शारीरिक चोट या घाव जो कि उसे अपने व्यापार या व्यवसाय को करने में स्थायी रूप से अशक्त कर देता है :–

(क) दुर्घटना की तारीख को यात्री के 12 वर्ष या उससे अधिक आयु का होने की हालत में....	42,000.00 रुपये
(ख) दुर्घटना की तारीख को यात्री के 12 वर्ष या उससे कम आयु का होने की हालत में....	21,000.00 रुपये

(i) यात्री को किसी प्रकार की शारीरिक चोट लगने के कारण जो कि उसे अस्थायी रूप से अशक्त कर उसे अपने सामान्य व्यापार या व्यवसाय को करने या कर्तव्यों का निर्वाह करने से पूर्णतया रोक देती है।	अशक्त रहने की अवधि के दौरान 40/- रुपये प्रतिदिन या 8000/- रुपये, जो भी कम हो ।

उपरोक्त जोखिम भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जारी की गई पालिसी के अन्तर्गत आ जाता है ।

कर्मीदल

कर्मीदल के सदस्यों की मृत्यु अथवा अपंगता की हालत में इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा दिये जाने वाले मुआवजे की राशि निगम के सेवा नियमों द्वारा अधिशासित होती है । इस मामले में दिया जाने वाला निम्न प्रकार है :

कमांडर	80,000.00 रुपये + मूल वेतन का 36 गुणा : कुल ....1,59,200.00 रुपये
प्रथम आफिसर	70,000.00 रुपये + मूल वेतन का 36 गुणा : कुल ....4,08,160.00 रुपये
विमान परिचारिकाएं ... (दो)	42,000.00 रुपये + मूल वेतन का 36 गुणा : कुल ... ...59,460.00 रुपये (प्रत्येक)

कैप्टेन तथा दो विमान परिचारिकाओं के नामितों को 2,48,390.00 रुपये की राशि का मुआवज़ा दिया जा चुका है । कर्मीदल के चौथे सदस्य के दावे का निपटान कानूनी कार्रवाइयां पूरी हो जाने पर कर दिया जायेगा । ज्यूंही कानूनी कार्रवाइयां पूरी हो जाएंगी मृत यात्रियों के दावों का एक-एक कर के निपटारा कर दिया जाएगा ।

केरल के तट पर तस्करी

2788. **श्री वयालार रवि :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 और 1971-72 में केरल के तट पर सीमाशुल्क अधिकारियों ने तस्करी के कुल कितने मामलों का पता लगाया और इसमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त थी ;

(ख) क्या केरल तट पर तस्करी बढ़ रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) केरल समुद्रतट पर सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान पता लगाये गये तस्कर-व्यापार के मामलों की कुल संख्या तथा उनमें अन्तर्ग्रस्त रकम निम्नानुसार है :—

वर्ष	मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त रकम (रु० में)
1970-71	412	86,08,853
1971-72	514	78,78,422

(ख) तथा (ग) यह कहना संभव नहीं है कि केरल समुद्रतट पर तस्कर-व्यापार में वृद्धि हो रही है अथवा नहीं । तथापि, देश में तस्कर-आयात की रोक-थाम के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रशासनिक, विधायी तथा आर्थिक उपाय किये गये हैं । सरकार द्वारा किये गये उपायों में से महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं :–

व्यवस्थित ढंग से सूचना एकत्रित करना तथा उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना, जिन व्यक्तियों पर तस्कर आयात-निर्यात करने का संदेह हो उन पर निगरानी रखना, जिन जलयानों अथवा वायुयानों पर संदेह हो उनकी तलाशी लेना तथा समुद्रतट और स्थल सीमाओं के सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों की जांच करना । सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों में अनन्य रूप से तस्कर विरोधी कार्य की देख भाल करने के लिए सीमाशुल्क के समाहर्ता, अपर समाहर्ता तथा सहायक समाहर्ता जैसे कुछ वरिष्ठ ओहदे के अधिकारियों को तैनात किया गया है । जब्त की गई कुछ नौकाएं तथा बहुत सी गाड़ियां सीमाशुल्क अधिकारियों के अधिकार में रखी गई हैं । कुछ वस्तुओं के अवैध आयात-निर्यात को रोकने तथा उन वस्तुओं को रोके जाने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष उपाय के रूप में सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 को संशोधित करके अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं । उन उपायों की निरन्तर समीक्षा की जाती है ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में कोयला खानों के विकास के लिए विश्व बैंक से ऋण

2789. **श्री प्रताप सिंह नेगी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों के विकास के लिए 17 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त करते समय विश्व बैंक को कोई वचन/प्राप्त आश्वासन दिया था अथवा कोई समझौता किया था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे वचन/स्वीकृति और आश्वासन का मूल पाठ क्या है ; और

(ग) क्या उक्त ऋण की सब किश्तों का भुगतान समय पर कर दिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) (क) तथा (ख) : गैर-सरकारी क्षेत्र की कोयले की खानों द्वारा उपकरणों का आयात करने के लिए विश्व बैंक द्वारा 1961 में दिये गये 3.5 करोड़ डालर के ऋण के संदर्भ में (जिसमें से 2.879 करोड़ डालरों का उपयोग कर लिया गया ओर शेष को रद्द कर दिया गया है), बैंक को उस समय गैर-सरकारी क्षेत्र में कोयला उद्योग के विकास के संबंध में सरकार की नीतियां स्पष्ट कर दी गयी थीं । ऋण करार में बहुत से अभिसमय निर्धारित किए गए थे, ऋण करार की एक प्रति संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है । ऋण करार की धारा 5.04 (ख) के अनुसार भारत सरकार तथा विश्व बैंक समय-समय पर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, ऋण के प्रयोगों, प्रयोजनों तथा ऋण-परिशोधन से संबंधित मामलों के संबंध में विचार-विमर्श करेंगे और यदि किसी बात से ऋण के प्रयोजनों की पूर्ति या ऋण-परिशोधन में बाधा पड़ती हो या बाधा पड़ने की आशंका हो तो भारत सरकार विश्व बैंक को उसकी सूचना देगी ।

(ग) जी, हां ।

तमिलनाडु में अकाल राहत कार्यों के लिये वित्तीय सहायता

2790. **श्री महुम्मद शरीफ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार नें अकाल राहत-कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता देने को कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता मांगी गई है और सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) : 1971-72 में तमिलनाडु सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

भारत और पाकिस्तान में पद-वार और सैक्टर-वार युद्धबन्दियों की संख्या

2791. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाक युद्ध में भारत द्वारा पद-वार और सैक्टर-वार कितने पाकिस्तानी युद्धबन्दी बनाये गए ;

(ख) पाकिस्तान ने पद-वार और सैक्टर-वार कितने भारतीय युद्धबन्दी बनाए ; और

(ग) पाकिस्तान के साथ अब तक कितने युद्धबन्दियों का तबादला किया जा चुका है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) :

(क)	पश्चिमी सैक्टर	पूर्वी सैक्टर	योग
सेना			
अफसर	7	1,682	1,689
जे० सी० ओ०	8	1,943	1,951
अन्य रैंक (जिसमें एन०सी०ओ० शामिल हैं)	296	50,121	50,417
एन०सी०ई०	1	704	705
पैरा मिलिट्री—नौसेना	226	18,091	18,317
अफसर	....	91	91
पी०ओ०	....	181	181
रेटिंग	....	1,105	1,105
एन०सी०ई०	....	32	32
वायु सेना			
अफसर	....	59	59
डब्लू०ओ०	....	15	15
एयरमैन		755	755
एन०सी०ई०	....	6	6
योग	538	74,785	75,323

(ख) **सेना**			
मेजर	1	....	1
कैप्टेन	4	1	5
2/ले०	3	....	3
सूबेदार	6	1	7
नायब सूबेदार	9	....	9
हवालदार	15	1	16
ला० हवालदार	2	....	2
नायक	36	2	38
ला० नायक	44	2	46
सिपाही	389	11	400
एन०सी०ई०	2	....	2
योग	511	18	529

	पश्चिमी सैक्टर	पूर्वी सैक्टर	योग
वायु सेना			
विंग कमांडर	1	....	1
एक्वाडन लीडर	2	....	2
फ्लाईट ले०	6	....	6
फ्लाइंग अफसर	3	....	3
योग	12	....	12
सीमा सुरक्षा दल			
सब इंस्पेक्टर	3	....	3
हेड कांस्टेबल	11	....	11
नायक	6	....	6
ला० नायक	7	....	7
कांस्टेबल	57	....	57
फालोवरज़	8	....	8
योग	92	....	92
जे तथा के मलेषिया			
ला० नायक	2	....	2
सिपाही	2	....	2
योग	4	....	4

(ग) **बिना शनाख्त के**

पाकिस्तानी बन्दी	....	62
भारतीय बन्दी		18

मारे गये, घायल हुए और लापता सैनिकों की पद-वार और सैक्टर-वार संख्या

2792. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाक युद्ध में कितने पद-वार और सैक्टर-वार सैनिक घायल हुए ;

(ख) पद-वार और सैक्टर-वार कितनों को लापता घोषित किया गया ;

(ग) कितने लापता सैनिक अब तक पाकिस्तान द्वारा बनाये गए युद्धबन्दियों के रूप में खोजे जा चुके हैं ; और

(घ) पद-वार और सैक्टर-वार कुल कितने सैनिक मारे गए ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) (क) से (घ) : सूचना संलग्न विवरण 1 से 4 में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-1754/72]

युद्ध में अपंग हुए सैनिकों के लिये रोजगार

2793. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत भारत-पाक युद्ध में अपंग हुए उन सैनिकों और अफसरों की संख्या कितनी है जिन्हें सरकार द्वारा अब तक वैकल्पिक रोजगार जुटाया जा चुका है; और

(ख) उन सैनिकों और अफसरों की संख्या कितनी है जिन्हें गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा रोजगार दिया गया ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : **(क) और (ख)** : पिछले भारत-पाक संघर्ष के दौरान अशक्त हुए सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों का अभी तक सैनिक अस्पतालों में इलाज हो रहा है। सरकार आवश्यक प्रबन्ध कर रही है जिससे उन्हें सेवा में रखने अथवा सेवा निवृत्त करने के प्रश्न का निश्चय हो जाने पर रोजगार दिया जा सके।

बंगला देश के शरणार्थियों के लिए सहायता

2795. **श्री जी० वाई कृष्णन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्रसंघ 'फोकल प्वाइटं' से अपील की थी कि भारत से बंगला देश लौटने वाले लाखों शरणार्थियों के पुनर्वास के खर्चे को जुटाने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का अन्तिम अनुरोध किया जाय, और

(ख) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र संघ 'फोकल प्वाइंट' की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हाँ; भारत सरकार ने इस बारे में 21 जनवरी 1972 को संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य कार्यालय (फोकल प्वाइंट) को एक स्मरण-पत्र दिया था। इस स्मरण-पत्र की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गयी है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1755/72]**

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ में शरणार्थियों संबंधी उच्च आयुक्त ने, तत्काल अतिरिक्त अंशदान के लिए सभी सदस्य सरकारों के नाम इस स्मरण-पत्र पर आधारित एक अपील जारी की थी।

भारत में बन्दी बनाये गये पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों द्वारा भागने का प्रयास

2796. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 मार्च, 1972 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों ने युद्ध बन्दी शिविर से भागने का प्रयास किया;

(ख) यदि हां, तो घटना के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति के प्रतिनिधियों को शिविर का दौरा करने की अनुमति दी गई थी और क्या इस मामले में जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो जाँच के क्या निष्कर्ष हैं और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) कैदियों ने रक्षकों पर काबू पाने का प्रयत्न किया और उनमें से कुछ ने रक्षक दल के एक सदस्य से राइफल छीनने का प्रयास किया था। 500 के लगभग अन्य कैदी बाडे और दरवाजे को और उसे तोड़ने की नीयत से भागे। कैदियों के नियंत्रण से बाहर हो जाने और पहरेदारों की ओर बढ़ने के कारण रक्षकों को गोली चलानी पड़ी थी ।

(ग) जी, हां ।

(घ) भारत में अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास समिति के मुख्य प्रतिनिधि ने रेड क्रास दल के साथ शिविर का दौरा करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कैदियों के नियन्त्रण से बाहर जाने और पहरेदारों की ओर बढ़ने के कारण गोली चलानी पड़ी थी ।

सभी युद्ध बन्दी शिविरों में सुरक्षा के काफी प्रबन्ध विद्यमान है ।

आयकर अधिकारियों द्वारा दिल्ली में मारा गया छापा

2797. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री पी० के० देव : } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने 8 मार्च, 1972 को दिल्ली में एक निजी निवास पर छापा मार कर ऐसे दस्तावेज बरामद किये थे, जिन से आयकर उल्लंघन के मामलों का पता चलता है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले के तथ्य संक्षेप में क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) जी, हां ।

(ख) आयकर विभाग ने 8 मार्च, 1972 को दिल्ली में दो व्यक्तियों के रिहायशी तथा व्यापार-स्थानों की तलाशी ली और कुछ खाता-बहियां तथा दस्तावेज पकड़े। इनमें से एक व्यक्ति ने रिट याचिका दायर की जिसमें तलाशी की वैधता पर आपत्ति की गई है और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कर-निर्धारण की कार्यवाही स्थगित करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

सरकारी उपक्रमों में संसद् सदस्यों का प्रतिनिधित्व

2799. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों के निदेशक मण्डल में निर्वाचित संसद् सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : सरकार ने यह निर्णय किया है कि सरकारी उपक्रमों के निदेशक बोर्ड सरकार से बाहर के ऐसे सदस्यों को अपने में आंशकालिक सदस्यों के रूप में शामिल कर सकते हैं जिनकी योग्यता औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा

वित्तीय उद्यम अथवा प्रशासन या मजदूर-संघ संगठनों के क्षेत्र में सिद्ध हो चुकी हो। यद्यपि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक बोर्डों में चुने हुए संसद् सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने का कोई प्रस्ताव नहीं है फिर भी संसद सदस्यों को बोर्डों में नियुक्त किया जा सकता है। ऐसी नियुक्तियां करते हुए सरकार संसद (अनहर्ता का निरोध) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) के उपबन्धों आदि को भी ध्यान में रखेगी।

भारतीय औषध उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिए कार्यवाही

2800. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औषध उद्योग पिछड़ा हुआ है और इसके उत्पाद महंगे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसका आधुनिकीकरण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क)और (ख) : औषधि उद्योग ने हाल ही के वर्षों में अधिक महत्वपूर्ण प्रगति की है और इसके परिणामस्वरूप एण्टीबायोटिक्स सल्फा ड्रग्ज, विटामिन्स, हारमोन्स आदि जैसी आवश्यक एवं जीवनरक्षक प्रपुंज औषधियों, जिनका पहले आयात किया जा रहा था, की विभिन्न किस्मों को (जटिल विनिर्माण करने वाली संक्रियाओं सहित) देश में इस समय तैयार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य देशों में इस सम्बन्ध में हो रहे विकासों को साथ-साथ ध्यान में रखते हुए, इस उद्योग द्वारा संक्रियाओं का आधुनिकीकरण करने के लिए सतत प्रयास किये जा रहे हैं। जहां तक सज्जित सूत्रयोगों (फारमूलेशन्स) के मूल्यों का सम्बन्ध है, उनकी अन्य देशों में प्रवृत मूल्यों से अनुकूलतया तुलना की जा सकती है।

Donations by Industries for Political Parties

2802. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether various industries have given donations towards Election Funds of some of the political parties after 1st January, 1970 ;

(b) if so, the amount of money donated to Election Funds during the said period ; and

(c) the reaction of Government in this regard ?

The Minister of Company Affairs (Shri Ragunatha Reddy) : (a) to (c) : Government has no information regarding the donations given by individual industrialists or partnership firms to election funds of the political parties. While companies have been statutorily prohibited from making any such donations with effect from the 28th May, 1969, there is no law prohibiting any individual or partnership firm from making donations to political parties or for political purposes.

बड़ौदा में नेफ्था क्रैकर की "डाउन स्ट्रीम" परियोजनाओं की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना

2803. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बड़ौदा में नैफ्था क्रैकर की 'डाउन स्ट्रीम' परियोजनाओं की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने की स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता भी पड़ेगी ; और

(ग) 'डाउन स्ट्रीम' परियोजनाओं पर कुल कितना खर्च आएगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां,

(ख) जी हां।

(ग) सरकारी क्षेत्र में निम्नलिखित अनुप्रवाही (डाउन स्ट्रीम) प्रायोजनाओं पर अनुमानित परिव्यय 112.11 करोड़ रुपये हैं :-

(1) एक्रीलोनीट्रस्इल	15.85 करोड़ रुपये
(2) पोलिबूटाडाइन	13.50 " "
(3) पोलीप्रोपीलीन	18.87 " "
(4) लो डैन्सिटी पोलिथिलीन	17.98 " "
(5) डैटरजैण्ट एल्किलेट	12.92 " "
(6) एथिलीन ग्लाइकोल	9.10 " "
(7) एक्रिलिक फाइबर	23.89 " "

State-wise Data of Indian P. O. Ws in Pakistan

2804. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state the state-wise break up of the number of Indian Prisoners of War in Pakistan custody ?

The Minister of Defence (**Shri Jagjivan Ram**) **:**

	Army	Air Force	J. & K. Militia	Total
Assam	64	..	..	64
Delhi	5	..	..	5
Gujarat	1	..	..	1
Haryana	54	2	..	56
Himachal Pradesh	7	..	..	7
Jammu & Kashmir	1	..	4	5
Kerala	11	1	..	12
Madhya Pradesh	1	1	..	2
Maharashtra	7	4	..	11
Manipur	24	..	..	24
Mysore	..	1	..	1
Punjab	62	1	..	63
Rajasthan	81	..	..	81
Tamil Nadu	5	..	..	5
Uttar Pradesh	54	2	..	56
West Bengal	2	..	..	2
Meghalaya	14	..	..	14
Mizo Ram	18	..	..	18
Nagaland	8	..	..	8
Nepal	108	..	..	108
Tripura	1	..	..	1
Nefa	1	..	..	1
Unidentified	..	..	..	1
Total :	529	12	4	546 (including one unidentified)

The above figures do not include 92 personnel of Border Security Force declared as Prisoners of War held in Pakistan. Details regarding them are being ascertained.

State-wise Data of Missing Armed Personnel

2805. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state the State-wise break-up of the number of Jawans and Officers of Indian Armed Forces missing during the last Indo-Pak War ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : The information is contained in the statement placed on the Table. [Placed in the Library. *See* No. LT-1756/72]

अमरीकी सहायता प्राप्त करने के लिए करार

2908. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन विभिन्न करारों का ब्यौरा क्या है जिनके अन्तर्गत भारत को अब तक अमरीकी सहायता प्राप्त होती रही है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : विकास-सहायता के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किये गए सभी करारों की प्रतियां, इनमें से प्रत्येक करार पर हस्ताक्षर होने पर, संसद-पुस्तकालय में भेज दी गई हैं और इनका अनुशीलन वहां किया जा सकता है।

बंगला देश के लिए उर्वरक कारखाने का निर्माण

2809. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने बंगला देश में कृषि के विकास के लिए एक उर्वरक कारखाना लगाने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) (क) और (ख) दोनों देशों के बीच सहयोग के सम्भव क्षेत्रों के बारे में कुछ विचार विनिमय हुआ हैं लेकिन बंगला देश में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के बारे में अभी तक कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सहायकों और आशुलिपिकों को एफ० आर० 22 सी के लाभ

2810. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले कुछ सहायकों/आशुलिपिकों को एफ० आर०-22 सी के लाभ दिये गये हैं जब कि उसी श्रेणी के कुछ अन्य लोगों को इन्हीं लाभों से वंचित रखा गया है और यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार ये लाभ उन सभी लोगों को देने का है जिनकी पदोन्नति कम वेतनमान वाले तृतीय श्रेणी के सहायकों/आशुलिपिकों से, द्वितीय क्षेणी के सहायकों/आशुलिपिकों के ऊंचे पदों पर होती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : मूल नियम 22-सी का लाभ उसी मामले में देय होता है जब किसी अधिकारी को ऐसे पद पर पदोन्नति की जाती है जिसकी ड्यूटी तथा जिम्मेदारियां उस अधिकारी के पूर्ववर्ती निम्नतर पद की अपेक्षा गुरुतर होती हैं। श्रेणी III के आशुलिपिक की जब श्रेणी II के आशुलिपिक पद पर नियुक्ति होती है तो इसमें गुरुतर पद-भार तथा जिम्मेदारियां नहीं आतीं। इसलिए, ऐसे मामलों में मूल नियम 22-सी का लाभ देय नहीं होता। एक समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए, जून 1970 में मन्त्रालयों को सलाह दी गयी थी कि जिन मामलों में मूल नियम 22-सी का लाभ उनके द्वारा गलती से मंजूर किये गये हों उनकी वे समीक्षा करें और मूल-नियम 22 (ए) (ii) के अन्तर्गत वेतन का पुर्ननियतन करवाने तथा इसके परिणाम-स्वरूप यदि वेतन में कोई ह्रास होता हो तो उसको भविष्य में मिलने वाली वेतन वृद्धियों में खपने योग्य वैयक्तिक वेतन मानने की कार्यवाही करें। परन्तु, आशुलिपिक श्रेणी III के पद से सहायक श्रेणो II के पद पर नियुक्ति को गुरुतर पद-भार तथा जिम्मेदारियों वाली मानी जाती है और ऐसे मामलों में मूल नियम 22-सी का लाभ देय होता है।

(ग) ऊपर उल्लिखित स्थिति को देखते हुए यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आयुध कारखानों में काम कर रहे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता

2811. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों में काम करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता, सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशतता से कम है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आरक्षित पदों के विरुद्ध रोजगार देने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों को कार्यान्वित करने के लिए रोजगार कार्यालयों से विशेषतया पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों को भेजने का अनुरोध किया जाता है जिससे कि विभाग अपेक्षित प्रतिशत में इन अभ्यार्थियों में से चुन सकें। ऐसे मामलों में जहां पर्याप्त संख्या अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो रिक्त पदों को उस समय तक के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है जब तक कि उन्हें अन्तिम रूप से भरा जा सके या उन्हें प्रभावी अनुदेशों के अनुसार अनारक्षित करना होता है।

इण्डियन ड्रग्ज एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड से एक अमरीकी पार्टी द्वारा सर्जरी के औजारों की खरीद

2812. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अमरीकी पार्टी, सोवियत सहायता प्राप्त इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड से 60 लाख डालर के मूल्य के सर्जरी के औजार खरीदने के लिये सहमत हो गई है ;

(ख) क्या इस सौदे को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

पेंशन भोगियों के संगठन की एक पेंशन आयोग को नियुक्ति करने की मांग

2813. **श्री वनमाली पटनायक :**
श्री वेकरिया :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंशन भोगियों के अखिल भारतीय संगठन ने सरकार से अनुरोध किया है कि भारत में लगभग एक करोड़ पेंशनभोगियों की शिकायतों की जांच करने के लिये एक पेंशन आयोग नियुक्त किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्रीं (श्री के० आर० गणेश) (क) जी, हां ।

(ख) सेवारत सरकारी कर्मचारियों को पेंशन सम्बन्धी लाभ के मामले में तृतीय वेतन आयोग की आम सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार के पेंशनरों को राहत की मंजूरी के प्रश्न पर, यथासमय विचार करने का प्रस्ताव है । ऐसी स्थिति में पेंशनरों की समस्याओं की जांच के लिये आयोग को नियुक्ति आवश्यक प्रतीत नहीं होती ।

कल्याण (बम्बई) में एक मकान से गोला बारूद का पकड़ा जाना

2814. **श्री वयालार रवि** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के निकट कल्याण में एक मकान से सेना के लिये प्रयोग किया जाने वाला बहुत सा गोला बारूद पकड़ा गया है ;

(ख) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई जांच कराई है कि यह गोला बारूद यहां किस प्रकार आया ; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं तथा अपराधियों को दंड देने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार के पास इस विषय में कोई सूचना नहीं है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

भारतीय जीवन बीमा निगम, कटक द्वारा दैनिक वेतन पर रखे गये अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति

2815. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 में भारतीय जीवन बीमा निगम के कटक स्थित डिवीजनल कार्यालय में अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने व्यक्तियों को दैनिक मंजूरी पर श्रमिकों के तौर पर रखा गया ;

(ख) गत तीन वर्षों में इसी कार्यालय में चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कितने कर्मचारियों को जिन में फोन-आपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, स्टेनों टाइपिस्ट आदि तकनीकी कर्मचारी शामिल हैं, भर्ती किया गया ; और

(ग) इस कार्यालय में कितने अनुसूचित जाति/जनजाति के विकास अधिकारी नियुक्त किये गए हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जीवन बीमा निगम दैनिक मजदूरी पर लगाये गये मजदूरों के जातिवार आंकड़े नहीं रखता।

(ख) जीवन बीमा निगम के कटक प्रभागीय कार्यालय द्वारा पूर्ववर्ती तीन वर्षों में श्रेणी-iii और श्रेणी-iv के पदों पर नियुक्त किये गये अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है—

वर्ष	अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों की संख्या	
	श्रेणी—III	श्रेणी—IV
1968-69	कोई नहीं	एक
1969-70	एक	कोई नहीं
1970-71	पांच	दो

(ग) कटक प्रभागीय कार्यालय ने कोई विकास अधिकारी अनुसूचित जाति/जनजाति का नहीं नियुक्त किया गया है।

Rate of increase in Taxation and National Income

2816. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the percentage of increase in both direct and indirect taxes collectively since 1951 ;

(b) whether the national income has also increased in the same ratio ; and

(c) if so, the percentage thereof ?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the house. [Placed in the Library. *See* No. LT-1757/72]

N. C. C. Training for University Students

2817. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is compulsory for University students to join N. C. C. ; and

(b) the names of Universities where N. C. C. training has been introduced ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b). N.C.C. Training is not compulsory for any category of students under the N.C.C. Act and Rules framed thereunder. The question whether N.C.C. training should be compulsory or optional is decided by each University in respect of the students on its rolls. Only a few Universities have retained N.C.C, training as compulsory ; the rest of them have made it optional. A complete list of Universities with indication as to whether N.C.C. is functioning and if so, whether on compulsory or optional basis, is being compiled and it will be laid on the Table of the House in due course.

अमरीकी सहायता में कमी

2818. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1969 से अब तक, अमरीकी सहायता में वर्षवार कितनी कमी हुई है और भारत के विकास पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

(**वित्त मन्त्री श्री यशवन्त राव चव्हाण**) : 1969 से शुरू होने वाले तीन वित्तीय वर्षों (अप्रैल-मार्च) के लिये भारत को अमरीका द्वारा प्राधिकृत विकास सहायता की प्रवृत्ति इस प्रकार है:—

1969-70	152.1 करोड़ रुपये
1970-71	149.1 करोड़ रुपये
1972-72	26.9 करोड़ रुपये

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत को दी जाने वाली परियोजना-भिन्न सहायता के एक भाग को रोक देने के अमरीका के निर्णर के परिणाम-स्वरूप 1971 और 1972 में उपयोग के लिये उपलब्ध प्राधिकृत रकमों में 65.69 करोड़ रुपये की कमी हो गयी है ।

भारत सरकार की नीति यह है कि विदेशी सहायता पर निर्भरता उत्तरोत्तर कम की जाये और हमारी विकास योजनायें इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं । इस लिये इन वर्षों में अमरीकी सहायता में कमी होने के कारण हमारे आर्थिक विकास पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है ।

Loans Advanced by Nationalised Banks to Farmers in Rural Areas

2819. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount of loans advanced by the nationalised banks to farmers in rural areas from 1st April, 1971 to 31st October, 1971 ;

(b) the amount of loans advanced to farmers having holdings of less than five acres, less than ten acres, less than twenty acres, and more than twenty acres separately ;

(c) whether nationalised banks observed the policy laid down by Government in regard to grant of loans to farmers having holdings of less than 5 acres ; and

(d) if so, the extent to which it was followed and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) Direct finance for agriculture provided by the nationalised banks as outstanding on the last Friday of March and October, 1971 was Rs. 134.72 crores and Rs. 152.44 crores respectively.

(b) The banks do not maintain figures in the manner mentioned in the question. Details of loans advanced by the nationalised banks to the farmers according to the size of their holdings as available up to December, 1970 were as follows :—

	No. of Accounts	(Rs. crores) Amounts outstanding
1. Farmers with holdings of 5 acres and less	2,19,345	24.80
2. Farmers with holdings above 5 acres	1,88,584	87.50

(c) and (d) : The overall increase noticed in direct finance to farmers shows that by and large the banks are following the instructions issued to them in this regard. Besides, the position is periodically kept under review and suitable action taken from time to time.

Adulteratioa of Petrol with Kerosene Oil

2820. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints to the effect that Kerosene oil is being mixed with petrol at certain petrol pumps causing severe damage to the engines of motor vehicles ;

(b) the steps taken by Government to check such corrupt practices ; and

(c) the number of persons convicted and the nature of punishment awarded to them ?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H. R. Gokhale) : (a) Only three complaints of this nature have been reported by the oil companies.

(b) and (c) : In one case kerosene dealership of the dealer has been terminated ; in the second case the complaint could not be substantiated ; and in the third case, the investigations are in progress.

The field staff of I.O.C. make surprise checks of the retail outlets to ensure that there is no adulteration of stocks.

Deposits Received by Globe Motor Company, New Delhi

2821. **Shri Ishwar Choudhary** : Will the Minister of **Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Globe Motor Company, New Delhi had received deposits from a large number of persons and had failed to repay them to the depositors ;

(b) whether the Company has now been ordered by the Delhi High Court to repay the deposits in instalments ;

(c) whether it has not carried out the orders of the Court ; and

(d) if so, whether Government propose to take any action in the matter to safeguard the interests of the depositors ?

The Minister of Company Affairs (Shri Raghunatha Reddy) : (a) and (b) : Yes, Sir.

(c) and (d) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Amar Jawan Jyoti

2822. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the nature of fuel being used in 'Amar Jawan Jyoti' installed at India Gate, New Delhi ;

(b) the total expenditure incurred on it so far and the average daily expenditure thereon ; and

(c) the date up to which the said Jyoti will be kept burning ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Indian Oil Cooking Gas is being used.

(b) (i) Total expenditure on gas up to 31st March 1972 is Rs. 23,610/-

(ii) Average daily expenditure on gas from 1st April 1972 onward is Rs. 153/- per day.

(c) Until more permanent arrangement is made at the present or at an alternative site.

Branches of Nationalised Banks Functioning in Kerala

2823. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shrimati Bhargavi Thankappan :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total number of Branches of the nationalised banks functioning in Kerala during the financial years 1970-71 and 1971-72 and the number of Branches likely to be opened there in 1972-73 ; and

(b) the total amount of loans advanced by the nationalised banks for agricultural purposes and for the development of small scale industries during the last two years ?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) The number of offices of the 14 nationalised banks functioning in Kerala as on 31st March, 1971 and 31st January, 1972 (as per latest available information) was 265 and 288 respectively. During 1972-73 the nationalised banks are likely to open about 18 more offices in the State.

(b) For the nationalised banks in Kerala, the amount outstanding in respect of loans for agricultural purposes and small-scale industries is as follows :

	(Rs. Lakhs) Amount outstanding as on the last Fridays of	
	1970	1971*
(1) Agriculture (both direct & indirect)	538.21	711.82
(2) Small-scale industry	1160.01	1331.86

*Provisional

युद्ध में घायल और अपंग हुए सैनिक

2824. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही } : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के भारत-पाकिस्तान युद्ध में घायल और अपंग हुए स्थल सेना, नौसेना, और वायु-सेना में कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) इनमें से कितने अफसर थे और कितने अन्य रैंकों के थे ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) (क) और (ख) :

	स्थल सेना	नौसेना	वायुसेना
	अफसर		
घायल विकलांग *अफसर	427	5	27
जे० सी० ओ०	310		
अन्य रेंक	7822	19	38
	8559	24	65

*चूंकि अधिकतर घायल कार्मिकों का अभी तक इलाज हो रहा है और उनकी विकलांगता का पता केवल तभी चलेगा जब उनका इलाज पूरा हो जाएगा, अत : 'घायल और विकलांग' के लिए अलग से संख्या उपलब्ध नहीं है ।

कोचीन उर्वरक परियोजना के द्वितीय चरण के लिए विश्व बैंक से सहायता

2825. **श्री सी० चित्तिबाबू : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्र यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोचीन उर्वरक परियोजना के द्वितीय चरण के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी सहायता दी गई है ; और

(ख) उक्त परियोजना का दूसरा चरण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कब तक पूरा होगा ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) :

(क) 20 मिलियन डालर

(ख) 1974 के मध्यतक

भारतीय बख्तरबन्द गाड़ियों के निर्यात की क्षमता

2826. श्री **राम सहाय पांडे** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ समय से भारतीय आयुध कारखानों में निर्मित बख्तरबन्द गाड़ियों की निर्यातस्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है ;

(ख) क्या हाल ही में भारतीय बख्तरबन्द गाड़ियों के निर्यात के लिए कुछ देशों के साथ बातचीत की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या हाल ही के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद इस संबंध में किसी करार पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन में) राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुकल) : (क) अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए बख्तरबन्द गाडियों का निर्यात अभी तक शुरू नहीं किया गया है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

अमरीका द्वारा हिन्द महासागर में पनडुब्बी विध्वंसक अभ्यास

2827. **श्री एच० एस० पटेल :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने हिन्द महासागर में पनडुब्बी विध्वंसक अभ्यास करने की योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार के पास इस विषय पर कोई सूचना नहीं है ।

(ख) सरकार का ऐसा मत है कि हिन्द महासागर क्षेत्र शान्तिमय रहे तथा महाशक्तियों की शक्तिस्पर्धा से मुक्त रहे सदन को अच्छी तरह से अवगत है । तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के अन्तर्गत सभी देश महासागरों का उपयोग कर सकते हैं ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा देश के तेल संसाधनों का सर्वेक्षण

2828. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) इस समय तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तेल के भंडारों का पता लगाने के लिए किन किन स्थानों पर सर्वेक्षण कर रहा है;

(ख) निकट भविष्य में सर्वेक्षण हेतु किन किन स्थानों का चयन किए जाने की आशा है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से सर्वेक्षण के लिए किन किन परियोजनाओं की सिफारिश की तथा किन किन परियोजनाओं पर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा निर्णय किया जाना शेष है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर गोखले) (क) हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, तामिल नाडू, केरल, मैसुर, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और अण्डमान द्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में भूगर्भीय सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, असम, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश और तामिलनाडु के विभिन्न क्षेत्रों में भूभौतिकीय सर्वेक्षण किये जा रहे हैं ।

(ख) जिन क्षेत्रों में इस समय सर्वेक्षण किये जा रहे हैं, उन क्षेत्रों के साथ संलग्न तट पर एवं अतटीय क्षेत्रों में सर्वेक्षण करने की सम्भावना है ।

(ग) राज्य सरकारों ने कोई विशिष्ट प्रायोजनाओं की सिफारिश नहीं की है यद्यपि उनके राज्यों के कुछ क्षेत्रों में सर्वेक्षण/बेधन कार्य के कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं। जब कभी सर्वेक्षणों को भूगर्भीय दृष्टि से आवश्यक समझा गया तथा अपेक्षित औजारों एवं उपकरणों की उपलब्धि को विचार में रखते हुए इसे सम्भाव्य समझा गया तब कार्य को आरम्भ किया गया।

थोक व्यापारियों को संस्थाओं से ऋण

2830. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में अनाज, सीमेण्ट, चीनी और मोटे कपड़े के थोक व्यापारियों और मिल मालिकों को प्रति वर्ष संस्थाओं द्वारा कुल कितनी राशि का ऋण दिया गया और उक्त अवधि में वस्तुओं के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने कारखानों तथा अन्य पक्षों को अन्न, खांडसारी सहित चीनी, सूत समेत सूती कपड़े के भंडार (स्टाक) के आधार पर जो ऋण सम्बन्धी सुविधायें दी हैं उनकी सूचना नीचे दी गई है :

भण्डार (स्टाक) के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया अग्रिम

(करोड़ रुपयों में)

इन वस्तुओं के आधार पर अग्रिम		इन तारीखों को		
		13 जून, 1969 को	12 जून, 1970 को	11 जून, 1971 को
1.	**अन्न**	**246.4**	**215.9**	**215.3**
	मिलों को	12.1	15.5	30.0
	औरों को	234.3	200.4	185.3
2.	**(खांडसरी सहित)** चीनी	**148.1**	**209·8**	**186.4**
	कारखानों को	141.5	204.5	176.7
	औरों को	6.6	5.4	9.7
3.	**सूती कपड़ा** (जिसमें सूत भी शामिल है)	**209.3**	**257·7**	**279.8**
	सूती कपड़ा मिलों को	157.4	172.3	185.7
	औरों को	70.9	85.4	94.1

अन्न और चीनी के थोक मूल्यों के (आधार वर्ष 1961-62) सूचक अंक में मध्य-जून 1969 के मूल्यों की तुलना में मध्य जून 1671 के दौरान क्रमशः 4.6 प्रतिशत तथा 1.0 प्रतिशत की कमी हुई जबकि कपास से बनी वस्तुओं के मूल्यों में उसी अवधि में 14.8 प्रतिशत की बृद्धि हुई।

सीमेण्ट के सम्बन्ध में ऐसी ही सूचना इकट्ठी की जाएगी और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायगा।

उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में बदरमा में शिविर स्थलों का बनाया जाना

2831. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में बदरमा नामक स्थान पर विमान उड़ान पट्टी सहित शिविर बनाने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख): देश में विभिन्न स्थानों पर कैम्प लगाने के स्थलों की जांच की जा रही है ।

बदरमा में हवाई अड्डे के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Rise in Prices after Presentation of General Budget for 1972-73

2832. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the prices of certain commodities have gone up soon after the Budget for 1972-73 was presented in Lok Sabha ;

(b) if so, the extent of rise in prices ; and

(c) the action taken by Government in the matter.

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) to (c) The Wholesale Price Index (1961-62=100) has declined from 192.5 during the week ending on March 11, 1972 (the pre-budget week) to 192.1 on March 25, 1972. Over this period, while the prices of some individual commodities have risen marginally, those of some others have fallen. It is major objective of the Government's fiscal policy to raise resources in a non-inflationary manner and to exercise adequate restraint on non-developmental expenditure. Monetary and physical controls are also used to prevent any undue rise in prices.

Scheme for Allotment of Cultivable Land to Servicemen and Ex-Servicemen

2853. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme to allot cultivable land to servicemen and ex-servicemen ;

(b) if so, the broad outlines thereof ; and

(c) the State-wise details of the land allotted to servicemen and ex-servicemen during the last three years ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b) : Allotment of land is done by State Governments who give priority to ex-servicemen. Central Government have framed schemes for settlement of 145 families in Arunachal and 1,000 families in Great Nicobar Islands.

(c) Collection of the requisite information from all State Governments/Administrations will involve considerable time and labour which would not be commensurate with the purpose.

सीमित यातायात वाले क्षेत्रों में इण्डियन एयरलाइन्स की सेवा

2834. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमित यातायात वाले क्षेत्रों में अपेक्षाकृत छोटे समुदायों के लिये, इण्डियन एयरलाइन्स का विमान सेवा चलाने का विचार है और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ;

(ख) इस कार्य के लिये किस प्रकार के विमानों का प्रयोग किया जायेगा ; और

(ग) क्या प्राइवेट विमान कम्पनियों को भी विमान सेवा चलाने की अनुमति दी जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : परिचालन तकनीकी तथा आर्थिक पक्षों को दृष्टि में रखते हुए इण्डियन एयरलाइन्स का ऐसे क्षेत्रों में सेवाएं परिचालित करने के लिये अपने सेवाजाल का क्रमशः विस्तार करने का विचार है । एयरलाइन्स की विमान संबंधी भावी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में आवश्यक अध्ययन किया जा रहा है ।

(ग) वायु निगम अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत देश में सिविल विमान सेवाओं की व्यवस्था करना राष्ट्रीय अंतर्देशीय विमान कम्पनी की जिम्मेवारी है । तथापि गैर-सरकारी एयरलाइनों को उन सेक्टरों पर परिचालन की आज्ञा दी जा सकती है जिन पर कि इण्डियन एयरलाइन्स की सेवाएं नहीं हैं बशर्ते कि वे इस सम्बन्ध में बने नियमों एवं विनियम का अनुपालन करें ।

जबलपुर में विमान सेवा चालू करने का प्रस्ताव

2835. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जबलपुर में विमान सेवा चालू करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : चालू योजना में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

इण्डियन एयरलाइन्स के इंजीनियरों द्वारा 'धीरे काम करो' आन्दोलन आरम्भ किया जाना

2836. **डा० रानेन सेन** :
श्री अमर नाथ चावला :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयर लाइन्स के इंजीनियरों ने हाल ही में 'धीरे काम करो' आन्दोलन चलाया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) इस सम्बन्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हाँ । संधारण अभियंता विमानों की 'सर्विस' करने में असाधारण रूप से लम्बा समय ले रहे हैं ।

(ख) पिछले वेतन संबंधी समझौते की अवधि समाप्त हो जाने के कारण, अखिल भारतीय विमान संधारण अभियंता संगठन वेतन में काफी वृद्धि की मांग कर रहा है । कारपोरेशन द्वारा दिया गया वेतन प्रस्ताव संगठन ने स्वीकार नहीं किया है ।

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स का प्रबंधकवर्ग मामले पर संगठन के साथ बातचीत कर रहा है तथा उसने मामले को पंच फैसले अथवा न्याय निर्णय के लिये भेजने के लिये संगठन को अपनी रजामन्दी के बारे सूचित कर दिया है ।

पेट्रो-केमिकल उद्योग समूह की स्थापना के लिए स्थान चयन करने संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें

2837. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रो-केमिकल उद्योग समूह की स्थापना के लिए स्थान का चयन करने हेतु नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिनि ने सरकार को अपनी सिफारिशें दे दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो सभूह की स्थापना के लिए समिति ने कौन से सबसे उत्तम स्थान की सिफारिश की है ; और

(ग) समिति के प्रतिवेदन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) : असम में एक परिष्करणशाला एवं पैट्रोकेमिकल उद्योग समूह की स्थापना के लिए, भारतीय तेल निगम, भारतीय पैट्रोरसायन निगम लि० के प्रतिनिधियों और अन्य अधिकारियों की एक स्थल चयन समिति ने बोंगईगांव स्थान की उक्त उद्योग के संबंध में सिफारिश की थी । तथा सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है । मंत्रालय द्वारा गठित किया गया अन्य विशेषज्ञ दल, देश में एक द्वितीय एरोमैटिक संयंत्र की स्थापना के लिए अधिक सम्भाव्य स्थान के संबंध में इस समय जांच कर रहा है ।

नगरों का दर्जा बढ़ाया जाना

2838. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 'सी' ग्रेड के नगरों का दर्जा बढ़ा कर 'बी' ग्रेड करने के लिये सरकार द्वारा क्या सिद्धान्त अपनाये जाते हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : प्रतिपूर्तिभत्तों के प्रयोजन के लिये शहरों का वर्गीकरण उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है । 'सी' श्रेणी के शहरों/नगरों के लिये आवश्यक जनसंख्या सीमा 50,000, 'बी-2' श्रेणी के लिए 4 लाख तथा 'बी-1' श्रेणी के लिये 8 लाख है ।

राजस्थान पर ऋण की बकाया राशि

2839. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य सरकार पर केन्द्रीय ऋण की कुल कितनी राशि बकाया है ;

(ख) क्या इस ऋण की राशि में राज्य सरकार को सूखे और बाढ़ राहतकार्यों के लिये दी गई राशि भी शामिल है ; यदि हां, तो इसके लिये कुल कितनी राशि दी गई है ;

(ग) क्या राहत कार्यों के रूप में दी गई राशि को बट्टे खाते में डालने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) राजस्थान पर केन्द्रीय ऋणों की कुल बकाया रकम 29 फरवरी, 1972 को 547.81 करोड़ रुपये थी। इसमें सूखा राहत कार्यों के लिए दी गई 79.12 करोड़ रुपये और बाढ़ राहत कार्यों के लिए दी गई 6.42 करोड़ रुपये की रकम शामिल है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राजस्थान में उद्योगपतियों पर बकाया राशि

2840. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में कुछ उद्योगपतियों पर एक लाख रुपये अथवा उससे अधिक की आय कर की राशि बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगपतियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक पर कुल कितनी राशि बकाया है ;

(ग) बकाया राशि को वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाई की है अथवा करने का विचार है ; और

(घ) इस बकाया राशि के कब तक वसूल किये जाने की सम्भावना है और क्या इस वसूली में जुर्माना भी शामिल किया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) : जिन निर्धारितियों के मामले में 31 मार्च, 1972 को आयकर की बकाया 1 लाख रुपये से ऊपर थी, उनके सम्बन्ध में अपेक्षित ब्योरे एकत्रित किये जा रहे हैं तथा यथासम्भव शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे।

(घ) बकाया की वसूली करना एक सतत प्रक्रिया है। पुरानी बकाया अपीलों अथवा वसूलियों द्वारा कम हो जाती हैं तथा नई बकाया में नई माँग द्वारा वृद्धि हो जाती है। कुछ बकाया माँगें जो विवादग्रस्त नहीं हैं और ऐसे जो निर्धारितियों की तरफ हैं जिनके पास नकद परिसम्पत्ति है, उन्हें तुरन्त वसूल कर लिया जाता है तथा ऐसी मांगे जो विवादग्रस्त हैं तथा वे भी ऐसे निर्धारितियों की तरफ हैं जिनके पास कोई नकद परिसम्पत्ति नहीं हैं अथवा ऐसी परिसम्पत्ति हैं जिनके बारे में

मुकदमें चल रहें हैं, उनकी वसूली में कहीं ज्यादा समय लगता है। कभी-कभी ऐसी परिसम्पत्तियों के ब्यौरे में दीवानी मुकदमें दायर कर दिये जाते हैं जिनका वसूली के लिये अधिग्रहण कर लिया गया है और मुकदमें बाजी लम्बे समय तक चलती रहती है। अतः किस समय तक बकाया की वसूली हो सकेगी, यह बताना सम्भव नहीं है।

जिन मामलों में परिस्थितियों को देखते हुए दण्ड लगाना आवश्यक हो जाता है, उनमें कर की अदायगी नहीं करने के कारण दण्ड लगाया जाता है। मांगों की अदायगी विलम्ब से करने के कारण जहा कहीं कानून के अन्तर्गत प्रभार्य होता है, वहां ब्याज भी लगाया जाता है। ऐसे दण्ड तथा ब्याज कर के साथ-साथ ही वसूल किये जायेंगे।

सशस्त्र सेनाओं के अधीन पुनर्वास निदेशालय की स्थापना

2841. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं की तीन सेवाओं ने उन सैनिकों तथा अधिकारियों की देखभाल करने और पुनर्वास के लिए, जो गत युद्ध में गम्भीर रूप से घायल हो गए थे अथवा अशक्त हो गए थे, पुनर्वास निदेशालय स्थापित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कृत्यों की मोटे तौर पर रूपरेखा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) रक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत एक नया संगठन गठित किया गया है जो युद्ध के कारण हुई विधवाओं और अशक्त सैनिकों के पुनर्वास के लिए विशेष प्रयास करेगा तथा पुर्नव्यवस्थापन महा निदेशालय के क्रियाकलाप को बढ़ायेगा।

(ख) इस संगठन का मुख्य कार्य केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और अन्य संगठनों के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए समन्वय करना है, जिन्होंने पेंशन, शिक्षा, रोजगार के अवसर, भवन-निर्माण सुविधायें कृषि कार्यों के लिए भूमि आवंटन करना, वास भूमि तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि जैसी विभिन्न सुविधायें देनी चाहीं है।

लखनऊ में शहीद गृह योजना

2842. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ में सेंट्रल कमांड ने शहीद गृह योजना बनाई है और यदि हां, तो मोटे तौर पर उसकी रूप-रेखा क्या है ; और

(ख) क्या शहीद गृह सैनिक छावनियों में ही होंगे अथवा अन्य जिलों में भी होंगे जहाँ के शहीद रहने वाले थे ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) : हाल के भारत-पाकिस्तान युद्ध में मारे गए रक्षा कार्मिकों के परिवारों के आवास के निर्माण के लिए सेंट्रल कमांड ने कोई योजना नहीं बनाई है, तथापि वह उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसी योजना के कार्यान्वियन के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिसके ब्यौरे निम्नलिखित हैं:—

(i) मृतक अफसरों के परिवारों के लिये 24 मकान बनाने तथा मृतक जे० सी० ओ० तथा अन्य रेंकों के परिवारों के लिए 450 मकान बनाने की योजना है। निम्नलिखित स्थानों पर 84 मकानों के निर्माण के लिये एक प्रायोगिक परियोजना प्रारम्भ हो गई है:—

स्टेशन	मृतक अफसरों के परिवारों के लिए मकानों की संख्या	मृतक जे सी ओ/अन्य रेंको के परिवारों के लिए मकानों की संख्या
लखनऊ	6	16
बरेली	–	10
मेरठ	3	10
देहरादून	3	10
रानीखेत	–	10
लेन्स डाउन : कोट द्वारा :	–	10
गोरखपुर	–	6
योग	12	72

(ii) इन मकानों को दोनों ही स्थानों पर जहां छावनियां हैं या जहां जगह उपलब्ध हैं बनाया जा रहा है।

2. सेंट्रल कमांड ने बिहार, मध्यप्रदेश तथा उड़ीसा की सरकारों को सुझाव दिया है कि वह कुछ योजनायों को बनायें।

3. बिहार सरकार ने पहले से बने पटना में लोहिया नगर में मृतक जे० सी० ओ० तथा अन्य रेंकों के परिवारों को 270 मकान देने की पेशकश की है। इन मकानों के मई 1972 के मध्य तक आवास के लिए तैयार हो जाने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने हाल के भारत-पाक युद्ध में मारे गए अफसर, जे० सी० ओ० तथा अन्य रेंकों के परिवारों के लिए निम्नलिखित स्थानों में मकान बनाने की योजना बनाई है :—

पटना — 6 अफसरों के लिए

रांची — 6 अफसरों के लिए

आरा — 2 जे० सी० ओ० तथा अन्य रेंकों के लिए

4. इस सम्बन्ध में उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश सरकारों की योजनाओं के ब्यौरे अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

वाराणसी में पर्यटकों के लिये सुविधायें

2843. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वाराणसी में पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होटलों और कारों की सुविधायें पर्याप्त नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : यह माना जाता है कि देश में पर्यटन के महत्व के लगभग सभी स्थानों पर अच्छे होटल, आवास तथा यातायात सुविधाओं की सामान्यतः कमी है।

वाराणसी में 50 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक 50 कमरों वाले मोटर-व-पर्यटक स्वागत केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है तथा अगले वर्ष उसके चालू हो जाने की आशा है। साथ ही साथ वाराणसी में 4 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक परिवहन यूनिट की स्थापना का प्रस्ताव है।

भारतीय उर्वरक निगम की उद्यम विकास योजना के अधीन तमिलनाडु के प्रशिक्षित उम्मीदवार

2844. **श्री पी० ए० सामिनाथन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम की उद्यम विकास योजना के अधीन तमिलनाडु के कितने उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया है ; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को उर्वरकों का विक्रेता बनाया गया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) दो।

(ख) इन दोनों व्यक्तियों को डीलरशिप की पेशकश की गई थी। किन्तु वे इसे स्वीकार नहीं कर पाये क्योंकि वे आवश्यक धन नहीं जुटा पाये थे।

अकाल सहायता कार्य के लिये केरल को दी गई वित्तीय सहायता

2845. **श्री एम० एम० जोजफ** :
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अकाल सहायता कार्य के लिये वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया था ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता मांगी गई थी और केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 1971-72 में केरल सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

रक्षा मन्त्रालय और गृह मन्त्रालयों की सैनिक स्कूल छात्रवृत्ति योजनाओं में एकरूपता लाना

2846. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **रक्षा** मन्त्री 28 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3297 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रक्षा मन्त्रालय सैनिक स्कूल छात्रवृत्ति योजना और गृह मंत्रालय सैनिक स्कूल छात्रवृत्ति योजना में विषमताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : मामला अभी विचाराधीन है।

मझगांव डाक लिमिटेड को फ्रिगेट के लिये आर्डर

2847. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना ने मझगांव डाक लिमिटेड को तीन लीडर श्रेणी के फ्रिगेटों के लिए आर्डर दिया गया है ;

(ख) क्या कुछ फ्रिगेटों के लिए इससे पहले भी आर्डर दिये गये थे ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस बारे में खर्च की जाने वाली अनुमानित राशि क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) पहले के आदेश तीन फ्रिगेट के लिए थे। अतः अब सब छः फ्रिगेटों के लिए मझगांव डाक लिमिटेड को आदेश दिये गये हैं।

(घ) मझगांव डाक लिमिटेड के वर्तमान अनुमानों के अनुसार 6 फ्रिगेटों की उत्पादन लागत लगभग 30 करोड़ रुपये होती है।

इछापुर राइफल फैक्ट्री के अधिकारियों द्वारा पिस्तौलों की खरीद

2848. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 और 1971 में कम मूल्यों पर इछापुर राइफल फैक्ट्री में निर्मित पिस्तौल ख़रीदने वाले इसी फैक्ट्री ही के कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) प्रत्येक अधिकारी द्वारा खरीदी गई पिस्तौल का ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक अधिकारी द्वारा खरीदी गई पिस्तौल का बाजार में मूल्य क्या है ; और

(घ) इन अधिकारियों को ये पिस्तौलें किन मूल्यों पर बेची गई हैं ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ) चूँकि राइफल फैक्ट्री इछापुर में पिस्तौलें नहीं बनाई जातीं, उस फैक्ट्री की बनी हुई पिस्तौलों के खरीदे जाने का, तथा उनके सम्बन्ध में अन्य ब्यौरे देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बड़े, मध्यम और लघु उद्योगों को दिये गये ऋण

2849. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1968 और मार्च, 1971 में अनुसूचित बैंकों ने राज्यवार, बड़े, मध्यम और लघु उद्योगों को कितना-कितना ऋण दिया ; और

(ख) इसी अवधि में राज्यवार कितने बड़े, मध्यम और लघु एककों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने ऋण दिया ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) : बैंक उस रूप में सूचना नहीं रखते हैं जिस रूप में माननीय सदस्य ने पूछा है । फिर भी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र को दिये गये ऋणों का राज्यवार वितरण संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

(लाख रुपयों में)

राज्य/संघीय राज्य क्षेत्र	28 जून, 1968 को वित्तपोषित एककों की संख्या	बकाया रकम	26 मार्च, 1971 को वित्त पोषित एककों की संख्या	बकाया रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. आंध्र प्रदेश	4,459	13,32.6	11,094	37,50.0
2. आसाम	141	1,08.3	801	3,98.5
3. बिहार	355	1,61.0	1,492	8,56.7
4. गुजरात	3,211	14,07.0	9,882	47,36.1
5. हरियाणा	834	3,83.9	2,073	11,12.7
6. हिमाचल प्रदेश	–	—	87	22.0
7. जम्मू और काश्मीर	62	29.0	443	1.39 1
8. केरल	1,965	18,89.7	6,075	26,59.0
9. मध्य प्रदेश	907	4,73.3	3,204	14,16.1

	राज्य/संघीय राज्य क्षेत्र	28 जून, 1968 को वित्तघोषित एककों की संख्या	बकाया रकम	26 मार्च, 1971 को वित्त घोषित एककों की संख्या	बकाया रकम
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	महाराष्ट्र	7,862	44,96.5	18,247	114,54.8
11.	मेघालय	—	—	1	0.4
12.	मैसूर	3,225	12,34.1	8,535	30,69.3
13.	नागालैंड	—	—	24	11.7
14.	उड़ीसा	143	35.3	697	2,63.9
15.	पंजाब	2,662	10,70.4	5,358	24,52.5
16.	राजस्थान	1,131	3,03.6	6,564	8,97.6
17.	तमिलनाडु	5,251	26,21.9	10,989	58,69.5
18.	उत्तर प्रदेश	3,612	11,55.1	8,531	31,90.7
19.	पश्चिम बंगाल	1,636	15,51.8	5,355	44,66.6
20.	संघीय राज्य-क्षेत्र	1,533	8,62.6	4,083	25,79.5
	जोड़	38,989	191,57.1	103,535	493,46.7

अनुसूचित बैंकों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को दिये गये ऋण

2850. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1968 और मार्च, 1971 में अनुसूचित बैंकों में औद्योगिक क्षेत्र को कितना ऋण दिया ;

(ख) जून, 1968 और मार्च, 1971 में इस में 75 बड़े गृहों का कितना भाग था ; और

(ग) जून, 1968 और मार्च, 1971 में 20 बड़े गृहों में से प्रत्येक का कितना भाग था ;

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योगों तथा थोक व्यापारियों को मार्च, 1968 तथा 1971 के अन्त तक दिये गये बकाया अग्रिमों की अनुमानित रकमें क्रमशः 2,608 करोड़ रुपया तथा 3,422 करोड़ रुपया थी ।

(ख) तथा (ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 75 व्यापारिक गृहों तथा 20 बड़े-बड़े गृहों को जो ऋण दिये हैं उनसे सम्बन्धित जानकारी केवल 18 जुलाई 1969 तथा 26 मार्च 1971 तक की अवधियों के सम्बन्ध में ही उपलब्ध है:—

वर्ग	बकाया रकम करोड़ रुपयों में	
	18-7-69 को	26-3-71 को
75 व्यापार गृह	440.28 (71)	491.73 (73)
इसमें से 20 बड़े गृहों का हिस्सा	252.72	271.04

नोटः—कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े व्यापारिक गृहों से सम्बन्धित हैं।

बैंकरों में प्रचलित प्रणालियों तथा रिवाजों के अनुसार तथा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 तथा बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रमों का अभिग्रहण तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 के उपबन्धों के अनुसार भी वैयक्तिक खातों से सम्बन्धित सूचना नहीं दी जा सकती।

बड़ौदा में अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय पैट्रो-केमिकल्स निगम द्वारा दी गई सुविधायें

2851. **श्री बी० मयावन :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ौदा में अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय पेट्रो-केमिकल्स निगम द्वारा क्या-क्या सुविधायें दी जाती हैं ; और

(ख) पेट्रो-केमिकल्स उत्पादों में उपयोग में आने वाला अनुसंधान किस प्रकार का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय पेट्रो केमिकल्स निगम पेट्रो-रसायन क्षेत्र में एक अनुसन्धान एवं विकास संस्थान की स्थापना करने के लिए कदम उठा रही है। इसका निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करने का विचार है :

कैमिकल इंजीनियरिंग

पोलियर कैमिस्ट्री

कैटेलिस्ट्स

बाई प्रोडक्टस यूटिलाइजेशन

फाइबर्स

इसके अतिरिक्त, निगम अन्य संस्थानों में उनकी रुचि के क्षेत्रों की समस्याओं का पता लगाने के लिये अनुसन्धान कार्य करेंगी।

पी० वी० सी० और पोलिथिलीन की मांग को पूरा करने के लिए स्थापित किए गये कारखानें

2852, **श्री वी० मयावन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970-71 और 1971-72 में पी० वी० सी० और पोलिथिलीन का उत्पादन करने वाले कारखानों के नाम क्या हैं और वे कहां-कहां स्थापित किये गये ;

(ख) क्या पी० बी० सी० और पोलिथिलीन की मांग पूरी हो रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 में किसी नये यूनिट ने उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया ।

(ख) और (ग) : पी० वी० सी० और पोलिथिलीन की मांग प्रायः अब तक पूर्णतया पूरी की गई है । चालू वर्ष में मांग, देशीय उपलब्धता की तुलना में कुछ अधिक होगी । जहां तक लो डैन्सीटी पोलिथिलीन का सम्बन्ध है, इस स्थिति पर नियन्त्रण करने के लिए, सरकार ने निर्यात कर्ताओं को निर्यात संपूर्ति लाइसेंसों के उपलब्ध में अपने प्रदायों को प्राप्त करने की अनुमति दी है । जहां तक हाई डैन्सीटी पोलिथिलीन का सम्बन्ध है, यह कार्यवाही की जा रही है कि निर्माता विदेशी सहयोगी से इस पदार्थ के लिये एक उत्पादन ऋण प्राप्त हो सके । जब नया प्लाट तूतीकोरिन में चालू हो जाएगा, पी० वी० सी० की उपलब्धता बढ़ जायेगी ।

सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों का आरक्षण समाप्त करना

2853. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उनके मन्त्रालय के अधीन उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने पदों का आरक्षण समाप्त किया गया ; ओर

(ख) उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस सम्बन्ध में उनके मन्त्रालय की सहमति लिए बिना पदों का आरक्षण समाप्त कर दिया ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

गत युद्ध में खाली कराये गये सीमावर्ती गांवों की संख्या

2854. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत युद्ध में सीमावर्ती क्षेत्रों में कितने गांव खाली कराये गये और इससे प्रभावित हुए व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : पिछले भारत-पाक संघर्ष के दौरान हमारी पश्चिमी सीमा से लगने वाले 1443 गावों को खाली कराया गया था । उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग $7\frac{1}{2}$ लाख थी । युद्ध समाप्त होने के पश्चात् प्रभावित होने वाले अधिकतर व्यक्ति अपने गावों में लौट गए हैं ।

कम्पनियों को लाइसेंस देना

2855. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितनी तथा किन-किन कम्पनियों को लाइसेंस दिये गये ; और

(ख) उनमें से कितनी कम्पनियां, एकाधिकार आयोग द्वारा परिभाषित रूप में एकाधिकार समूहों से सम्बन्धित थीं ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख) : सम्बन्धित उद्योग सहित प्रेषित लाइसेंसों तथा अभिप्राय पत्रों के ब्यौरे 'इन्डस्ट्रियल लाइसेंसेज' 'इम्पोर्ट लाइसेंसेज' तथा 'एक्सपोर्ट लाइसेंसेज' की साप्ताहिक विवरणिकाओं, साप्ताहिक 'इन्डियन ट्रेड जर्नल' व मासिक 'जर्नल आफ इन्डस्ट्री एण्ड ट्रेड' में नियमित रूप से प्रकाशित किये जाते हैं। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं ।

आयकर की बकाया राशि को बट्टे खाते डाला जाना

2856. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में सरकार ने आयकर की कितनी बकाया राशि को बट्टे खाते में डाला ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : वित्तीय वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 में आयकर की बट्टे-खाते डाली गई रकम तथा मामलों की संख्या इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	मामलों की संख्या	बट्टे खाते डाली गई रकम
1969-70	9737	2.38
1970-71	13662	5.00

वित्तीय वर्ष 1971-12 के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

बट्टे-खाते डालने के सामान्य कारण

किसी निर्धारिती की तरफ बकाया मांग (अथवा मांग का एक अंश) बट्टे-खाते तब डाली जाती है जब वसूली के सभी उपाय किये जा चुकने के बावजूद भी वह अशोध्य हो जाती है। मांगें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारणों से अशोध्य हो जाती है:-

(i) निर्धारिती की मृत्यु हो गई हो और वह कोई परिसम्पत्ति नहीं छोड़ गया हो ।

(ii) निर्धारिती कम्पनियों का परिसमापन हो गया हो ।

(iii) निर्धारिती दीवालिए हो गये हों ।

(iv) निर्धारिती लापता हो ।

(v) निर्धारिती भारत छोड़ गये हों ।

(vi) निर्धारितियों के पास अभिग्रहण योग्य कोई परिसम्पद् नहीं हों ।

(vii) निर्धारितियों के साथ समझौता होने के परिणामतः बट्टे खाते डाली गई रकम ।

(viii) ऐसी मांगें जो अनुवर्ती सूचना के आधार पर देय नहीं पाई गई हों। जैसे—दोहरी मांगे, गलती से जारी की गई मांगें, मांगों का संरक्षणात्मक होना, आदि ।

कोचीन में एक नये पर्यटक केन्द्र का विकास

2857. **श्री सी० के० चंद्रप्पन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन तथा छोटे द्वीपों में अन्तर्जल का एक नये पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसको कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव पर्यटन विभाग के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

भारत का सरकारी ऋण

2858. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972-73 के दौरान भारत के सरकारी ऋण के बढ़ने की संभावना है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, सरकारी ऋण की राशि कितनी थी ; और

(ग) सरकारी ऋण को कम करने के बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां। 1972-73 के बजट अनुमानों के अनुसार उक्त वर्ष में सरकारी ऋण में लगभग 965 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की संभावना है।

(ख) देश में तथा विदेशों से लिए गए सरकारी ऋण की बकाया राशि, पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के अन्त में इस प्रकार थी :-

(पूर्ण करोड़ रुपयों में)

	भारत में लिया गया ऋण	भारत से बाहर लिया गया ऋण	जोड़
1969-70	7,067	6,153	13,220
1970 71	7,665	6,485	14,150
1971-72 (संशोधित)	8,165	6,954	15,119

(ग) सरकार, निर्यात बढ़ा कर, आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन देकर तथा आन्तरिक साधन जुटाकर विदेशी ऋणों पर भारत की निर्भरता कम करने का सतत प्रयास कर रही है। जहां तक देश में लिए जाने वाले ऋण का संबंध है, निवेश के बढ़ते हुए स्तर और अन्य अत्यावश्यक कार्यकलापों के वित्त प्रबन्ध के लिए विकास शील अर्थव्यवस्था में, ऋण में वृद्धि होना अनिवार्य है ।

सरकारी उपक्रमों के लिए योजना निवेश बोर्ड

2859. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उत्तम समन्वय और निवेश प्रस्तावों में होने वाले विलम्ब को दूर करने के लिए क्या सरकार का विचार एक योजना निवेशे बोर्ड स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) बोर्ड किस समय तक स्थापित हो जायेगा और काम करने लगेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : एक सरकारी निवेश बोर्ड गठित करने का निर्णय किया गया है जो सरकारी क्षेत्र के निवेश सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार करने के लिये मंच के रूप में कार्य करेगा। बोर्ड से आशा है कि वह समय-समय पर अपनी बैठकें करेगा और सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के बारे में निवेश सम्बन्धी निर्णयों से सम्बद्ध प्रस्तावों पर विचार करेगा। आशा है कि इस बोर्ड के बन जाने पर परियोजनाओं के प्रस्तावों की छानबीन करने और निवेश सम्बन्धी निर्णय लेने में कम समय लगेगा। इससे इन प्रयोजनों के लिये एक स्थिर और स्पष्ट मंच भी उपलब्ध हो जायगा।

(ग) आवश्यक आदेश जल्दी ही जारी किये जाने हैं।

आसाम में सहायक वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना

2860. **श्री निहार लास्कर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आसाम तथा देश के अन्य भागों में, जहां प्राथमिक कृषि ऋण समितियां कमजोर हैं, सहायक वाणिज्यिक बैंक स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस दिशा में क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) 1970 में रिजर्व बैंक ने 5 राज्यों—अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मैसूर और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जहां पर केन्द्रीय सहकारी बैंक वित्तीय और संगठनात्मक दृष्टि से कमजोर हैं—वाणिज्यिक बैंकों द्वारा चुनी हुई प्राथमिक सहकारी कृषि ऋण संस्थाओं का वित्त पोषण करने के लिए एक योजना बनाई थी। इस का परीक्षण असम जैसे अन्य राज्यों में भी किया जा सकता है। इस मामले का अध्ययन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जा रहा है।

Views Expressed by Governor, Reserve Bank of India

2861. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether during the course of a Seminar held at Poona in March, 1972, the Governor of the Reserve Bank of India expressed the opinion that there should be 'profit-planning' in banks ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan): (a) While inaugurating the first Advanced Management Seminar of 1972 organised by the National Institue of Bank Management, the Governor, Reserve Bank of India, emphasized that it was necessary for the banks to plan their operations in consonance with the needs of the national economy and that there is nothing inherently contradictory between maximisation of individual bank's profits with attainment of social goals.

(b) The Government of India are also broadly of the same view.

Expansion of Air Services in Madhya Pradesh

2862. **Dr. Laxminarain Pandey:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to extend air service to some other cities of Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the names of the cities to which the air service is proposed to be extended ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) and (b): No such proposal is under consideration at present. Indian Airlines is operating a daily service connecting Gwalior, Bhopal and Indore on the sector Delhi-Gwalior-Bhopal-Indore-Bombay. Raipur and Bhopal are also connected on the service Calcutta-Jamshedpur-Ranchi-Rourkela-Raipur-Bhopal.

Foreign Capital Invested in Pharmaceutical Companies in the Country

2863. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the number of Pharmaceutical Companies in the country at present in which foreign capital is invested ;

(b) the locations of such Companies ; and

(c) their initial and present paid-up capital, separately ?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H. R. Gokhale): (a) The total number of firms manufacturing drugs and pharmaceuticals, either wholly or partially, having varying percentages of foreign investment (both direct and indirect) is 68.

(b) and (c): The information regarding the location and the present subscribed capital of the companies concerned is given in the attached statement. Information regarding initial paid up capital is not available. [Placed in the Library. *See* No. LT-1758/72]

Arrears of Income-Tax

2864. **Dr. Laxminarain Pandey:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the break-up of the arrears of Income-tax outstanding against public sector undertakings and other Companies and individuals ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): The break-up of the arrears of income-tax outstanding agaist public sector undertakings and other Companies and individuals is not separately available.

However, if the Hon. Member wants to have information regarding the arrears outstanding against any particular public sector undertaking, Company or individual, the same can be furnished.

Depletion of India's Foreign Exchange Reserves

2865. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether India's Foreign Exchange Reserves have depleted considerably ; and

(b) if so, the the reasons therefor ?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

राष्ट्रीय वेतन आयोग की नियुक्ति

2866. **श्री अमर नाथ चावला :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें एक राष्ट्रीय वेतन आयोग की नियुक्ति की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) कुछ राज्य सरकारों ने आग्रह किया था कि राष्ट्रीय मजदूरी तथा आय नीति का निर्माण किया जाय और केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में वृद्धि के संबंध में निर्णय, केंद्र और राज्यों के पास उपलब्ध साधनों के कुल परिमाण को ध्यान में रखते हुए ही किया जाना चाहिए । एक सुझाव यह भी दिया गया था कि तृतीय वेतन आयोग के निर्देश पद संशोधित किये जायें जिससे राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले को भी उनमें सम्मिलित किया जा सके तथा आयोग का नाम बदल कर राष्ट्रीय वेतन आयोग कर दिया जाय ।

(ग) तृतीय वेतन आयोग को कार्य-परिधि में राज्य सरकार के कर्मचारियों को सम्मिलित करने के सुझाव को स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया, क्योंकि इससे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के संबंध में आयोग की रिपोर्ट पेश होने में देर होती । इसके सिवाय राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनों के ढांचे और शर्तें प्रत्येक राज्य में अलग-अलग हैं, इसलिए संबंधित राज्य सरकारों का काम है कि वे अपने स्वयं के साधनों की तथा समय-समय पर वेतन आयोगों की सिफारिशों के अनुसार केंद्र से प्राप्य साधनों की स्थिति को ठीक से ध्यान में रखते हुए समय की अपेक्षा के अनुसार बेतन ढांचे में आवश्यक संशोधन के विस्तार का निर्णय करें । परन्तु तृतीय वेतन आयोग के वर्तमान निर्देश पदों में निर्देशानुसार, आयोग से अपेक्षा की जाती है कि वह केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के संबंध में अपनी सिफारिशें देते समय राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों आदि के साधनों पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखेगा ।

महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व के कार्यालय द्वारा भारतीय सांख्यिकी सेवा के तदर्थ पदोन्नत अधिकारियों के लिए वेतन स्लिपें जारी करने के लिए समान प्रक्रिया

2867. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली ने भारतीय सांख्यिकी सेवा के चतुर्थ

ग्रेड में तदर्थ पदोन्नत अधिकारियों में से कुछ व्यक्तियों को 31 दिसम्बर, 1971 तक की सीमित अवधि के लिए वेतन स्लिपें जारी की थीं ;

(ख) यदि हां, तो अपने लेखा-परीक्षा नियन्त्रण की सेवा के विभिन्न ग्रेडों में तदर्थ पदोन्नत सभी कर्मचारियों के लिए समान प्रक्रिया न अपनाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सम्बद्ध अधिकारियों को परेशानी से बचाने के लिए जनवरी, 1972 से आगे अनन्तिम वेतन स्लिपें जारी करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय सांख्यिकीय सेवा के तदर्थ आधार पर पदोन्नत अधिकारियों के मामले में महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व द्वारा जारी की गयी वेतन पर्चियों (पे स्लिपों) की अवधि, प्रत्येक मामले में सरकार के आदेशों पर आधारित रहती है ।

(ग) सरकार के आग्रह पर 31-3-72 तक के लिए तात्कालिक वेतन पर्चियां जारी की जा चुकी हैं ।

Direct Taxes Enquiry Committee Report

2868. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state whether Government propose to consult all the Groups in Parliament with a view to evolving a national policy on direct taxes in the light of the recommendations made by the Wanchoo Committee in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : Government would welcome any suggestion on direct taxes in the light of recommendations made by the Wanchoo Committee. The Consultative Committee of Parliament attached to the Ministry of Finance in its meeting held on the 12th April, 1972 has decided to discuss in depth the report of the Wanchoo Committee.

Loans Advanced by Nationalised Banks to Small Traders of Burhanpur, Madhya Pradesh

2870. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether loans are advanced by the State Bank of India and other nationalised banks to small traders of Burhanpur of Madhya Pradesh for expansion of their trade ; and

(b) if so, the number of such small traders who have been advanced loans by the said banks along with their names and the amount of loans granted to each of them during 1971 ?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) In accordance with the practices and usages customary among bankers and also in conformity with the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and State Bank of India Act 1955 information relating to accounts of individuals is not divulged. However, State Bank of India, Burhanpur had sanctioned credit limits of Rs. 1.09 lakh to 9 traders up to the end of December 1971. Information in respect of Nationalised Banks will be collected to the extent feasible and placed on the Table of the House.

Non-Payment of Loan by Madhya Pradesh

2871. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have not repaid the Central loans in time ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the amount of loan and interest thereon outstanding against Madhyv Pradesh at the end of 1970-71 ?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Central loan outstanding against Madhya Pradesh at the end of 1970-71 was Rs. 398.59 crores.

No amount was outstanding as interest from the State Government at the close of 1970-71.

Arrears of Income Tax against Individuals and Companies in Madhya Pradesh

2872. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of individuals and companies in Madhya Pradesh against whom Income-tax arrears amounting to more than Rs. one lakh are outstanding ; and

(b) the action taken to realise them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b) The requisite information as on 31-3-1972 is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Applications for Setting up Nylon Textile Filament Yarn Unit in Madhya Pradesh

2873. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the number of applications received by Government for setting up nylon textile filament yarn units in Madhya Pradesh ; and

(b) the particulars of the applicants and the action taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) In response to the Press Note issued by the Government on 5th July, 1970 inviting applications from entrepreneurs for setting up plants for manufacture of Nylon Textile Filament Yarn, four applications were received for establishing units in Madhya Pradesh.

(b) Particulars of these applicants are as follows :—

S. No.	Name of the applicant	Position of the application
1.	The Madhya Pradesh Audyogik Vikas Nigam Limited, 'A' Block, Old Secretariat, Bhopal (M. P.)	A letter of Intent has been issued on 29th December 1971 for setting up a new industrial undertaking for a capacity of 2,100 tonnes per annum.

S. No.	Name of the applicant	Position of the application
2.	Shri Kuber Chandra, 15/88, Civil Lines, Kanpur.	Rejected on 21-1-1972.
3.	Shri A. S. Kela, 16, Himagiri, Padam Tekri, Peddar Road, Bombay-26.	Rejected on 21-1-1972.
4.	Shri Jayant S. Dalal, c/o Prerana & Company, Jehangir Building, 133, Mahatma Gandhi Road, Bombay-1.	Rejected on 21-1-1972.

आगरतला में सेना तथा त्रिपुरा पुलिस के कर्मचारियों के बीच मुठभेड़

2874. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरतला शहर (त्रिपुरा) की जी० बी० चोम्मूबनी मार्केट में हाल ही में एक ओर सेना के कर्मचारियों तथा दूसरी ओर जनता तथा त्रिपुरा पुलिस के कर्मचारियों के बीच मुठभेड़ हुई थी ;

(ख) उक्त मुठभेड़ में कितने व्यक्ति घायल हुए ; और

(ग) इस मुठभेड़ के क्या कारण थे तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षामंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 15 मार्च 1972 को 19.00 बजे, लाठियों/छड़ियों से लैस सीमा सड़क संगठन के 4 कार्मिकों की जी० वी० चोम्मूबनी मार्केट में सिविलयनों से एक मुठभेड़ हुई थी जिन्हें बाद में सिविल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था ।

(ख) तथा (ग) : सूचना उपलब्ध नहीं है और उसे मंगाया गया है । यथासमय उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

पूछताछ के पश्चात् ही उठाए जाने वाले उपायों के बारे में निर्णय किया जाएगा ।

सौराष्ट्र में ओखा/कांडला में पाइपलाइन बिछाना

2875. **श्री सी० टी० दण्डपाणि :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्णय किया है कि सीमावर्ती राज्यों में रक्षा संबंधी कारणों से तेल-शोधक कारखाना स्थापित नहीं किया जाएगा ;

(ख) सौराष्ट्र में ओला अथवा कांडला में पाइपलाइन बिछाने संबंधी प्रस्तावित योजना पर उक्त निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा , और

(ग) उक्त पाइपलाइन अब कहां पर बिछाई जायेगी ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) विस्तृत हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण तथा समुद्री स्तरों की प्रावस्थाओं के अन्वेषण के परिणामों के मालूम होने के बाद ही, कच्चे तेल के आयात के लिए एक पोर्ट टर्मिनल के स्थान के बारे में निर्णय लिया जायेगा । पाइपलाइन का संरक्षण पोर्ट टर्मिनल के स्थान तथा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में प्रस्तावित परिष्करणशाला के स्थान पर निर्भर करेगा ।

आर्थिक पैनल का गठन

2876. **श्री सी० टी० दण्डपाणि** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'ब्रेन ट्रस्ट' के रूप में काम करने के लिए आर्थिक पैनल का गठन करने का सरकार ने निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या देश के आर्थिक विकास के लिए पैनल द्वारा कोई निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) : जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते ।

शोधित पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

2877. **श्री पी० गंगा देव** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन देशों से शोधित पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या ये उत्पाद उन उत्पादों की तुलना में महंगे होंगे जिनकी भारत में विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा सप्लाई की जाती है ;

(ग) यदि हां, तो कितने महंगे होंगे ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) समय समय पर प्राप्त पेशकशों के तुलनात्मक रूप पर निर्भर करते हुए रूस, कुवैत और अन्य खाड़ी के देशों से आयात का प्रस्ताव है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पाकिस्तान में भारतीय युद्धबंदियों के साथ अमानवीय व्यवहार के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति का प्रतिवेदन

2878. **श्री प्रभुदास पटेल :**
श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को पाकिस्तान में भारतीय युद्धबंदियों के साथ अमानवीय व्यवहार के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति से इस बीच कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) भारत सरकार को पाकिस्तान में भारतीय युद्धबन्दियों के साथ अमानविक व्यवहार के संबंध में आई सी आर सी से अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

गुजरात के पेट्रो-रसायन उद्योग समूह के डाउनस्ट्रीम यूनिट

2879. **श्री प्रभुदास पटेल :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के अधिकारियों के एक दल ने फरवरी, 1971 में अहमदाबाद की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की दो डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा भाग लेने के संबंध में शीघ्र निर्णय करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दल पर जोर दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मामले में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

कच्छ में तेल की खोज के लिए खुदाई कार्य

2880. **श्री प्रभुदास पटेल :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने फरवरी, 1972 से कच्छ में तेल की खोज के लिए खुदाई कार्य आरंभ किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या खुदाई के कुछ स्थानों को काफी आशाजनक बताया गया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) जी नहीं । किन्तु कच्छ के बन्नी क्षेत्र में एक स्थान पर खुदाई कार्य करने के लिए प्रबंध किये जा रहे हैं । खुदाई कार्य के जून, 1972 में शुरू हो जाने की संभावना है । यह स्थान संरचनात्मक

'टेरस' /नोज', जिसे भूकम्पीय सर्वेक्षणों से मालूम किया गया था, पर स्थित है। इस क्षेत्र में भूकम्पीय सर्वेक्षणों से अभी तक ऐसी कोई उपयुक्त स्ट्रक्चरल कूलोजर, जो सामान्यतः तेल तथा गैस उपलब्ध करने के बहुत ही अनुकूल समझा जाता है, नहीं है।

एयर इण्डिया की चार्टर सेवा के लिये ब्रिटेन और भारत के बीच सीटों की 'बुकिंग' का बन्द किया जाना

2881. **श्री के० बालतन्डायुतम :** क्या **पर्यटन और नागर** विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया ने 25 मार्च, 1972 के बाद ब्रिटेन और भारत के बीच अपनी चार्टर सेवा के लिये सीटों की 'बुकिंग' बन्द कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

त्रिपुरा में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों के रहने के लिए क्वार्टर

2882. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अथरामुरा (त्रिपुरा) में रहने के लिए कोई क्वार्टर बनाये हैं ;

(ख) उनके निर्माण की लागत क्या है ; और

(ग) क्या 'ड्रिलिंग' कर्मचारियों को इस बीच वहां स्थानान्तरित कर दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय उर्वरक निगम के प्रबन्ध निदेशक और उत्पादन तथा विपणन निदेशक के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

2883. **श्री अचल सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ संसद सदस्यों से यह प्रार्थना प्राप्त हुई है कि भारतीय उर्वरक निगम के प्रबंध निदेशक और उत्पादन तथा विपणन निदेशक के विरुद्ध लगाये गये 100 से अधिक आरोप विस्तृत जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे जाएं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) कुछ संसद सदस्यों से, भारतीय उर्वरक निगम के प्रबंध निदेशक तथा कुछ अन्य कार्यकारी निदेशकों के

विरुद्ध 100 से अधिक शिकायतों के एक ज्ञापन की प्रतियां प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों को जांच के लिए केन्द्रीय ब्यूरो को भेजने के लिए बाद में एक प्रार्थना पत्र भी प्राप्त हुआ था।

(ख) इस समय इन शिकायतों की जांच सरकार कर रही है।

भारत में विदेशी फर्मों के विस्तार के बारे में नीति पर पुनर्विचार

2884. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव उनके मन्त्रालय के विचाराधीन है ;

(ख) इन कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत किये गये विस्तार सम्बन्धी प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस समय उक्त मामले की स्थिति क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों से सम्बन्धित विदेशी कम्पनियों के विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव औद्योगिक विकास मन्त्रालय के पास आते हैं और जिन कम्पनियों पर एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रणाली अधिनियम के उपबन्ध लागू होते हैं उनके प्रस्ताव समवाय विभाग के पास आते हैं। वित्त मन्त्रालय के पास वे आवेदन-पत्र आते हैं जिनका सम्बन्ध, पूंजी निर्गम (नियन्त्रण) अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले उन प्रस्तावों से होता है जो पूंजी विस्तार के लिए और/अथवा प्रारक्षित निधियों के पूंजीकरण के लिए होते हैं। वित्त मंत्रालय, भारत में पहले से स्थापित विदेशी निगमित कम्पनियों की अतिरिक्त शाखाओं की स्थापना के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में भी आवश्यक कार्रवाई करता है। इन दोनों श्रेणियों से सम्बन्धित विचाराधीन आवेदन-पत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी०-1759/72]** ।

नेफा में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

2885. **श्री तेजा सिंह स्वतन्त्र** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों के कितने परिवारों का पुनर्वास किया गया है और वे परिवार किन-किन राज्यों से आए हुए हैं ;

(ख) अपनी जगहों में ही रहने वाले परिवारों की संख्या क्या है और इन्हें कितनी-कितनी भूमि दी गई है ;

(ग) पुनर्वास के लिए आमन्त्रित किये गए और बाद में बेदखल किये गये परिवारों की संख्या क्या है और इनकी बेदखली के कारण क्या हैं ;

(घ) बेदखली के विरुद्ध कितने परिवारों ने अभ्यावेदन दिए हैं और इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(ङ) क्या मामले की जांच के लिए सरकार का विचार एक जांच समिति नियुक्त करने का है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) आरम्भ में 154 परिवारों को पुनर्वास किया गया था। उन्हें पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश से लाया गया था।

(ख) उपर्युक्त में से 109 अपने स्थानों पर स्थित हैं। भूमि को योजना के अनुसार आवंटित किया गया था जो कि 25 एकड़ अफसरों के लिए, 15 इकड़ जे सी ओ के लिए तथा 11 एकड़ अन्य रैंकों के लिए जिसमें 1 एकड़ वासभूमि भी शामिल है।

(ग) स्थानीय प्रशासन ने 5 परिवारों को उनकी आवांछनीय गतिविधियों के कारण बेदखल कर दिया था।

(घ) तथा (ङ) : प्रशासन से स्थिति सुनिश्चित की जा रही है।

विदेशी सहायता में कमी

2886. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में भारत को 35 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता की कमी का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस कमी को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : 1971-72 के वर्ष के लिए परियोजनागत तथा आयोजना-भिन्न आवश्यकताओं के बारे में विश्व बैंक द्वारा लगाये गये 115 करोड़ डालर के अनुमान की तुलना में अभी तक 73.86 करोड़ डालर के करारों पर हस्ताक्षर किये गये हैं। चालू वर्ष के लिए प्राप्त होने वाली कुल विदेशी सहायता के सम्बन्ध में अभी तक संकेत नहीं मिले हैं।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान अपने 16 मार्च 1972 के बजट भाषण के पैरा 27 की ओर दिलाना चाहूंगा जिसमें मैंने विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की जानकारी दी है। सरकार देश के अन्दर उत्पादन में वृद्धि करके आयात प्रतिस्थापन और निर्यात प्रोत्साहन द्वारा विदेशी सहायता से उत्तरोत्तर मुक्त होने के सभी सम्भव प्रयास कर रही है।

भारतीय उर्वरक निगम के पुनर्गठन के संबंध में रामकृष्णय्या समिति की सिफारिशें

2887. **श्री जगदीश नारायण मंडल :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम के पुनर्गठन के विषय में विशेषतया कार्य निदेशकों की नियुक्ति के संदर्भ में, रामकृष्णय्या समिति की सिफारिशें क्या हैं ; और

(ख) निगम के विभिन्न विभागों (विंग) में कार्य निदेशकों की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उनके कृत्य क्या हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) उस समय सरकारी क्षेत्र में दो उर्वरक निगमों अर्थात भारतीय उर्वरक निगम एवं उर्वरक तथा रसायन

ट्रावनकोर लि० के संगठन, संरचना आदि का अध्ययन करने तथा अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश करने कि सरकारी क्षेत्रीय उर्वरक निगम आदि एक हों अथवा एक से अधिक हों, के लिए अक्तूबर, 1967 में एक अध्ययन दल की नियुक्ति की गई थी जिसके संयोजक श्री एम० रामाकृष्णय्या थे। अध्ययन दल ने यह सिफारिश की थी कि सरकारी क्षेत्र में केवल एक उर्वरक निगम होना चाहिए। जहां तक भारतीय उर्वरक निगम का सम्बन्ध है, सरकार ने कार्यान्वयन के सम्बन्ध में एकाकी उर्वरक निगम के मुख्यालयों के लिए अन्ततः पैटर्न सिफारिश को स्थूल रूप से स्वीकार किया। यह निर्णय किया गया कि, अध्ययन दल की सिफारिशों के अन्तर्गत विभिन्न पदों का सृजन समय समय पर विकास की आवश्यकताओं एवं कार्य लदान के अनुसार, प्रभाजीकृत हो। वित्त उत्पादन, मार्किटिंग और प्रायोजनाओं के लिए पूर्णकालीन निदेशकों की आवश्यकता को स्वीकार किया गया, एक तकनीकी निदेशक की नियुक्ति के लिए भी सुझाव था।

(ख) इस समय प्रबन्ध निदेशक के अतिरिक्त, मुख्यालयों पर निम्नलिखित कार्य निदेशक हैं:—

(i) प्रयोजनाओं के कार्य भारी निदेशक (ii) उत्पादन के कार्यभारी निदेशक (iii) वित्त के कार्य भारी निदेशक (iv) कर्मचारी एवं औद्योगिक सम्पर्क के कार्यभारी निदेशक।

भारतीय उर्वरक निगम के निदेशक मण्डल में प्रतिनिधित्व

2888. **श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगठन नियमावली (आर्टिकिल्स आफ एशोसिएशन) के अन्तर्गत भारतीय उर्वरक निगम के निदेशक मण्डल में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं ;

(ख) निदेशकों की वर्तमान संख्या, उनके नाम तथा पद क्या हैं ;

(ग) क्या मण्डल के अध्यक्ष की नियुक्ति की जा चुकी है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इसमें कुछ अन्य वर्गों को भी प्रतिनिधित्व प्रदान करने का है और यदि हां, तो कब तक ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) 15

(ख) इस समय निदेशकों की संख्या 8 है। उनके नाम तथा पदनाम इस प्रकार हैं:—

1. डा० के० आर० चक्रवर्ती, प्रबन्ध निदेशक
2. श्री के० सी शर्मा, निदेशक (प्रायोजना)
3. डा० एस० के० मुकर्जी निदेशक (उत्पादन)
4. श्री ओ० के० घोष, निदेशक (वित्त)
5. श्री आर० हसन निदेशक (कार्मिक एवं उद्योग सम्बन्ध)
6. श्री एस० के० मजूमदार, संयुक्त सचिव, वित्त मन्त्रालय (व्यय विभाग) अंशकालिक निदेशक

7. श्री एस० एम० एच० बर्न, संयुक्त सचिव, कृषि मन्त्रालय, अंशकालिक निदेशक

8. श्री सी० आर० दासगुप्ता, प्रबन्ध निदेशक, रिफाइनरीज प्रभाग, आई ओ सी, अंशकालिक निदेशक

(ग) बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्त के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

(घ) कुछ और निदेशक नियुक्ति करने के प्रस्तावों पर भी विचार हो रहा है।

व्यास-सतलुज लिंक प्रोजेक्ट में कार्य कर रहे डाक कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

2889. **श्री माधुर्य हालदार :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यास-सतलुज लिंक प्राजेक्ट में भारत के नियन्त्रक और महा लेखा परीक्षक के अधीन कार्य कर रहे कर्मचारियों को बिना किराये का मकान अथवा उसकी एवज में मकान किराया भत्ता दिया जाता है ;

(ख) क्या सरकार का विचार वहां कार्य कर रहे डाक कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता अथवा उसकी एवज में बिना किराये का मकान प्रदान करने की वह सुविधा फिर से प्रदान करने की है जो इन कर्मचारियों से जुलाई 1970 में वापस ले ली गई थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। उक्त रियायत 1 जुलाई 1970 से बहाल की जा चुकी है।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए, यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

उत्तर प्रदेश में खुदरा व्यापारियों तथा स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए ऋण सुविधाओं की व्यवस्था

2890. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में खुदरा व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिये भारतीय ऋण गारन्टी निगम के तत्त्वावधान में ऋण सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : भारतीय ऋण गारन्टी निगम, खुदरा व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों सहित छोटे ऋण कर्ताओं के कुछ वर्गों को बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों पर निर्दिष्ट सीमा तक गारण्टी देता है। निगम ने पहली अप्रैल, 1971 से अपना कार्य शुरू कर दिया था और 24 सितम्बर, 1971 तक इसने उत्तर प्रदेश में व्यापारियों और व्यावसायिकों तथा स्वनियोजित व्यक्तियों को दिये गए बैंक अग्रिमों पर क्रमशः 12.23 लाख और 4.68 लाख रुपये तक की गारन्टी दी थी।

पेट्रो-रसायन परियोजनाओं का प्रबंध करने के लिए नई नियंत्रक कम्पनी का संगठन

2891. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी दो वर्षों में बनने वाली विभिन्न पेट्रो-रसायन परियोजनाओं के प्रवन्ध के लिए सरकार एक नई नियन्त्रक कम्पनी का गठन करने पर विचार कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है ।

जीवन बीमा नगम के अधिकारियों द्वारा आंदोलन

2892. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के अधिकारी 16 फरवरी, 1972 से आन्दोलन कर रहे हैं ?

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं ; और

(ग) इस विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) श्रेणी–1 के अधिकारियों की मांगें निम्नलिखित थीं :—

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत शहरों के वर्गीकरण के अनुसार नगर प्रतिपूर्ति भत्ता दिया जाय ;

(ii) महंगाई भत्ते में पहली नवम्बर 1970 से वृद्धि और पहली नवम्बर, 1971 से अतिरिक्त वृद्धि दी जाय ; तथा

(iii) बीमांकिक अध्ययनों के प्रोत्साहन की योजना वापस ली जाय ।

(ग) मांगों के सम्बन्ध में समझौता हो चुका है ।

फ्लाइंग क्लबों तथा नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षित विमान चालक

2893. **श्री के० कोंडंडारामी रेड्डी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 में देश में फ्लाइंग क्लबों तथा नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या कितनी थी तथा उक्त अवधि के दौरान इनमें कितने विमान चालक प्रशिक्षित किये गये ; और

(ख) इनमें से प्रत्येक विमान चालक के प्रशिक्षण पर सरकार ने औसतन कितनी राशि व्यय की तथा प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक विमान चालक ने व्यक्तिगत रूप से औसतन कितना व्यय किया ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) नागर विमान प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद के अतिरिक्त 1970-71 और 1971-72 दोनों वर्षों के दौरान देश में 24 फ्लाइंग क्लब स्कूल/संस्थान थे। वर्ष 1971-72 में 284 व्यक्तियों ने तथा 1971-72 में 231 व्यक्तियों ने निजी विमान-चालक लाइसेंस अथवा वाणिज्यिक विमान चालक लाइसेंस प्राप्त किये।

(ख) इस तथ्य को अंगीकार करते हुए कि निजी विमान-चालक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 60 घन्टों की उड़ान अपेक्षित है और वाणिज्यिक विमान चालक लाइसेंस के लिए 250 घण्टों की, 22 वर्ष से कम आयु के मैट्रिक पास व्यक्ति को क्रमशः 1,500/-रुपये और 6,250/-रुपये का उड़ान शुल्क अदा करना होता है। अन्य व्यक्तियों के मामले में यही शुल्क क्रमशः 2,400/रु० और 10,000/-रु० होता है। सरकार द्वारा प्रत्येक विमान चालक के प्रशिक्षण पर औसतन कितनी राशि व्यय की जाती है इसका निर्धारण सम्भव नहीं है क्योंकि फ्लाइंग क्लबों को सहायतार्थ अनुदान क्लबों द्वारा पूरे किये गये प्रशिक्षण उड़ान घंटों के आधार पर दिया जाता है न कि लाइसेंस प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर।

केरल के पर्यटन केन्द्रों में होस्टलों का निर्माण करने सम्बन्धी प्रस्ताव

2894. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल स्थित पर्यटन केन्द्रों के नाम क्या हैं ;

(ख) उन केन्द्रों के नाम क्या हैं, जहां कोई होस्टल नहीं है ;

(ग) क्या पर्यटकों की सुविधाओं के लिए वहाँ होस्टलों का निर्माण करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ) : पर्यटन केन्द्रों की कोई विशेष सूची नहीं रखी जाती, क्यों कि पर्यटन रुचि के स्थानों का विकास उनके द्वारा प्रदान किये जाने वाले आकर्षणों से सम्बन्धित एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। केरल में पर्यटकों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था की जा चुकी है अथवा केन्द्रीय क्षेत्र में कोवालम, त्रिवेन्द्रम तथा पेरियार वन्य जीव शरण-स्थान पर उनकी व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। कोवालम में एक समुद्र तटीय विहार-स्थल का विकास किया जा रहा है और वहां एक होटल एवं कुटीरों का निर्माण हो रहा है, तथा त्रिवेन्द्रम में एक युवा होस्टल का निर्माण किया जा रहा है। पेरियार वन्य जीव शरण-स्थान पर, वन्य पशु देखने के लिए झील में पोत विहार के लिए दो मोटर लाँचों की व्यवस्था की जा रही है। पिछली योजनावधियों में, पर्यटन विभाग द्वारा ठेक्कड़ी में अरण्य निवास होटल के सुधार एवं विस्तार के लिए, त्रिवेन्द्रम में मस्कोट होटल के विस्तार के लिए, कोचीन में बोलाघाटी द्वीप पर गोल्फ कोर्स के सुधार के लिये, कोचीन तथा पेरियार झील में बैकवाटर्स पर पोत विहार के लिये लाँचों के लिए, चुरुथुरुथी में एक विश्रामगृह के निर्माण के लिए ठेक्कड़ी में एक स्लोपिंग जेटी तथा ओनम त्यौहार के आयोजन के लिये राज्य सरकार को उपदान दिया गया।

ट्रावनकोर कोचीन कैमिकल्स लि०, उद्योग मण्डल (केरल) के कास्टिक क्लोरीन संयन्त्र का विस्तार

2855. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में ट्रावनकोर कोचीन कैमिकल्स लि०, उद्योग मण्ल के कास्टिक क्लोरीन संयन्त्र के व्यापक विस्तार सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) क्या इस बारे में केरल सरकार से कोई प्रस्ताव सरकार को हुआ है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां। प्रस्ताव में कास्टिक सोडा तथा क्लोरीन की वर्तमान क्षमता में क्रमशः प्रतिवर्ष 33,000 मीटरी टन तथा 29,040 मीटरी टन तक की और वृद्धि किया जाना निहित है। प्रस्ताव का अनुमोदन किया जा चुका है।

(ख) केरल सरकार ने इस प्रायोजना के लिए एक रेक्टीफायर के आयात करने का अनुरोध किया था। इस अनुरोध को माना नहीं गया है क्योंकि रेक्टीफायर देशीय निर्माताओं से प्राप्त किया जा सकता है।

केरल में मिट्टी के तेल की कमी

2896. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में मिट्टी के तेल की सप्लाई की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Decision on Construction of a Restaurant with a Revolving Tower in Ashoka Hetel, New Delhi

2897. **Shri Hukam chand Kachwai :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether India Tourism Development Corporation which was examining a scheme in regard to the construction of a restaurant with a revolving tower in Ashoka Hotel, New Delhi, has since taken a final decision thereon ; and

(b) the time likely to be taken in the construction of the said restaurant and the estimated expenditure to be incurred thereon ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b): The matter is under consideration keeping in view the economics of the project.

सामान्य बीमा कम्पनियों के अधिकारियों की परिलब्धियां

2898. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामान्य बीमा कम्पनियों के अभिरक्षकों को कोई अनुदेश जारी किये हैं कि वे प्रबन्धक संवर्ग के कर्मचारियों के विद्यमान वेतन, भत्तों आदि को निर्धारित करें अथवा कम करें।

(ख) क्या कुछ अभिरक्षकों ने कुछ प्रबन्धकों की विद्यमान परिलब्धियों को समाप्त करने का निर्णय किया है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या कुछ अभिरक्षकों ने प्रबन्धकों को अनुदेश दिये हैं कि वे कोई व्यापारिक दौरा न करें और यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) : मैनेजर-संवर्ग के अधिकारियों की वर्तमान परिलब्धियों को कम करने के कोई आदेश अभिरक्षकों को जारी नहीं किये गए हैं। परन्तु इस आशय के आदेश अवश्य जारी किये गये हैं कि यदि अधिकारी किसी वेतन-वृद्धि वाले वेतन-मान में नहीं है तो––

(i) जिन अधिकारियों का मूल वेतन 4,000/-रुपये प्रतिमास से अधिक हैं उनको कोई वेतन वृद्धि नहीं दी जाय।

(ii) किसी भी मामले में वेतन-वृद्धि 150/-रुपये से अधिक नहीं हो और वेतन-वृद्धि देने के बाद मूल वेतन 4,000/-रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं हो।

(ग) प्रबन्ध का कार्यभारी अधिकारी होने के कारण यह निर्णय करना अभिरक्षक की जिम्मेदारी है कि किसी अधिकारी का प्रस्तावित दौरा आवश्यक है अथवा नहीं। अस्वीकृत दौरों की संख्या के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह आंतरिक प्रबन्ध का मामला है।

अन्य बीमा कम्पनियों के अभिरक्षकों के रूप में कार्य कर रहे सामान्य बीमा कम्पनियों में महाप्रबन्धक

2899. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी सामान्य बीमा कम्पनियां कितनी हैं जिनके महाप्रबन्धक अपने काम के साथ-साथ अन्य बीमा कम्पनियों के अभिरक्षकों के रूप में भी कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या ऐसे मामलों में दोनों कम्पनियों के हितों को ठेस पहुंचती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस असंगति को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तीन।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय-पाक युद्ध के पश्चात् चीन द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई

2900. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 मार्च, 1972 के 'दी हिन्दू' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तानी बन्दरगाहों पर अधिक संख्या में चीनी जहाज आ रहे हैं तथा भारी सैनिक सामान काफी मात्रा में वहां उतार रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार को कोई जानकारी मिली है कि दिसम्बर के युद्ध के पश्चात् चीन ने पाकिस्तान को कितनी मात्रा में तथा किस किस प्रकार का सैनिक सामान सप्लाई किया है ; और

(ग) इस खतरे का मुकाबला करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) इस विषय पर सरकार को सूचना है, किन्तु उसको प्रगट करना लोकहित में नहीं होगा ।

(ग) इन पूर्तियों का हमारी सुरक्षा पर तथा रक्षा तैयारियों पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे समय समय पर पुनरीक्षित किया जाता है ।

हिमाचल प्रदेश में बागवानी और कृषि-योग्य भूमि पर धन-कर से छूट

2901. **श्री तेजा सिंह स्वतत्र :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें बागवानी और कृषि भूमि पर धन कर एवं आय-कर मे छूट देने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है और प्रस्तावित छूट के परिणाम-स्वरूप कितनी आय कम हो जायेगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं ।

(कृषि से आय पर आय-कर लगाना अन्यथा भी राज्य का विषय है)

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

आय-कर विधियों में संशोधन

2902. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आय-कर विधियों में बड़ा संशोधन करने के बारे में विचार कर रही थी ;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इनको अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा और क्या प्रत्यक्ष करों पर वांचू समिति द्वारा की गई सिफारिशें भी इसमें शामिल की जायेंगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) जी, हां। प्रत्यक्ष-कर जांच समिति (वांचू समिति) की उन सिफारिशों को प्रभाव में लाने के लिए, जो सरकार को स्वीकार्य हैं, एक विधेयक पेश करने का विचार है। सरकार, आयकर तथा धनकर के प्रयोजनों के लिए, परिवार को, जिसमें पति, पत्नी तथा अवयस्क बच्चे शामिल होंगे, कराधान की एक इकाई बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

यथा सम्भव शीघ्र ही उपयुक्त विधान प्रायोजित करने का विचार है।

पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में हुई हानि

2903. **श्री के० कोडंडारामी रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम एशिया की बर्मा शैल, कालटैक्स और एस्सो कम्पनियों के तेल शोधक कारखानों से पेट्रोलियम उत्पादों के आयात करने में सरकार को 2.1 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) भारतीय तेल निगम द्वारा तेल उत्पादों का आयात प्रतियोगी टैंडरों के आधार पर किया जाता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि बर्मा शैल, कालटैक्स तथा एस्सो के तेल शोधक कारखानों अथवा पश्चिम एशिया के खाड़ी क्षेत्र के अन्य स्रोतों से पेट्रोलियम उत्पादों के आयात करने में भारतीय तेल निगम को कोई हानि नहीं हुई है।

मैसर्स मोलिन्स इण्डिया लिमिटेड

2904. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मोलिन्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) भारत की विदेशी कम्पनियों अथवा उनकी सहयोगी कम्पनियों के इस कम्पनी में अलग-अलग कितने मूल्य के अंश हैं ;

(ग) क्या इसी कम्पनी के निदेशक इण्डियन टोबैको कम्पनी, वजीर सुल्तान टोबैको कम्पनी, इन्डियन लीफ टोबैको डेवलपमेंट कम्पनी और ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ग्रुप आफ कम्पनी में भी हैं ;

(घ) यदि हां, तो उन निदेशकों के वेतन तथा परिलब्धियां क्या हैं ; और

(ङ) क्या यह कम्पनी एकाधिकार वाली कम्पनी समझी जाती है और एकाधिकार तथा निर्बन्धनात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) मोलिन्स आफ इन्डिया 23-6-60 को एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में पश्चिमी बंगाल में, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हुई थी। यह अधिनियम की धारा 43 क के अन्तर्गत 1-5-1961 को एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बन गई। यह ब्रिटेन, की एक विदेशी कम्पनी, मैसर्स मोलिन्स लि० की सहायक है।

(ख) 24-9-1971 को 91,69,480 रु० के अंकित मूल्य के कुल साम्य हिस्सों में से 50 83, 300 रु० के अंकित मूल्य के हिस्से इसकी विदेशी धारित कम्पनी द्वारा 10 रु० के एक विदेशी नागरिक

द्वारा 27,63,650 रु० के विदेशी कम्पनियों की दो भारतीय सहायक कम्पनियों द्वारा तथा शेष 13.17,520 रु० के हिस्से निगम निकायों सहित, भारतीयों द्वारा अधिग्रहण किये गये थे।

(ग) श्री ए० एन० हक्सर मोलिन्स आफ इन्डिया लिमिटेड ओर इन्डिया टोबेको कम्पनी लि० के एक सामान्य निदेशक हैं।

(घ) श्री ए० एन० हक्सर, मोलिन्स आफ इन्डिया लि० के निदेशक मंडल की बैठक में भाग लेने पर 200 रु० प्रति बैठक शुल्क प्राप्त करने के अधिकारी है।

(ङ) यह कम्पनी, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियय 1969 की धारा 26 के अन्तर्गन एक मुख्य उपक्रम के रूप में पंजीकृत हुई हैं।

उड़ीसा में चिलका झील के विकास के लिए प्रस्ताव

2905. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में चिलका झील के विकास के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) क्या इस प्रस्ताव की क्रियान्विति के विश्व बैंक से वित्तीय सहायता देने के लिए कहा गया है और यदि हां, तो कितनी राशि की सहायता मांगी गई है और इस बारे में बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) हाल में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में आसाम राज्य से जमा की गई राशि

2906. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) राष्ट्रीयकरण के बाद आसाम राज्य से राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल जमा राशि क्या है ;

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राज्य में कुल कितना निवेश किया गया है ; और

(ग) कुल निवेश में से कृषि क्षेत्र तथा लघु उद्योगों को कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

वित्त मत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) जिस प्रकार के आंकड़े मांगे गये हैं उस रूप में उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी मार्च, 1971 के अन्त में जो कि सबसे बाद की तारीख जिसके लिए सूचना उपलब्ध हैं भूतपूर्व असम राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा रकमें 27.70 करोड़ रुपया थीं।

(ख) चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राज्य में अलग-अलग किए गये कुल निवेश के आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। जहां तक सम्भव होगा इन्हें इकट्ठा किया जायगा और सभा-पटल पर रख दिया जायगा।

(ग) 12 मार्च, 1971 को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए 1,143 लाख रुपये के कुल अग्रिमों में से मार्च, 1971 के अन्त में असम राज्य में कृषि और लघु उद्योगों के सम्बन्ध में क्रमशः 235.65 लाख और 131.16 लाख रुपये बकाया थे।

एशियन केबल्स कारपोरेशन के लेखा-परीक्षक की नियुक्ति

2907. **श्री एस० एम० सिद्धय्या : क्या कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियन केबल्स कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक-बोर्ड ने 7 नवम्बर, 1970 को मैसर्ज सी० सी० चौकशी एण्ड कम्पनी के स्थान पर मैसर्ज के० एन० गुटगुटिया एण्ड कम्पनी को लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) जब मैसर्स गुटगुटिया एण्ड कम्पनी ने कथित नियुक्ति को स्वीकार नहीं किया तो कम्पनी के मण्डल ने मैसर्स सांघी एण्ड कम्पनी, शास-प्राप्त लेखापाल को लेखा-परीक्षक नियुक्त किया और उनकी नियुक्ति की कम्पनी की महासभा, जो 23 मार्च, 1971 को सम्पन्न हुई थी, में पुष्टि कर दी गई । सरकार केवल कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 224 (3) की सीमा शक्ति में कार्य कर सकती है ।

मैसर्ज स्मिथ स्टेनस्ट्रीट एण्ड कम्पनी के लिए लेखा-परीक्षक की पुनः नियुक्ति

2908. **श्री एस० एम० सिद्धय्या** : क्या **कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 मार्च, 1971 को मैसर्स स्मिथ स्टैनस्ट्रीट एण्ड कम्पनी के वार्षिक महा अधिवेशन में उस कम्पनी के सेवानिवृत होने वाले लेखा-परीक्षक की पुनः नियुक्ति के अंशधारियों द्वारा अस्वीकृत किये जाने के बावजूद भी, केन्द्रीय सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 224(3) के अन्तर्गत कम्पनी के लिए उसी लेखा-परीक्षक को पुनः नियुक्त किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख) इस विषय के तथ्यों तथा परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए, प्रादेशिक निदेशक, जिसे सरकार द्वारा ऐसी शक्ति प्राप्त है. ने अवकाश ग्रहण कर्त्ता लेखा-परीक्षकों को, कम्पनी अधिनियम की धारा 224 (3) के अन्तर्गत पुनः लेखा-परीक्षक नियुक्त कर दिया है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

देश के कुछ भागों में सूखे और अकाल की गम्भीर स्थिति का समाचार

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : Sir, I call the attention of the Minister of Agriculture to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :

"reported severe drought and famine conditions in certain parts of Orissa, Rajasthan, Bihar, West Bengal and other States and assistance to be given by the Central Government to meet the situation."

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): सूखा और अकाल सहित प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य करने की प्रमुख जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकार की होती है। फिर भी, केन्द्रीय सरकार अपने विभिन्न मन्त्रालयों के माध्यम से राज्य सरकारों से बराबर सम्पर्क बनाए रखती है ताकि उसे इस सम्बन्ध में पूरी-पूरी जानकारी रहे और यथावश्यक सहायता सुलभ स्थिति में हो सकें।

पिछले वर्ष की भांति, इस समय भी महाराष्ट्र, मैसूर और आन्ध्र प्रदेश के भागों में सुखे की स्थिति बनी हुई है। पिछले वर्ष के तूफानों तथा बाढ़ों के कारण उड़ीसा में भी जो सहायता कार्य शुरू किए गए थे, वे जारी रखे जा रहे हैं। राजस्थान के भागों में तथा पश्चिमी बंगाल, बिहार और उडीसा के थोड़े-से भागों में चल रही कमी की स्थिति के बारे में हाल ही में ताजे समाचार प्राप्त हुए हैं। जैसाकि भारत सरकार को बताया गया है, राज्य सरकारों ने सभी मामलों में आवश्यक सहायता सम्बन्धी उपाय किए हैं।

सभी मामलों में, राज्य सरकारों ने आवश्यक सहायता-उपाय किए हैं और वे ऐसी करती रहेंगी। इन उपायों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कार्य शुरू करने, भू-राजस्व की वसूली को स्थगित करने, मुफ्त सहायता का वितरण करने, जहां आवश्यक हो पेयजल सप्लाई करने, उचित मूल्य की दुकान खोलने, कृषि और पुनर्वास सम्बन्धी कार्यक्रम हेतु ऋण प्रदान करने जैसे उपाय शामिल हैं। सम्बन्धित राज्य सरकार की आवश्यकतानुसार केन्द्रीय सहायता दी जाती है और जहां कहीं भी आवश्यक होगा, स्थिति का जायजा लेने और केन्द्र तथा राज्य के बीच खर्चे के हिस्से से सम्बन्धित सीमा निर्धारित करने के लिए केन्द्रीय दल भेजे जायेंगे। पिछले वर्ष केन्द्रीय दलों ने आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, महाराष्ट्र, और उड़ीसा के राज्यों का दौरा किया था। केन्द्रीय दलों की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है।

देश में खाद्य स्थिति अत्यन्त सुगम है और कमी वाले क्षेत्रों में सरकारी वितरण प्रणाली के लिए राज्य की खाद्यान्नों से सम्बन्धित सभी उचित आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है।

भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए है। और स्थिति की मांग के अनुसार सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से सभी पग उठाए जायेंगे।

Shri Phool Chand Verma: The Hon. Minister has tried to conceal the facts. Shri Paras Ram Maderana, Famine Relief Minister in Rajasthan is reported to have said that there are famine conditions in 35 hundred villages and 25 lakhs of people are facing starvation. Apart from that, one hundred persons have died of starvation in Orissa. There is immence scarcity of drinking water in Rajasthan.

The study team sent to various States to study the famine conditions has deplored the misuse of the funds for political ends which were sanctioned by the centre for famine relief operations and the team has also regretted that its recommendations have not been implemented properly.

A sum of Rs. 125 crores has so far been spent on famine relief works but it has not been spent properly. Permanent schemes to provide relief should be implemented in the famine affected areas. The study team has referred to corruption and bungling in the name of famine relief works, An enquiry commission should be appointed to look into it.

I want to know whether the work of Rajasthan canal would be taken up on war-footing in the Fourth Plan to meet the famine situation and will the Government direct the State Government to provide tube wells in certain areas in Rajasthan which are famine affected.

Will the Central Government prepare a Famine Code as model providing therein permanent measures to meet the famine situation in famine affected arears ?

Will the Government consider to introduce long-term schemes by formulating Master Plan to meet the famine situation in such areas where famine situation arises due to lack of rain ?

The rate of wages in famine-stricken areas is very low. Keeping in view the price index, this rate should be increased.

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य ने कहा है कि भुखमरी के कारण कई लोग मर गए हैं परन्तु किसी भी राज्य सरकार ने इस बारे में हमें सूचना नहीं दी है । यदि माननीय सदस्य के पास कोई विशेष जानकारी है, तो वह जानकारी हमें दें ताकि प्रत्येक व्यक्तिगत मामले की जांच की जा सके क्योंकि भुखमरी से मरना कोई साधारण बात नहीं है । हम राज्य सरकारों की खाद्यान्न की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पूर्णतया तत्पर हैं ।

जहां तक अकाल राहत कार्य का सम्बन्ध है, इस बारे में राज्य सरकारों को आवश्यक कार्यवाही करनी पड़ती है, तथा केन्द्र के किसी सुझाव की उनको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती । राज्यों को अपने बजट में इस कार्य के लिये राशि के लिये केन्द्र को लिखना पड़ता है । तब केन्द्र इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय दल प्रतिनियुक्त करता है । वह दल राज्यों में घटनास्थल पर जाकर जांच करता है तथा अपनी सिफारीशें देता हैं । अपनी सिफारीशों पर राज्यों की सहायता की जाती है ।

अकाल संहिता बनाना राज्यों का कार्य है । यदि किसी राज्य ने अपनी अकाल संहिता को नवीनतम नहीं बनाया है तो इस बारे में हम उसके साथ बातचीत करेंगे ।

माननीय सदस्य ने राजस्थान नहर के बारे में बोलते हुए पूछा है कि अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को राहत देने के लिये क्या स्थायी उपाय किये जा रहे हैं । भारत सरकार गत दो वर्षों से राहत कार्यों के लिये ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम चला रही है तथा इस योजना में लगभग 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 25 करोड़ रुपये खर्च भी किये गये हैं । राजस्थान नहर वाले क्षेत्र के इस वर्ष 4 से 5 लाख एकड़ भूमि सिंचित की जायेगी ।

श्री डी० के० पंड (भंजनगर) :*

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मंत्री महोदय ने कहा है कि लोगों को खाद्यान्न सप्लाई करने का मुख्य उत्तरदायित्व राज्यों का है । परन्तु जैसा कि इस सभा को पता है, गत वर्ष उड़ीसा में जैसी बाढ़ की विनाशलीला, तूफान से क्षति तथा सूखे की स्थिति हुई, वैसी कभी नहीं हुई और मंत्री महोदय ने कहा है कि भुखमरी से मृत्यु होने के बारे में सरकार को किसी राज्य ने सूचना नहीं दी है । मयूरभंज जिले के ठाकुरमुंग क्षेत्र में 4 व्यक्ति भूख से मर गये थे । इसकी सूचना राज्य सरकार तथा राज्यपाल को दे दी गई थी । भुखमरी से मृत्यु होना जनवरी के अन्तिम सप्ताह से आरंभ हो गया था । जिलेवार आंकड़ें इस प्रकार हैं : कटक में 11, क्योंझर में 6, मयूरभंज में 22, ढ़ेंकानल में 6, बलासौर में 17 तथा सम्बलपुर में तीन । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस समस्या को समझने का प्रयास करें ।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

*Not recorded.

गत वर्ष प्राकृतिक प्रकोप के कारण तूफान आया परन्तु इस वर्ष अकाल के कारण मृत्यु की समस्या मानव द्वारा उत्पन्न की गई है। राज्य सरकार तथा मंत्री कहते हैं कि भारतीय खाद्य निगम के पास एक लाख मीट्रिक टन खाद्यान है परन्तु उड़ीसा में अकालग्रस्त क्षेत्रों में चावल 1.50 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। इसका अधिकतम नियंत्रित मूल्य 1 रुपये 10 पैसे प्रति किलो से 1 रुपये 30 पैसे तक है।

पिछले छह महीनों में जब वहां बहुत से लोग मर गये हैं और विरोधी दल के नेता ने भुखमरी से मरने वालों की संख्या एक सो बताई है तो राज्य सरकार प्रधान मंत्री से संसदीय दल भेजने के लिये अनुरोध कर रही है।

30 मार्च, 1972 को श्री खाडिलकर ने इस सभा में कहा था कि भारत सरकार ने राज्य सरकार के लिये 15,000 मीट्रिक टन चावल आवंटित किया था परन्तु उसमें से केवल 3,000 मीट्रिक टन चावल ही उठाये गये शेष रद्द कर दिये गये।

केन्द्रीय सरकार ने अब तक 1.28 करोड़ रुपये दे दिये परन्तु राज्य सरकार इस वर्ष फरवरी तक 20 लाख रुपये भी खर्च नहीं कर सकी जबकि यत्र-तत्र उचित दर दुकानें खोलना आवश्यक था। भारत सरकार के पास लगभग 80 लाख मीट्रिक टन चावल है। मान लीजिए राज्य सरकार अपना काला मुंह छिपाने के लिये केन्द्रीय सरकार को अकाल के कारण हुई मृत्यु की सुचना न दे परन्तु क्या केन्द्रीय सरकार का यह उत्तरदायित्व नहीं है कि वह आगे आये तथा उनकी सहायता करे। मेरा अनुरोध है कि कम से कम दस लाख मीट्रिक टन चावल केन्द्रीय नागरिक परिषद् के माध्यम से तूफान पीड़ित क्षेत्रों में पहुंचाया जाना चाहिये। क्या मंत्री महोदय ने इस प्रश्न पर उड़ीसा के मुख्य मंत्री के साथ बातचीत की थी, जब मुख्य मंत्रीयों का समेलन हुआ था।

क्या केन्द्रीय अध्ययन दल ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय सरकार ने 23 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं, राहत की मात्रा में वृद्धि करने का कोई सुझाव दिया है।

सरकारी सहायता के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास जैसी एजेन्सियों से जो गैर-सरकारी सहायता मिली है, उसका कितना भाग खर्च किया गया है। क्या अध्ययन दल इस बात की जांच करेगा कि राहत कार्यों के लिये दी गयी राशि सही व्यक्तियों को मिली है अथवा नहीं? विधान सभा में कई सदस्यों ने कहा है कि सरकार इस प्राकृतिक प्रकोप से उत्पन्न स्थिति का सामना करने में असफल रही है।

चावल के बढ़ते हुए मूल्यों को ध्यान में रख कर तथा इस स्थिति से अवगत होकर कि उड़ीसा में हजारों व्यक्ति भुखमरी के कारण काल के ग्रास होने जा रहे हैं, क्या सरकार एक सप्ताह के अन्दर कोई गंभीर कार्यवाही करेगी तथा जो कुछ भी और अधिक राशि तथा अन्य सहायता अपेक्षित हो, वह देगी ताकि लोगों को भुखमरी से बचाया जा सके? क्या आने वाले कम से कम तीन-चार महीनों तक वहां काफी संख्या में उचित दर दुकाने खोली जायेंगी?

विकलांगों को निःशुल्क राहत दी जानी चाहिये। ये एक कार्य तेजी से किये जाने चाहिये।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : भारत सरकार कठिनाईग्रस्त लोगों को आवश्यक राहत प्रदान करने के लिये प्रत्येक संभव उपाय करेगी।

माननीय सदस्य ने भुखमरी के कारण होने वाली मृत्युओं का उल्लेख किया है । मैं राज्य सरकार से इस मामले पर ध्यान देने के लिये कहूँगा । उड़ीसा, दुर्भाग्य से पीडित क्षेत्र रहा है । गत वर्ष तूफान आने से हजारों लोगों की मृत्यु हुई । भारत सरकार ने इसके लिये बहुत से उपाय किये । राहत कार्यों के लिये 19 करोड़ रुपये की धन राशि दी गई । राज्य सरकार के अनुरोध पर हाल ही में एक केन्द्रीय अध्ययन दल ने उड़ीसा का दौरा किया है । इस दल ने इस बात का पता लगाने का प्रयत्न किया है कि क्या राज्य सरकार को और सहायता की आवश्यकता है । दल के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

जहाँ तक खाद्य स्थिति का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में चिन्ता की आवश्यकता नहीं है । उड़ीसा सरकार के भंडार में प्रर्याप्त खाद्यान्न है । हाल ही के एक समाचार के अनुसार उनके भंडार में 88,000 मीटरिक टन चावल तथा 6,000 मीटरिक टन गेहूं उपलब्ध है । जहाँ तक उड़ीसा को खाद्यान्न सप्लाई करने का प्रश्न है, उसमें और कोई कठिनाई नहीं है । मुख्य मंत्रियों से, विशेषतया उड़ीसा के मुख्य मंत्री से खाद्यान्नों की सार्वजनिक वितरण पद्धति को ठीक करने के लिये कहा गया है । जब तक वितरण स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक उचित मूल्य पर खाद्यान्न सप्लाई से उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखना संभव नहीं होगा । यदि उड़ीसा सरकार केन्द्र से और खाद्यान्नों के लिये अनुरोध करती है, तो उन्हें खाद्यान्नों की सप्लाई की जायेगी क्योंकि देश में खाद्यान्नों की कमी नहीं है ।

यह ठीक है कि उड़ीसा के सात जिले तूफान ग्रस्त जिले हैं तथा कुछ स्थानों पर वर्षा न होने से स्थिति खराब है । फसल न होने से इन क्षेत्रों के लोगों के सामने कठिनाइयां हैं । राहत सुविधायें प्रदान करके कठिनाईयों को दूर करने का प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जायेगा ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मंत्री महोदय ने प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है तथा अपने वक्तव्य में कोई नई बात नहीं कही है ।

पश्चिम बंगाल में गत वर्ष सितम्बर के महीने में महीने में भंयकर बाढ़ आयी थी । बर्दवान, बीरभूम, मालदा, हावड़ा, हुगली, मिदनापुर नदिया, मुर्शिदाबाद, पश्चिम दीनाजपुर, तथा कूचबिहार आदि जिले बाढ़ग्रस्त हुये थे और लगभग 200 करोड़ रुपये की हानि का अनुमान लगाया गया था परन्तु बाढग्रस्त लोगों को राहत देने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया ।

यह ठीक है कि उड़ीसा में भुखमरी से लोगों की मृत्यु हुयीं परन्तु सरकार यह जानते हुये भी कहती हैं कि मृत्यु किसी बीमारी के कारण हुयी हैं ।

यदि मंत्री महोदय मालदा जिले का दौरा करें तो उन्हें पता चलेगा कि कृषि श्रमिकों, बंटाई पर खेती करने वालों तथा गरीब किसानों को एक समय का भोजन मिलना भी दुर्लभ हो रहा है । राहत सुविधायें इन लोगों तक नहीं पहुँच पाती हैं । निरन्तर भूखे रहने के कारण ये लोग अपने कार्य करने के स्थानों तक भी नहीं पहुँच पाते हैं । यह स्थिति मालदा में ही नहीं, अपितु बर्दवान, हुगली, नदिया ज़िलों के ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैली हैं ।

केन्द्र सरकार सदैव ही राहत कार्यों के लिये राज्य सरकार को उत्तरदायी ठहराती है । राज्य सरकार कहती है कि उनके पास निधि नहीं है । गत एक वर्ष से पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय

शासन रहा है और इस सम्बन्ध में हमने जब भी अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया तो उन्होंने यही बताया कि केन्द्र सरकार राज्य को आवश्यक धन राशि नहीं दे रही है । निर्वाचनों के एक सप्ताह पूर्व कांग्रेस दल के प्रतिनिधियों ने राजनैतिक चाल से आटे तथा मैदा की बहुत सी बोरियां लोगों को पहुंचायीं । इसके फलस्वरुप लोग कांग्रेस को मतदान करने का आश्वासन देते थे । इससे पूर्व कोई निःशुल्क राहत प्रदान नहीं की गई ।

आज पश्चिम बंगाल में चावल का मूल्य 2 रुपये 50 पैसे प्रति किलो है । यह मूल्य भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ऊंचा है । मंत्री महोदय ने बताया है कि देश में खाद्यानों की कमी नहीं है परन्तु आज भी लोग भूख से मृत्यु के शिकार हो रहे हैं । ऐसा क्यों है ? उनके पास खरीदने के लिये पैसा नहीं है ।

खाद्यान्नों, विशेषतया चावल, के मूल्य ऊंचे न हों, इस विषय में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? दूसरे निःशुल्क राहत की छोटी सी धनराशि को ग्रामों में राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रयोग न किया जाये । इस बात को सुनिश्चित कराने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ? ग्रामीण लोगों को व्यापक स्तर पर राहत सुविधायें दी जानी चाहियें । यह बात नहीं है कि पश्चिम बंगाल के कुछ स्थानों पर ही कठिनाई, खाद्यानों की कमी, की स्थिति है । गरीब लोगों की क्रम क्षमता को सुदृढ़ बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : जहाँ तक राहत कार्यों का प्रश्न है, कि बंगला देश के शरणार्थियों तथा अन्य कठिनाईयों के उपरान्त भी सरकार ने देश के विभिन्न भागों में राहत कार्यों पर 73 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की है । अब भी किसी भाग में यदि कोई कठिनाई आती है तो सरकार राज्य सरकारों की सहायता के लिये प्रत्येक संभव प्रयत्न करेगी ।

माननीय सदस्य ने कहा है कि केन्द्र सरकार दुर्घटना के लिये राहत सुविधायें प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को उत्तरदायी बताती है । इसमें क्या किया जा सकता है । संवैधानिक स्थिति ही इस प्रकार की है । हम राज्य सरकारों से परामर्श कर रहे हैं और यदि केन्द्र से किसी अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता समझी जायेगी तो वह प्रदान की जायेगी ।

पश्चिम बंगाल में 60 से 70 लाख के बीच शरणार्थी आये । बाढ़ आयी तथा यातायात अस्त व्यस्त हो गया । इसके उपरान्त भी सप्लाई अस्त व्यस्त नहीं हुयी । सरकार ने पश्चिम बंगाल को चावल तथा गेहूं सप्लाई करने के लिये प्रत्येक संभव उपाय किया । मूल्य में देश पर्यन्त थोड़ी वृद्धि हुई है । यह पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं है । गत दो सप्ताहों से खाद्यान्नों की स्थिति काफी ठीक हो गई है और मूल्य कम होने लगे हैं । सरकार पश्चिम बंगाल में खाद्यान्नों के भंडार रखने तथा उचित रुप में इन्हें जनसाधारण को वितरित कराने के लिये पर्याप्त कार्यवाही करेगी ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : गतवर्ष उड़ीसा में जो दुर्घटना हुयी, देश में एक शताब्दी में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता । राष्ट्रपति जी ने भी इसे स्वीकार किया है । अत: उड़ीसा की स्थिति को अन्य राज्यों की तुलना में विशेष स्थान दिया जाना चाहिये । राजनैतिक भेदभाव को दूर रखकर मंत्री महोदय को उड़ीसा की स्थिति पर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

दुर्घटनाओं के लिये राहत सुविधायें प्रदान करने के सम्बन्ध में राज्य तथा केन्द्र के दायित्वों में बहुत थोड़ा सा अन्तर है । समवर्ती सूची की मद संख्या 33 में बताया गया है कि खाद्यान्नों

की सप्लाई का दायित्व पूर्णरूप से केन्द्र सरकार का है । इस हरित क्रान्ति के समय में कृषि मंत्री को राज्यों की भुखमरी को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये ।

राज्य सरकारों का यह कहना कि भूखे रहने के कारण किसी व्यक्ति की भी मृत्यु नहीं हुयी । ठीक है ; मनुष्य अपनी भूख मिटाने के लिये अखाद्य वस्तुयें भी खा लेता है और यही क्रिया उसकी मृत्यु का कारण बनती है । क्या केन्द्र सरकार इस बात की जांच करायेगी कि उड़ीसा में ही नहीं, अपितु देश पर्यन्त क्या ऐसी घटना घटित होती है ?

मंत्री महोदय ने बताया है कि केन्द्रीय अध्ययन दल उड़ीसा सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रहा है । बात ऐसी नहीं है । कई मामलों में दल ने राज्य सरकार के मत की अवहेलना की है । उदाहरणार्थ, उड़ीसा सरकार ने निःशुल्क राहत के रूप में 2 करोड़ रुपये की राशि की मांग की । परन्तु केन्द्रीय अध्ययन दल ने 1 करोड़ रुपये की धन राशि की सिफारिश की । ऐसे उदाहरण और भी हैं ।

कहा गया है कि उड़ीसा सरकार केन्द्र द्वारा दी गई धन राशि को व्यय नहीं कर रही है । 31 मार्च, 1972 तक के आंकड़ों के अनुसार राज्य सरकार ने 23.77 करोड़ रुपये की राशि व्यय की है, जब कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित सीमा 23.23 करोड़ रुपये थी ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार केन्द्रीय अध्ययन दल के पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से भिन्न उड़ीसा के मानवीय संकट को दूर करने के लिये उदार दृष्टिकोण अपनायेगी ? सरकार को यह प्रयत्न करना चाहिए कि जिन क्षेत्रों में लोगों की क्रयक्षमता कम है, उन क्षेत्रों में इस क्षमता को सुदृढ़ किया जाये जिससे लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध हो सकें ।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : जहां तक मानवीय संकट को दूर करने का प्रश्न है सरकार इस मामले पर किसी राजनीतिक भेदभाव से कार्य नहीं करेगी । केन्द्रीय सहायता के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया हैं । केन्द्रीय सरकार अपेक्षित धन राशि का 75 प्रतिशत भुगतान करती है इसमें 50 प्रतिशत अनुदान की राशि होती है तथा 25 प्रतिशत ऋण । शेष 25 प्रतिशत राज्य सरकार अपने संसाधनों से जुटाती है । इसी आधार पर केन्द्रीय अध्ययन दल विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत राशि की सीमा निश्चित करता है ।

हमारा अनुभव यह रहा है कि देश के विभिन्न भागों में राहत कार्यों के सम्बन्ध में केन्द्रीय अध्ययन दल का कार्य सहायक रहा है । उसका मूल्यांकन ठीक तथा वास्तविक रहा है । राज्य सरकारों को भी यह मान्य रहा है । जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, वह अध्ययन दल की सिफारिशों को मानेगी । यदि राज्य सरकारें कोई विशिष्ट शिकायत करती हैं, तो केन्द्र सरकार उस पर ध्यान देने के लिए तैयार है ।

जहां तक उचित मूल्य पर खाद्यान्नों की सप्लाई का प्रश्न है, इसके लिए उचित दर दुकानों आदि की व्यवस्था करना राज्य सरकार का कार्य है । उड़ीसा सरकार विशेषकर संकट ग्रस्त क्षेत्रों में, पर्याप्त संख्या में उचित दर दुकानों की व्यवस्था नहीं कर रही है । यदि उड़ीसा सरकार सहायता प्राप्त खाद्यान्नों की सप्लाई केन्द्रीय सहायता के आवंटन से करना चाहती है तो कर सकती है ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

नौसेना और वायुयान प्राइज अधिनियम 1972 और नौसेना औपचारिकता, सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण (दूसरा संशोधन) विनियम, 1972

संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री केदारनाथ सिंह) : मैं श्री जगजीवन राम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) नौसैनिक और वायुयान प्राइज अधिनियम, 1971 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत नौसैनिक और वायुयान प्राइज नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 जनवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 2 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1743/72]**

(2) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौसेना औपचारिकता, सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण (दूसरा संशोधन) विनियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 98 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1744/72]**

केन्द्रीय सरकार (सिविल) राजस्व प्राप्तियों के सम्बन्ध में भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, राष्ट्रीयकृत बैंक्स है (प्रबन्ध) और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) योजना और सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार (सिविल) राजस्व प्राप्तियों के सम्बन्ध में भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 1970-71 के प्रतिवेदन की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1745/72]**

(2) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और स्थानान्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (5) के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध)और (प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) स्कीम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 मार्च, 1972 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 192 (ङ) में प्रकाशित हुई थी। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1746/72]**

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रतिः—

(एक) जी० एस० आर 217 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 218 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 मार्च, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1747/72]**

(4) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी निम्नलिखिर अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रतिः—

(एक) जी० एस० आर० 234 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 382, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 मार्च, 1972 में प्रकाशिक हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टीं० 1748/72]**

पराग टूल्स लिमिटेड सिकन्दराबाद का वर्ष 1970-71 का वार्षिक प्रतिवेदन

संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री केदारनाथ सिंह): मैं, श्री विद्या चरण शुक्ल की ओर से, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद, के वर्ष 1970-71 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां, सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1749/72]**

भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1970-71 के कार्य की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और भारतीय तेल निगम लिमिटेड, बम्बई

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं, निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1970-71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ख) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1970-71 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1750/72]**

(दो) (क) भारतीय तेल निगम लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1970-71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ख) भारतीय तेल निगम लिमिटेड, बम्बई, का वर्ष 1970-71 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त मद (1) (दो) (ख) में उल्लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1751/72]**

राज्य सभा से प्राप्त संदेश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मै राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देता हूं :

(एक) कि राज्य सभा 11 अप्रैल, 1972 को अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 29 मार्च, 1972 को पास किए गए सामुदायिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकार विधेयक, 1972, से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

(दो) कि राज्य सभा ने 10 अप्रैल, 1972 को अपनी बैठक में वास्तुविद् विधेयक 1972. पास किया है।

वास्तुविद् विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पास किये गये रूप में
ARCHITECTS BILL, AS PASSED BY RAJYA SABHA

सचिव : मैं, राज्य सभा द्वारा पास किया गया वास्तुविद् विधेयक, 1972 सभा-पटल पर रखता हूं।

विधेयकों पर अनुमति
ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं, चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गए तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) महा प्रशासक (संशोधन) विधेयक, 1972

(2) लोक वक्फ (परिसीमा वितरण) (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 1972

(3) भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1972

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति
LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने चौथे प्रतिवेदन में निम्नलिखित सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुमति देने की सिफारिश की है।

1. श्री सोमनाथ चटर्जी
2. श्री सी० के० जफर शरीफ
3. श्री भार्तण्ड सिंह

4. श्री टी० एच० गावती

5. श्री एम० मुथुस्वामी

6. श्री उम्मेद सिंह राडिण्या

मैं समझता हूं कि सभा समिति की सिफारिशों से सहमत है ।

बहुत से माननीय सदस्य : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को यथावत सूचना भेज दी जायेगी ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान एक सदस्य के आचरण सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON THE CONDUCT OF A MEMBER DURING PRESIDENT'S ADDRESS

दूसरा-प्रतिवेदन

श्री आर० डी० भंडारे (बम्बई मध्य) : मैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान एक सदस्य के आचरण संबन्धी समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

नियम 377 के अधीन मामला
MATTER UNDER RULE 377

बोनस के प्रश्न पर कानपुर में कपड़ा श्रमिकों की हड़ताल

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : स्वदेशी काटन मिल्स तथा जे० के० काटन मिल्स के 13,000 कर्मचारियों के सम्बन्ध में मामला उठाने हेतु मुझे जो अवसर प्रदान किया गया है, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं । ये कर्मचारी खाडिलकर फारमूला के अनुसार बोनस के भुगतान किए जाने के प्रश्न पर 3 तारीख से हड़ताल कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में 29 मार्च को केन्द्रीय श्रमजीवी ने हड़ताल वापस लेने के लिए कहा था । इसके पश्चात उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने भी हड़ताल वापस लेने के लिए कहा और कर्मचारियों को बताया कि वह केन्द्रीय श्रम मन्त्री से विचार करके मामले का निर्णय करेंगे ।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हड़ताल करने वाले कर्मचारियों की अग्रिम धनराशि सम्बन्धी मांग स्वीकार कर ली जायें तो वे हड़ताल वापस लेने को तैयार हैं । मुझे आशा है कि मुख्य मन्त्री केन्द्रीय श्रम मन्त्री से परामर्श करके मामले पर शीघ्र निर्णय करेंगे । मिल मालिकों से कहा जाना चाहिए कि वे मामले को शीघ्रातिशीघ्र निपटायें क्यों कि इन मिलों के कुछ एककों में प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान तैयार होता है । मुझे आशा है कि मुख्य मन्त्री और केन्द्रीय श्रम मन्त्री मामले को शीघ्र निपटायेंगे ।

क्योंकि श्रम मन्त्री यहां विद्यमान हैं अतः मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में कुछ कहें ।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : मैंने माननीय सदस्य द्वारा पढ़े गये वक्तव्य को ध्यान से देखा है। मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री से सम्पर्क करने का प्रयत्न भी किया है पर वह हो नहीं सका। यदि मैं उन से मिल सका, तो इस विवाद को हल करने में सहायता दूंगा।

अनुदानों की मांगें—(जारी)
DEMANDS FOR GRANTS—(*Continued*)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग—(जारी)

अध्यक्ष महोदय : अब हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की मांगों को लेते हैं। 40 मिनट सदस्यों के लिए हैं और मन्त्री महोदय 2.40 पर अपना उत्तर प्रारम्भ कर सकते हैं। फिर 3 बजे दूसरा विषय लिया जायेगा।

श्री बी० वी० नायक अपना भाषण मध्याह्न भोजन के बाद चालू करें।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बज कर 8 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after lunch at eight minutes past Fourteen of the clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy-Speaker in the Chair

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं क्यों कि पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिक विकास के परिणाम-स्वरूप ही हम हरित क्रांति के द्वारा खाद्य पदार्थों में स्वावलम्बी हुए हैं, 'रेडियो' संचार आदि के संसाधनों में विकास हुआ है।

इस विभाग के लिए एक अलग मन्त्रालय की स्थापना का मैं स्वागत करता हूं। पर इसके साथ ही मैं यह चाहता हूं कि यह मन्त्रालय कहीं अपने तक ही सीमित न रह जाये। सभी अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयों से इसे गहरा सम्बन्ध बनाए रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक बात राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति के बारे में है। उसमें सभी विज्ञान के विशेषज्ञ हैं पर सामाजिक विज्ञान का कोई विशेषज्ञ उसमें नहीं रखा गया है। इस कमी को समाप्त किया जाना चाहिए।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : There is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : घन्टी बजाई जा रही है।

अब गणपूर्ति है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री बी० वी० नायक : हमें इन सब बातों पर जन साधारण के दृष्टिकोण से सोचना होगा और उपभोक्ता की संतुष्टि का सर्वेक्षण करना होगा। हमारे देश में 65,000 से 70,000 लोग वैज्ञानिक कार्यों में लगे हुए हैं पर अभी भी 1,00,000 तकनीकी योग्यता प्राप्त लोग तथा इंजीनियर आदि बेकार हैं। हमें देश की प्रतिभा को बेकार जाने से रोकना चाहिए। प्रतिभा पलायन की समस्या भी हमारे सामने है। प्रतिभाशाली लोग यहां काम के अभाव में विदेशों में जा रहे है। वर्तमान स्थिति में हम इन प्रतिभाओं को कोई लाभदायक और सुयोग्य कार्य नहीं दे सकते। पर हमें प्रतिभा पलायन की दुहाई देकर ही बैठे नहीं रहना चाहिए। अभी भी बहुत सी प्रतिभायें यहां छिपी पड़ी हैं, जिनका उपयोग हो सकता है। अतः हमें इनके अनुकूल वातावरण यहां बनाना चाहिए।

हमारे देश की तात्कालिक आवश्यकता संचार व्यवस्था की कमी को पूरा करना है। अतः वैज्ञानिक तथा आयोजकों लोगों की आवश्यकता की जानकारी करके इस दिशा में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए तथा विज्ञान द्वारा एक क्रान्ति लानी चाहिए।

देश में विद्यमान क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए विज्ञान का विकास करना अत्यन्त आवश्यक है। अन्यथा एक क्षेत्र अपनी प्राकृतिक स्थिति और अन्य कारणों से अधिक विकसित और समृद्ध हो जायेगा तथा दूसरा पिछड़ा और गरीब रह जायेगा और इसका राष्ट्रीय अखण्डता पर बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और देश के समन्वित विकास में बाधा पड़ेगी।

श्री समर गुह (कन्टाई) : विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना करने के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं : पर इससे सम्बन्धित प्रतिवेदन हमें कल शाम ही दिये जाने के कारण इस पर लाभदायक चर्चा करना सम्भव नहीं है। 37 करोड़ के अनुदान में से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को 25 करोड़ रुपया दिया गया है। पर यह बात पता होगी कि परिषद के कार्यकरण और गठन पर सभा में बड़ा हंगामा हुआ था और परिणाम-स्वरूप उसकी जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी पर उक्त समिति का प्रतिवेदन हमें नहीं दिया गया। उसके अभाव में इस पर चर्चा करना उद्देश्यपूर्ण नहीं होगा।

विभाग के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि इसका मुख्य उद्देश्य रक्षा कार्यों का अनुसंधान और विकास करना है। पर मैं कहूंगा कि हमारी अगली आयोजना रोजगार-प्रधान होगी, उसमें हमें विकेन्द्रित औद्योगिक प्रौद्योगिकी को विकसित करना होगा।

इस विभाग का मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिक विज्ञान और प्रायोगिक प्रौद्योगिकी पर ध्यान केन्द्रित करना होना चाहिए। बुनियादी अथवा मूलभूत विज्ञान इसके अन्तर्गत नहीं आने चाहिए। इस विभाग के कार्य को इतना बड़ा, इतना विशाल और इतना कठिन नहीं बनाया जाना चाहिए। इतने अधिक विषय इसके लिए अन्तर्गत नहीं लाने चाहिएं। यदि हमारा उद्देश्य देश को स्वावलम्बी बनाना है तो यह करना पड़ेगा। इसके अन्तर्गत केवल ईंधन तथा विद्युत, भारी इंजीनियरिंग, रसायन उद्योग, मशीनी औजार तथा कृषि उपकरण, कृषि उद्योग, खनन, इस्पात, तथा धातु कर्म उद्योग, वैमानिकी, परिवहन, प्रति रक्षा तथा अन्तरीक्ष, इलैक्ट्रानिक्स तथा शिक्षा-सम्बन्धी अनुसंधान आदि विषय होने चाहिए। परन्तु यह जानने के लिए कि विज्ञान तका प्रौद्योगिकी विभाग की आवश्यकताएं क्या हैं तथा इसे क्या करना चाहिए, इसके लिए आपसी समन्वय स्थापित किया जा सकता है।

इस विभाग को एक अलग मन्त्री को सौंपा जाना चाहिए । इसे योजना मन्त्रालय के अन्तर्गत नहीं रखा जाना चाहिए, जिसके पास बहुत से कार्य हैं । इसका मन्त्री कोई वैज्ञानिक होना चाहिए ।

वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । उन्हें अधिक वेतन और सुख सुविधाएं दी जानी चाहिए । देश से प्रतिभा पलायन को इसी प्रकार रोका जा सकता है ।

इस विभाग की कार गुजारी बहुत कुछ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी समिति पर निर्भर है । परन्तु पता नहीं इसमें अंशकालिक सदस्यों को क्यों रखा गया है । भले ही इसका आकार छोटा कर दिया जाए पर सदस्य पूर्णकालिक होने चाहिएं, क्योंकि अंशकालिक सदस्य नियमित रूप से इसकी बैठकों के लिये समय नहीं दे सकते । इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि वे सदस्य वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् होने चाहिए । एक उपसमिति का गठन भी किया जाना चाहिए, और उसके सदस्य भी पूर्णकालिक और वैज्ञानिक अथवा प्रौद्योगिकीविद् होने चाहिएं ।

श्री बी० एन० पी० सिंह (फूलपुर) : राष्ट्रीय वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना करके हम प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को प्रकाश में ला सकेंगे और उनका उपयोग सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में कर सकेंगे ।

विभिन्न सामाजिक कार्यों में विभिन्न प्रौद्योगिकी जानकारी की आवश्यकता होती है । जिस प्रकार से हम करना चाहते हैं उसी प्रकार के उपकरण की उसके लिये आवश्यकता होगी । छोटे छोटे खेतों के लिए अलग उपकरण चाहिएं और बड़े-बड़े खेतों के लिए अलग । ऐसे ही परिवहन आदि के सम्बन्ध में भी आवश्यकता के अनुसार वाहनों तथा अन्य व्यवस्थाओं की ज़रूरत होगी ।

रक्षा उपकरणों के सम्बन्ध में परिषद ने बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है । टैंक भेदी गोला बना कर उन्होंने इस क्षेत्र में एक उल्लेखनीय योग दान किया है । उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है ।

इस प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान की उन्नति तथा हरित क्रान्ति का भूमिहीन मजदूरों को कोई लाभ नहीं मिला है, उसका उचित लाभ उन्हें मिलना चाहिए ।

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को एक जगह रखने पर कुछ आपत्तियां उठाई गई हैं । योजना का प्रौद्योगिकी पर प्रभाव पड़ता है तथा प्रौद्योगिकी का योजना पर, अतः इस पारस्परिक सम्बन्ध के कारण विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा योजना विभाग को एक ही मन्त्री के अधीन रखा गया है और मेरे विचार से यह एक उचित निर्णय है ।

आत्म-निर्भरता का कार्य अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का सामना हम अपनी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक योग्यता के आधार पर ही कर सकते हैं । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि सम्पूर्ण वैज्ञानिक गतिविधियां विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत कर दी जानी चाहियें इस विषय पर काफी विचार विमर्श करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऐसा करना उचित नहीं है । सभी विभागों को एक ही मन्त्रालय के अन्तर्गत इकट्ठा नहीं किया जा सकता ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का गठन करने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि सभी सरकारी विभागों और सम्पूर्ण राष्ट्र के संस्थानों में समन्वय और तादात्मय स्थापित किया जा सके। यदि इस विभाग के कृत्यों पर दृष्टिपात करें, तो हमें स्पष्ट हो जायेगा कि हमने विभिन्न विषयों के लिए अनेक उप-दलों का गठन कर दिया है। यह विभाग सभी प्रकार की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक प्रगति और विकास का समन्वय करेगा जिससे सम्पूर्ण राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में उचित योगदान प्राप्त किया जा सके।

विज्ञान की शिक्षा का विषय शिक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत आता है, परन्तु हम जन शक्ति के विकास के भी इच्छुक हैं। इसीलिए हम शिक्षा मन्त्रालय के साथ इस प्रकार का सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं, जिससे कि आरम्भ में ही विज्ञान की शिक्षा दी जा सके और देश में वैज्ञानिक प्रतिभा का विकास किया जा सके। इसीलिए राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की एक समिति है, जिसका सम्बन्ध वैज्ञानिक जन-शक्ति से है। सभी वर्तमान परिषदों के कार्यकरण के बारे में एक बहुत बड़ा प्रतिवेदन तैयार कर सरकार को भेजा गया है जो कि सभा-पटल पर रख दिया गया है। इस प्रतिवेदन की प्रतियां सभी सदस्यों को 27-12-1971 को भेज दी गई थीं।

जहां तक सरकार समिति की सिफारिशों का सम्बन्ध है, उन पर विचार करने में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं हुआ। समिति द्वारा कुल 96 सिफारिशें की गई थीं, जिन में से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद से सम्बद्ध प्रमुख 37 सिफारिशें पूरी तरह से स्वीकार कर ली गई हैं। केवल 8 सिफारिशें ऐसी थीं, जिन्हें स्वीकार करना सम्भव नहीं था। अतः इनके बारे में विचार किया जा रहा है। 14 सिफारिशों का सम्बन्ध अन्य विभागों से है। अतः वह इन्हें भेजी जा रही हैं। सत्य तो यह है कि नवम्बर 1971 में हमें यह प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था और उसके साथ ही हमने इसकी विभिन्न सिफारिशों पर विचार करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लक्ष्य भी निर्धारित कर लिये थे। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने निश्चित अवधि में ही इन लक्ष्यों को पूरा कर लिया है कुछ माननीय सदस्यों ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के कार्यकरण की कुछ त्रुटियों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है। मैं इस सम्बन्ध में यही कहना चाहता हूं कि जहां कहीं भी त्रुटि होगी, अगर उसकी ओर हमारा ध्यान दिलाया गया हो तो हम उसे सुधारनें का भरसक प्रयत्न करेंगे।

राष्ट्रीय विज्ञान और प्रोद्योगिकी परिषद की आलोचना करते हुये कुछ सदस्यों ने कहा है कि इसमें कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को केवल किताबी ज्ञान है, परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। इस सम्बन्ध में हमने यह कसौटी अपनाई है कि वैज्ञानिक यथासम्भव युवा होने चाहियें क्योंकि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति की जानकारी युवा पीढ़ी का ही विशेषाधिकार है। हमने यथासंभव योग्य व्यक्तियों का चयन किया है। इसके साथ यह बात भी नहीं है कि इन्हीं व्यक्तियों में ही सम्पूर्ण देश की प्रतिभा विद्यमान हो। हमने विभिन्न क्षेत्रों में 21 दल बनाये हैं परन्तु केवल ये 21 दल ही काफी नहीं होंगे। इस कार्य का विस्तार होगा और उसमें हजारों वैज्ञानिकों के लगने की संभावना है। चर्चा के दौरान एक सुझाव यह भी दिया गया था कि राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद में काम करने के लिए पूर्णकालिक कार्य करने वाले व्यक्तियों का चयन ही किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में मुझे यही कहना है कि जो भी लोग परिषद में लिये गये हैं, वह पहले ही किसी न किसी राष्ट्रीय महत्व की संस्था में अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। अतः उन्हें पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में

नियुक्त करने का तात्पर्य भी यही होगा कि जो कार्य वह पहले ही कर रहे हैं उसी की पुनरावृत्ति करना। अतः अल्पकालिक सदस्यों को रखने का यही औचित्य है।

वैज्ञानिकों की योग्यता बढ़ाने के बारे में भी विभिन्न सुझाव दिये गये हैं। यह सुझाव, भी दिया गया है कि उन्हें ज्ञान बढ़ाने के अवसर निरन्तर प्राप्त होने चाहिये। यह एक अच्छा सुझाव है तथा इस ओर हम पूरा ध्यान देने का प्रयत्न करेंगे। इस कार्य के लिए विचार गोष्ठियां भी आयोजित की जाती हैं जहां वह एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त विज्ञान के क्षेत्र में अपनाये जा रहे नये विचार और किये जा रहे आविष्कारों की जानकारी प्राप्त करने के लिये उन्हें विदेश जाने की अनुमति भी दी जाती है।

आज विज्ञान का प्रबन्ध करना भी एक विज्ञान बनता जा रहा है। जब तक विज्ञान के प्रसार के लिए उचित प्रबन्ध नहीं किया जाता, तब तक विज्ञान से सम्बद्ध सभी संसाधनों का उचित उपयोग नहीं कर सकेंगे। विज्ञान के प्रबन्ध के क्षेत्र में कर्मचारियों का अभाव है। संभवतः इसके लिए हमें लोगों को प्रशिक्षण भी देना पड़ेगा। फिर भी इस समय जो भी थोड़े से लोग हमारे पास हैं, उन्हीं के सहयोग से हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रबन्ध सर्वोत्तम ढंग से करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

यह सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में वैज्ञानिकों, और तकनीशियनों आदि का अभाव नहीं है, परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि उनमें से आज कुछ लोग बेकार है। अतः हमारा सर्वप्रथम कर्त्तव्य यह सुनिश्चित करना होगा कि वैज्ञानिकों, एम० एस० सी० तथा इससे अधिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों तथा इंजीनियरों की आगामी कुछ वर्षों के अन्दर रोजगार दिया जा सके। हमें आशा है कि चौथी योजना के अंत तक ऐसे सभी व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकेगा। इस कार्य में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। हमें आशा है कि हम प्राकृतिक संसाधनों की एक ऐसी समूची योजना तैयार करने में सफल हो जायेंगे जिसमें हजारों तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को लाभकारी ढंग से रोजगार प्राप्त हो जायेगा। अतः हम इस ढंग से सम्पूर्ण समस्या से निपटना चाहते हैं। हमें आशा है कि हमने बहुत योजना बद्ध रूप से यह कार्य आरम्भ किया है और पाँचवीं योजना के आरम्भ तक इस क्षेत्र में हमारी सफलतायें स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगेंगी।

पांचवीं योजना में, गरीबी दूर करने के कार्य को हमने इस प्रकार हल करने का निश्चय किया है कि हम लोगों को मूल न्यूनतम आवश्यकतायें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करेंगे। अतः प्रौद्योगिकी विज्ञान में प्रगति करने का हमारा लक्ष्य चांद तक पहुंचना नहीं है अपितु मूल न्यूनतम आवश्यकताओं की व्यवस्था करना होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजनाओं को प्राथमिकता देने का हमारा उद्देश्य यही है कि इसका हमारे सामाजिक क्षेत्र के आयोजन के साथ गहरा सम्बन्ध है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने विदेशी प्रौद्योगिकी के स्थान पर देशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने का प्रश्न भी उठाया है। यह वास्तव में एक जटिल समस्या है और जब तक प्रत्येक क्षेत्र में विदेशी तत्वों को प्रोत्साहन देने की सनक विद्यमान है, तब तक इस समस्या का समाधान कठिन है। हम यह सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास करेंगे कि जहां तक देशी प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, विदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति न दी जाये। हमने काफी विदेशी प्रौद्योगिकी मंगवा दी है और अब समय आ गया है जबकि हमें उसी के स्तर में वृद्धि कर तथा उसी के आधार पर देशी प्रौद्योगिकी का विकास कर, इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का प्रयत्न करेंगे।

हम यह जानने का प्रयत्न भी कर रहे हैं कि जनता की भलाई के लिए प्रौद्योगिकी दक्षता के लिए आयात प्रतिस्थापन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए और अपनी क्षमता में सुधार लाने के लिए क्या करना चाहिये, जिससे कि जन साधारण बेहतर जीवन बिता सके और उसे आधारभूत सुविधायें दी जा सके।

यह प्रसन्नता की बात है कि सदन ने इस विभाग की स्थापना का स्वागत किया है। मैंने न केवल अपने वैज्ञानिकों अपितु राष्ट्रीय वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी परिषद व अन्य अनेक मंचों से यह आश्वासन दिया है कि हमारे वैज्ञानिक प्रयास वित्तीय संसाधनों के अभाव से निष्फल नहीं होंगे।

प्रतिभा पलायन के बारे में भी यही बात लागू होती है। इस सम्बन्ध में हमारा प्रयास यही होगा कि विदेशों से उन सभी लोगों को लाया जाये, जिन्हें कुछ विषयों का विशिष्ट ज्ञान है। अतः इस सम्बन्ध में मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रतिभा पलायन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जो प्रतिभा हमारे पास है, यदि वह देश में है या विदेशों में, उसका अधिकाधिक उपयोग करने के लिए भरसक प्रयत्न किया जायेगा। अतः यह हमारे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी प्रयासों की मोटी रूपरेखा है। हमें आशा है कि संसद की विज्ञान समिति को पुनर्जीवित करना, अब सरकार के लिए संभव होगा ताकि सदन में प्रतिवर्ष इस प्रकार महत्वपूर्ण चर्चा संभव हो सके। यदि संसद इस कार्य में अधिकाधिक रूचि ले, तो निश्चय ही हमारे देश के वैज्ञानिक प्रगति कर सकते हैं। परन्तु यदि हम झूठे समाचारों या प्रचारों का शिकार हो जायें तो हम अनावश्यक हस्तक्षेप द्वारा इस कार्य में बाधा भी उत्पन्न कर सकते हैं। अतः मैं सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें जो भी समाचार प्राप्त हों, उसके सम्बन्ध में वह सब से पहले मुझ से बातचीत करें। यदि वह ठीक हो, तो फिर उसे यदि वह किसी भी रूप में सदन में उठाये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। माननोय सदस्य श्री चन्द्रप्पन द्वारा दिया गया कटौती प्रस्ताव इसी प्रकार का एक उदाहरण है। मैं आशा करता हूं कि सदस्य महोदय उसे स्वीकार करने के लिए मुझ पर दबाव नहीं डालेंगे क्योंकि उससे उस प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों पर और विशेषतया प्रयोगशाला के निदेशक पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) **:** मेरे अपने राज्य केरल में प्राथमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा पर इसके राजस्व के तीसरे भाग से अधिक की राशि शिक्षा पर खर्च की जाती है। देश में वैज्ञानिक स्नातकों की भी प्रतिशतता हमारी सबसे अधिक है। लेकिन, दुर्भाग्य से हमारा राज्य ही एक ऐसा राज्य है जहां पर, देश की 34 राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं में से, एक भी प्रयोगशाला नहीं है। औद्योगिक विकास और हमारे वैज्ञानिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने हेतु, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर, शीघ्र ही कम से कम एक प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना वहां पर की जाये।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : सभी राज्यों में एक प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्था ना करने का मामला, जहां पर अनुसंधान संस्थान नहीं हैं, विचाराधीन है और मैं प्रयास करूंगा कि इस बारे में केरल को कुछ प्राथमिकता दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 1 से 5 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The cut motions Nos. 1 to 5 were put and negativated.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिये रखी गयी तथा स्वीकृत हुई

The following Demands in respect of the Dspartment of Science and Technology were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
96	विज्ञान और औद्योगिक विभाग	2,95,25,000
97	भारतीय सर्वेक्षण	7,42,45,000
98	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को अनुदान	20,61,08,000

संचार मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा संचार मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 87 से 90, 136 तथा 137 पर विचार तथा मतदान करेगी जिसके लिए चार घंटे का समय रखा गया हैं।

सदन में उपस्थित माननीय सदस्यगण अपने कटौती प्रस्ताव अनुक्रमांक सहित 15 मिनट के अन्दर भेज दें।

संचार मंत्रालय की वर्ष 1972-73 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की गई

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
87	संचार मंत्रालय	61,87,000
88	समुद्र-पारीय संचार सेवा	4,36,70,000
89	डाक और तार (कार्य चालन व्यय)	2,43,60,61,000
90	डाक और तार विभाग द्वारा सामान्य राजस्व में दिया जाने वाला लाभांश और प्रारक्षित निधियों में विनियोग तथा सामान्य राजस्व से दिये जाने वाले ऋण की वापसी	37,59,98,000
136	डाक और तार पर पूंजी परिव्यय (राजस्व से नहीं)	1,21,05,83,000
137	संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	3,00,62,000

***श्री मनोरंजन हाजरा** (आरामबाग) : डाक व तार विभाग में लगभग तीन लाख व्यक्ति नियमित कर्मचारियों के रूप में और लगभग दो लाख व्यक्ति अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के रूप में कार्य करते हैं। वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा इस विभाग के कार्य संचालन में प्रायः हस्तक्षेप किया जाता है। इन हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप न तो इस विभाग की और न ही मंत्री महोदय की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता है। इसमें विभाग के प्रशासन पर कुप्रभाव पड़ा है और यह अन्य विभागों पर आश्रित हो गया है। इससे सार्वजनिक सेवा के हितों को हानि पहुंची है। कर्मचारियों के कल्याण के प्रति उदासीनता दिखाई जाती है और कर्मचारी संबंधों में व्याप्त मैत्री भाव अव्यवस्थित हो गया है।

सार्वजनिक सेवाओं की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वर्ष 1961 में डाक व तार बोर्ड की स्थापना की गई थी। लेकिन दुर्भाग्य से यह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। माननीय मंत्री महोदय ने पहले ही स्वीकार किया है कि उन्हें डाक विभाग के काम काज के लिए अन्य विभागों पर आश्रित रहना पड़ता है लेकिन इन संगठनों से सदैव अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता है। इंडियन एयर लाइन्स महीने में कई दिन डाक नहीं ले जाती और रेलवे ने भी डाक के लिये कोई अतिरिक्त स्थान देने की व्यवस्था नहीं की है। परिणामस्वरूप डाक इकट्ठी होती जाती है और उसके वितरण में विलम्ब हो जाता है।

किसी बात को अत्यावश्यक समझकर जनता द्वारा तारें भेजी जाती हैं और इसके लिए वह अतिरिक्त धन खर्च करती है। बहुत से तार तो तार पद्धति द्वारा नहीं अपितु डाक द्वारा भेजे जाते हैं। जब ऐसा किया जाता है तो कर्मचारियों का कार्य भार बढ़ जाता है।

टेलीफोन बिलों की राशि बढ़ा कर अधिक दिखाई जाती है। एक मामले में तो एक टेलीफोन बिल में औसतन तिमाही 500 रुपये की राशि की बजाय 27,500 रुपये दिखाये गये हैं। एक दूसरे मामले में टेलीफोन बिल में 20,000 रुपये की राशि दिखाई गई है जब कि उसकी तिमाही 150 रुपये है। इन टेलीफोनों को काट दिया गया था। लेकिन जांच-पड़ताल से पता चला कि टेलीफोन मालिकों के पास कुछ व्यक्ति पैसा मांगने गये थे और धन के न मिलने पर उन्होंने यह शरारत की। इस मामले में न्यायालय का निर्णय भी टेलीफोन मालिकों के पक्ष में हुआ है।

जबकि अधिकारी सजा देने को हमेशा तत्पर रहते हैं, वे कार्यभार के बढ़ जाने पर औचित्य के आधार पर भी अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त करने के बारे में पूरी तरह अपेक्षा बरतते हैं। इसके विपरीत 1,300—1,600 रुपये के वेतनमान में निदेशकों के लगभग एक दर्जन पद बनाये गये हैं। परन्तु जहां तक तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, वस्तुतः भर्ती पर पाबन्दी लगा रखी है। देश में अत्यधिक बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि इस विभाग में अधिक से अधिक संख्या में कर्मचारी भर्ती किये जायें।

---

*बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

*Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Bengali.

8 घंटे काम करने के लिये एक नियमित कर्मचारी को 200 रुपये मिलते हैं, एक अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी को 5 घंटे काम करने के लिये 40/50 रुपये मिलते हैं। भुगतान की इन दरों में कुछ समानता होनी चाहिये। मेरा सुझाव है कि अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी के मामले में चार घंटे काम करने वाले कर्मचारी का न्यूनतम पारिश्रमिक 100 रुपये तथा पांच घंटे काम करने वाले कर्मचारी का पारिश्रमिक 125 रुपये होना चाहिये। अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी गांवों के डाक-घरों में काम करते हैं। डाक-घरों में धन को सुरक्षित रखने के लिये, उनको लोहे की अलमारियां नहीं दी गई हैं तथा उनके लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। वेतन के लाभ तथा अन्य लाभ नियमित कर्मचारियों की भांति अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को भी उपलब्ध होने चाहियें।

हाल के युद्ध के दौरान, रेलवे डाक सेवा का एक कर्मचारी और उसकी पत्नी मारे गये थे लेकिन सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया है। इस विभाग के कर्मचारियों को सीमा क्षेत्रों में बड़ी ही कठिन स्थितियों में, तपती धूप और ठिठुरन भरी सर्दी में, काम करना पड़ता है लेकिन उन्हें इसके लिए सीमा भत्ता नहीं दिया जाता। मंत्री महोदय को इस मामले पर भी विचार करना चाहिए।

डाक-तार कर्मचारियों का जो राष्ट्रीय महासंघ है, वह कर्मचारियों के लिये एक राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करता है। लेकिन, दुर्भाग्यवश, सरकार इस संगठन को तोड़ने के लिये एक समानांतर संगठन स्थापित करने का प्रयास कर रही है। दमन के उपायों की बजाय हमें श्रमिकों की समस्याओं को सहानुभूति और मेल-मिलाप से हल करना चाहिये न कि राजनीतिक गुटबंदी से।

कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास में टेलीफोन के किराये और काल के शुल्क अलग-अलग हैं। ऐसी बात क्यों होती है। कलकत्ता के लिए हमें केवल 8 काल क्यों दी गई हैं जबकि बम्बई और दिल्ली में क्रमशः 10 और 12 काल हैं। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच ऐसा भेदभाव क्यों रखा गया है। प्रत्येक राज्य के साथ समान व्यवहार होना चाहिये। अतः पश्चिम बंगाल के साथ अन्य राज्यों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए और इसके प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

Shri Ram Bhagat Paswan (Rosera) : It is a fact that Posts & Telegraph Department has made sufficient progress since independence. But we have not been able to achieve our goal of development. Posts & Telegraph Department has the prestige for honesty, truth and labour. It is desired that the Government should show more sympathy towards the employees of this Department. There is no proper provision of accommodation to run the post offices in different parts of the country. Some post offices are being run in rented buildings in the villages and the conditions of those buildings is far from satisfactory. There are no proper security arrangements for keeping the huge amount of money safe. The Government should give immediate and proper attention towards solving the accommodation problems.

Government has not done anything for providing housing facilities to the Class III and Class IV employees of the postal departments. At present the children education allowance is admissible to the children only up to the pre-university. It should be given for university education also. Besides, the amount of the allowance is very little. It should be increased. I still require three or four minutes to conclude.

Mr. Deputy-Speaker : You may conclude in two-three minutes on Monday.

संचार मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
87	2	**डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय**	मध्य प्रदेश के मन्दसौर जिले में रतनगढ़ जाट, सिंगोली एवं डिकेन में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने में विलम्ब।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
,,	3	,,	इन्दौर-बम्बई के मध्य टेलीफोन माइक्रोवेव पद्धति को लागू न किया जाना।	,,
,,	4	,,	भोपाल और दिल्ली के बीच डाइरेक्ट डायलिंग पद्धति लागू करने में विलम्ब।	,,
,,	5	,,	मध्य प्रदेश के पिछड़े व आदिवासी क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने मे विलम्ब।	,,
,,	6	,,	मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में डाक व तार की सुविधा देने में उपेक्षा।	,,
,,	7	,,	आर० एम० एस० कर्मचारियों को, जिन पर डाक व तार कर्मचारियों के समान ही उत्तरदायित्व होता है, समान ग्रेड न देना।	,,
,,	8	,,	मध्य प्रदेश के डाक व तार तथा टेलीफोन सर्कलों के लिये विभिन्न सलाहकार समितियों के पुर्नगठन में विलम्ब।	,,
89	9	,,	विभिन्न डाक-तार घरों में जन-सुविधा की दृष्टि से आवश्यकतानुसार कर्मचारी बढ़ाने में विलम्ब।	,,
,,	10	,,	मध्य प्रदेश के मंदसौर तथा रतलाम जिले के विभिन्न गांवों में डाक सुविधाएं दिलाने में विलम्ब तथा ग्रामीणों की डाक घर की मांग की उपेक्षा।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
87	11	**डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय**	मध्य प्रदेश के मंदसौर तथा रतलाम जिले में ताल, बड़ावदा, नगरी, रिंगनोद, सूखेड़ा जैसे स्थानों में पी० सी० ओ० तथा टेलीफोन एक्सचेंज की व्यवस्था करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
,,	12	,,	मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर तथा रतलाम के टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने में विलम्ब ।	,,
,,	13	,,	मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में जावरा नामक स्थान के टेलीफोन एक्सचेंज की पूरी क्षमता का उपयोग न किया जाना ।	,,
,,	14	,,	आर० एम० एस० कर्मचारियों के लिए उपयुक्त विश्राम गृहों का अभाव ।	,,
,,	15	,,	टेलीफोन एक्सचेंजों में सुधार न किये जाने के कारण जन साधारण को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने में असफलता ।	,,
,,	16	**श्री आर० वी० बड़े**	गांवों में नये डाक-घर खोलने के लिए ग्रामिणों से प्रतिलिपि माँगने की नीतिँ ।	,,
,,	17	,,	खलिया से खड़गांव जिले तक सीधी टेलीफोन लाइन चालू करने में असफलता ।	,,
,,	18	,,	मध्य प्रदेश के आदिवासी गांवों में डाक-घरों की शाखायें खोलने सम्वन्धी नीति ।	,,
,,	19	,,	डाक रनर और डाकियों के वेतनमानों में वृद्धि करने में असफलता ।	,,
,,	20	**डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय**	भारतीय टेलीफोन उद्योग की क्षमता बढ़ाने में असफलता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
87	21	**श्री फूलचन्द वर्मा**	ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले डाकियों का वेतन बढ़ाने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दें
,,	22	,,	डाक और तार कर्मचारियों को आवास तथा अन्य सुविधायें देने में उपेक्षा और विलम्ब।	,,
,,	23	,,	देवास जिले के कान्टाकोर गांव में टेलीफोन सुविधायें देने में असफलता।	100 रुपये
,,	24	,,	देवास और भोपाल के बीच सीधी ट्रंककाल पद्धति आरम्भ करने में असफलता।	,,
,,	25	,,	नई दिल्ली और भोपाल के बीच सीधी टेली-फोन पद्धति आरम्भ करने में असफलता।	,,
,,	26	,,	इन्दौर को नई दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता से सीधी टेलीफोन पद्धति से जोड़ने में असफलता।	,,
,,	27	,,	उज्जैन में स्वचालित टेलीफोन पद्धति आरम्भ करने में असफलता।	,,
,,	28	,,	इन्दौर में कुम्हारखाड़ी मोहल्ला में सार्व-जनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने में असफलता।	,,
,,	29	,,	उज्जैन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक-घर खोलने में असफलता।	,,
,,	30	,,	इन्दौर शहर के कुम्हारखाड़ी मोहल्ला में एक डाकघर खोलने में असफलता।	,,
,,	31	,,	देवास जिले के पीपल कोटा में एक डाकघर खोलने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
87	32	**श्री फूलचन्द वर्मा :**	डाक-तार कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते को बढ़ाने के लिये निर्णय लेने में विलम्ब ।	100 रुपये
,,	33	,,	आर० एम० एस० कर्मचारियों को आवास तथा अन्य सुविधाएं देने में विलम्ब ।	,,
,,	34	,,	आर० एम० एस० कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते में वृद्धि करने में असफलता ।	,,
,,	35	,,	उज्जैन में डाकघर कर्मचारियों को उपयुक्त सुविधाएं देने में असफलता ।	,,
,,	36	,,	इन्दौर के सिटी डाकघर के लिये स्थान की कमी के कारण वहां के निवासियों को होने वाली असुविधा को दूर करने में असफलता ।	,,
,,	37	,,	देवास जिले में तोकखुर्द गांव में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
,,	38	,,	देवदास जिले के तोकखुर्द गांव में एक उप-डाकघर खोलने में असफलता ।	,,
,,	39	**डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय**	ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले डाकियों के वेतन में वृद्धि करने में असफलता ।	,,
,,	40	,,	ग्रामीण डाकघर में कार्य करने वाले व्यक्तियों के वेतन में वृद्धि करने में असफलता ।	,,
,,	41	,,	डाकतार कर्मचारियों को आवास तथा अन्य सुविधायें देने में उपेक्षा और विलम्ब ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
87	42	**डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** :	डाक-तार कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में वृद्धि करने के लिये निर्णय लेने में विलम्ब ।	100 रुपये
,,	43	,,	आर० एम० एस० कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते में वृद्धि करने के लिये निर्णय लेने में विलम्ब ।	,,
,,	44	**श्री मनोरंजन हाजरा** :	शहरों के उन उपनगरीय क्षेत्रों में, जहां टेलीफोन केन्द्र हैं, सलाहकार समितियां बनाने की आवश्यकता ।	,,
,,	45	,,	कलकत्ता से हावड़ा, उत्तरपाड़ा, श्रीरामपुर, चन्दन नगर, चिन्सुओन, भाटपाड़ा, बैरक-पुर, चंडीतला, हरिपाल और आरामबाग तक सीधी डायल प्रणाली चालू करने और इन केन्द्रों को एक स्थानीय क्षेत्र (लोकल जोन) के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता ।	,,
,,	46	,,	कलकत्ता और समीपवर्ती जिलों, विशेषकर हावड़ा, हुगली और 24-परगना के एक्सचेंजों के बीच टौल प्रणाली समाप्त करने की आवश्यकता ।	,,
,,	47	,,	पश्चिम बंगाल में टेलीफोन के किराये और काल खर्च, की ऊंची दरों को कम करने और उन्हें अन्य राज्यों के समान करने की आवश्यकता ।	,,
89	48	,,	डाक तथा तार विभाग के अतिरिक्त विभाग में अनेक वर्षों से कार्य कर रहे कर्मचारियों को स्थायी बनाने की आवश्यकता ।	,,

माग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
89	49	**श्री मनोरंजन हाजरा** :	कोन्नगर के डाक कर्मचारियों को स्थानीय भत्ता देने में असफलता यद्यपि यह भत्ता रिशरा, श्रीरामपुर और उत्तरपाड़ा जैसे समीपवर्ती क्षेत्रों में दिया जा रहा है।	100 रुपये
,,	50		डाक-तार विभाग में कार्य कर रहे विभागातिरिक्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वे सुविधायें जो अन्य विभागीय कर्मचारियों को दी जाती हैं, प्रदान करने में असफलता।	,,
87	51	**श्री रामावतार शास्त्री** :	डाक-तार विभाग में व्याप्त अफसरशाही की प्रवृत्ति को बदलने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दें
,,	52	,,	डाक-तार विभाग के अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों का सताया जाना रोकने में असफलता।	,,
,,	53	,,	डाक-तार विभाग में कुशलता में कमी।	
,,	54	,,	डाक-तार विभाग के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में कठिनाइयों को दूर करने में असफलता।	,,
,,	55	,,	सरकारी परियोजना के 20 किलोमीटर के अन्दर काम करने वाले डाक-तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण करने की आवश्यकता।	,,
,,	56	,,	डाक-तार विभाग में सरकार द्वारा दलाल संघों का गठन।	,
,,	57	,,	पटना आर० एम० एस० के कर्मचारियों के लिए पानी की कमी को दूर करने में असफलता।	100 रुपया

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
87	58	**श्री रामावतार शास्त्री :**	पटना टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में असंतोषप्रद कार्य ।	100 रुपये
,,	59	,,	पटना नगर में टेलीफोन पद्धति के दोषों के कारण टेलीफोन लगवाने वाले लोगों को असुविधा ।	,,
,,	60	,,	पटना में गत चार महीनों में अनेक बार शिकायतें करने के बाद भी अनेक टेलीफोनों को ठीक करने में असफलता ।	,,
,,	61	,,	पटना टेलीफोन सलाहकार समिति में पटना से निर्वाचित संसद् सदस्य को नामनिर्दिष्ट करने में असफलता ।	,,
,,	62	,,	पटना टेलीफोन केन्द्र में गत होली के अवसर पर महिला आपरेटरों को सताने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	,,
,,	63	,,	गांवों में डाक घर खोलने के लिए जमानत मांगने की प्रथा को समाप्त करने में असफलता ।	,,
,,	64	,,	डाकघरों के लिए बढ़ती हुई मांग की दृष्टि से नये डाक-घर खोलने से सम्बन्धित नियमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता ।	,,
,,	65	,,	दरौनी, गढ़हरा, मोकामा, बेगुसराय और बरौनी उर्वरक कारखाने से 20 किलोमीटर के अन्तर्गत रहने वाले डाक कर्मचारियों को मिलने वाला परियोजना भत्ता समाप्त किया जाना ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
87	66	**श्री रामावतार शास्त्री :**	बरौनी परियोजना से 20 किलोमीटर के अन्तर्गत स्थित क्यूल में कार्य करने वाले डाक कर्मचारियों को परियोजना भत्ता न दिया जाना।	100 रुपये
,,	67	,,	रांची में रहने वाले डाक कर्मचारियों का परियोजना भत्ता बन्द किया जाना।	
,,	68	,,	मुंगेर जिले में बिरबत गांव में एक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने में असफलता।	,,
,,	69	**श्री मनोरंजन हाजरा :**	संसद् सदस्यों को सामान्य निवास स्थान से जिला मुख्यालय और राज्य सचिवालय के साथ सम्पर्क करने के लिए टौल और ट्रंक काल शुल्क से छूट देने की आवश्यकता।	,,
,,	70	**श्री भोगेन्द्र झा :**	छुट्टियों के दिनों में तथा रात्रि के समय साधारण काल की तरह अतिशीघ्र और द्रुतगामी टेलीफोन काल के लिए रियायत देने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दीजिये
,,	71	,,	बिहार के दरभंगा और अन्य जिलों में डाक-तार सलाहकार समितियों का गठन करने में असफलता।	,,
,,	72	,,	दिल्ली और सभी राज्य सरकारों के मुख्यालयों के बीच सीधी डायलिंग पद्धति लागू करने में असफलता।	,,
,,	73	,,	नेपाल की सीमा पर उत्तर बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों को टेलीफोन से जोड़ने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
87	74	**श्री भोगेन्द्र झा :**	हरकारों और डाकियों के वेतनमानों में वृद्धि करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दें
,,	75	,,	नये डाक-घरों से घाटे के नाम पर ग्रामीणों से रकम वसूल करने की पद्धति ।	,,
,,	76	,,	टेलीफोन प्रणाली को सूक्ष्म और द्रुतगामी बनाने में असफलता ।	,, ,,
,,	77	,,	बिहार के मधुबनी का डाक-तार का एक अलग जिला बनाने में असफलता ।	,,
,,	78	,,	डाक-तार कर्मचारियों को न्यूनतम जीवन यापन योग्य वेतन देने में असफलता ।	,,
,,	79	,,	पटना और कलकत्ता को सीधी डायलिंग पद्धति से जोड़ने में असफलता ।	,,
,,	80	,,	बिहार के दरभंगा जिले के झंझारपुर प्रखण्ड के हरना गांव में एक शाखा डाक-घर खोलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
,,	81	,,	बिहार के दरभंगा जिला के मधवापुर प्रखण्ड के शाहर घाट में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने की आवश्यकता ।	,,
,,	82	,,	बिहार के दरभंगा जिला के बाबूबरही प्रखण्ड मुख्यालय में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने की आवश्यकता ।	,,
,,	83	,,	बिहार के दरभंगा जिला के बिस्फी मुख्यालय में सार्वजनिक टेलीफोन खोलने की आवश्यकता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	6
87	84	**श्री भोगेन्द्र झा :**	बिहार के दरभंगा जिला के बेनी पट्टी प्रखंड के बसैन में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने की आवश्यकता।	100 रुपये
,,	85	,,	बिहार के दरभंगा जिला के लौकहा में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने की आवश्यकता।	,,
,,	98	,,	बिहार के दरभंगा जिला के हायाघाट खंड के पंचोभ डी० एन० उच्च विद्यालय में एक उप-डाकघर खोलने की आवश्यकता।	,,
,,	99	,,	बिहार के दरभंगा जिला के लौकाहा खण्ड के धाबाही गांव में एक डाकघर खोलने की आवश्यकता।	,,
,,	100	,,	बिहार के दरभंगा जिला के खाजोली खण्ड के मछिया गांव में एक डाकघर खोलने की आवश्यकता।	,,
,,	101	,,	बिहार के दरभंगा जिला के बिस्की खण्ड के बरहा गांव के डाकघर को स्थायी बनाने की आवश्यकता।	,,
,,	102	,,	बिहार के दरभंगा जिला के बाबूबरही खण्ड के मुख्यालय में मोर्स पद्धति आरम्भ करने की आवश्यकता।	,,
,,	103	,,	बिहार में दरभंगा को पटना और कलकत्ता से सीधे टेलीफोन से मिलाने की आवश्यकता।	,,
,,	104	,,	बिहार के दरभंगा जिला में बिस्की खण्ड में बजरहा गांव में एक डाकघर खोलने की आवश्यकता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
87	105	**श्री भोगेन्द्र झा :**	बिहार के दरभंगा जिला में डिविजनल मुख्यालय मधुबनी और माधवपुर खण्ड मुख्यालय के बीच टेलीफोन लाइन की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100
,,	106	,,	बिहार के दरभंगा जिला में बेनीपट्टी और बिस्की मुख्यालयों के बीच टेलीफोन लाइन की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
,,	107	,,	बिहार के दरभंगा जिला में सिंगिया खण्ड मुख्यालय में एक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने की आवश्यकता ।	,,

संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक (धारा 4 का संशोधन और धारा 8 का प्रतिस्थापन)

SALARIES AND ALLOWANCES OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL—(AMENDMENT OF SECTION 4 AND SUBSTITUTION OF SECTION 8)

Shri Panna Lal Barupal (Ganganagar) : I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954".

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते अधिनियम 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Panna Lal Barupal : I introduce the Bill.

संविधान संशोधन विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 370 का लोप)

(Commission of Article 370)

श्री प्रसन्न भाई मेहता (भावनगर) : मैं प्रस्ताव करता हु कि :

भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री प्रसन्न भाई मेहता : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण योजना विधेयक
COMPULSORY MILITARY TRAINING SCHEME BILL

श्री प्रसन्न भाई मेहता (भावनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि देश में समर्थ शरीर वाले सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश में समर्थ शरीर वाले सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री प्रसन्न भाई मेहता : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 153 क का प्रतिस्थापन)
INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL (SUBSTITUTION OF SECTION 153A)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्रीमती सुभद्रा जोशी द्वारा 30 मार्च 1972 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करते हैं:

"कि भारतीय दंड संहिता का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : This Bill is important because it will help reduce the feelings of hatred. Inter-community hatred in the name of religion is created almost in all the states. Some solution of it is to be found in be interest of national uni y.

We have been creating States in the name of language and we have also seen the consequences of forming States on the basis of language. It will be better to launch countrywide movement for ensuring bread, butter and shelter to the people instead of talking of concessions on the basis of religion and community. D. M. K. party has been demanding more powers from the centre. Such demands in the name of caste or community are detrimental to the cause of nation.

We have taken oath to bring about socialism and remove poverty but we can hardly achieve these goals until these evils are removed.

I support this Bill.

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : Shrimati Subhadra Joshi deserves to be congratulated for moving this bill. Our nation is facing great challenge in a well organised way. Communal uprising on the eve of independence disintegrated our nationality. Even after independence attempts have been made to defame Indian nation.

The Indian culture does not permit the use of force or power to spread religious believing. Even those who preached against the worship of God, were themselves worshipped as God. Our culture is based on strong foundations. Contrary to this, attempts have been made to create anti-Indian tendencies and give a challenge to our nationality by those who import training in the use of daggar and hunter.

The danger has assumed seriousness because those who practise and profess the use of dagger are not in the form of some political party. In this way, thousands of youngmen are being misguided.

Shri Golwalkar has accepted the communal nationality by rejecting the territorial nationality and has, therefore, challenged the entire history of national movement. Referring to Muslims he says that invaders who came during the last ten or twelve centuries remained as a separate entity and ruled this land as foreigners. According to him entire struggle for freedom was anti-British struggle. Such words are a challenge not only to territorial nationality to but to history of national struggle.

I would request all those who joined R.S.S. in their early age, to bid good-bye to it and raise voice to ban this organisation.

श्री सैयद अहमद आगा (बारामूला) : मैं विधेयक का समर्थन करते हुए श्री कृष्ण चन्द्र पन्त द्वारा पुलिस अधिकारियों को समाज के कमजोर वर्ग की रक्षा करने सम्बन्धी आदेश का भी स्वागत करता हूं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि नजरबन्दी कानून के होते हुए उपद्रवों की रोकथाम के लिए कदम क्यों नही उठाये जाते।

जिस राज्य में भी उपद्रव होते हैं, वहां के पुलिस अधीक्षक और जिलाधीश इसकी जिम्मेदारी से बचने का प्रयत्न करते आ रहे हैं। साम्प्रदायिक दंगों से हम दुनिया के बीच बदनाम हो गये हैं। यदि किसी विशेष जाति को सुरक्षा प्रदान की जाए तो वह देश में एक प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न कर देती है। असुरक्षा पृथकता की भावना को जन्म देती है और इसी कारण देश का विभाजन हुआ।

साम्प्रदायिक दंगे प्रायः उन्हीं स्थानों में अधिक होते हैं जहां हमारे उद्योग स्थापित हैं। यही कारण है कि रूरकेला, अहमदाबाद, रांची, टाटा नगर इत्यादि शहर प्रायः इन दंगों का शिकार बनते हैं और ये इसलिए होते हैं कि निहित स्वार्थ वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अथवा जमायते इस्लामी औद्योगिक अशांति पैदा करना चाहते हैं। इन परिस्थितियों में विधेयक की महत्ता और भी बढ़ जाती है। अतः इसे पारित किया जाना चाहिए।

कुछ ऐसी पुस्तकें हैं, जो साम्प्रदायिक घृणा फैलाती हैं। इन पुस्तकों पर पाबन्दी लगाना काफी नहीं है। इसके साथ-साथ यह भी जरूरी है कि ऐसी पुस्तकों को प्रोत्साहन दिया जाए जो आपस में साम्प्रदायिक सद्भाव पैदा करें।

कुछ पुस्तकों में ऐतिहासिक तथ्यों का सही उल्लेख नहीं किया गया है। इन पुस्तकों को दोबारा तथा बेहतर ढंग से लिखा जाना चाहिए। जहां तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जमायते

इस्लामी का सम्बन्ध है, मैं यह कहूंगा कि दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों में उद्देश्य समान हैं। वे पृथकतावादी प्रवृत्तियां पैदा करते हैं।

यहां मैं मदूदी के दृष्टिकोण का उल्लेख करना चाहता हूं। उसके अनुसार मुसलमान संविधान की सर्वोच्चता नहीं स्वीकार कर सकते क्योंकि ईश्वर की सत्ता सर्वोच्च है। अतः वह राजनीति में भाग नहीं लेते, और जब वह राजनीति में भाग नहीं लेते, तो वह पृथकतावादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने लगते हैं।

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwari in the Chair]

श्री आर० पी० उलगनम्बी (वेल्लोर) : इस विधेयक का उद्देश्य सराहनीय है, किन्तु क्या इसे व्यवहारिक रूप देना सम्भव है? हमारे देश में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर अनेक संगठन और संघ बने हुए हैं। धार्मिक संस्थाएं धर्म का प्रचार करना चाहती हैं। मैं किसी विशेष धर्म का उल्लेख नहीं करना चाहता। माननीय सदस्य दरबारा सिंह ने इस विधेयक पर बोलते हुए कहा है कि कुछ धार्मिक संगठन देश में शत्रुता की भावना पैदा कर रहे हैं।

देश में जाति विकास के लिए उदाहरणार्थ अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कुछ संघ बने हुए हैं। इसी प्रकार कुछ संगठन भाषा के विकास हेतु बने हुए हैं। माननीय सदस्य ने इस संबन्ध में मेरे दल द्रुमक का उल्लेख किया है। द्रुमक का आधार भाषा एवं जाति नहीं है। इसका आधार प्रगतिशील नीतियां हैं। हमारा विश्वास दो भाषा सूत्र में है। संविधान में इसे संरक्षण दिया गया है। हम संविधान का विरोध नहीं करते और भाषा के आधार पर शत्रुता पैदा नहीं कर रहे। हमारी भाषा नीति में यह बात स्पष्ट और खुले रूप से कही गई है। चुनावों में राजनीतिक दल के उम्मीदवार को टिकट देते हैं जो उस क्षेत्र में सबसे अधिक लोकप्रिय होता है और इस तथ्य से कोई भी, यहां तक कि सतारूढ़ दल भी, इंकार नहीं कर सकता।

भारतीय दण्ड संहिता में उपबन्ध है कि भाषा, जाति अथवा धर्म के आधार पर शत्रुता पैदा करने वाले व्यक्तियों को दण्ड दिया जाए। मेरे विचार में वर्तमान उपबन्ध पर्याप्त है और भारतीय दंड संहिता में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : I want to congratulate Shrimati Subhadra Joshi for presenting the Bill in the House.

There is need for amending the Indian Penal Code because the existing provisions have not been able to combat communism. Communal riots are quite frequent in our country. I want to know whether anybody has ever been awarded death sentence for inciting communal riot. This shows the inadequacy of the present provisions. Any organisation, which spreads communal hatred should be banned and punished. If Jamait-E-Islami, or R.S.S. spread communalism, they should also not be spread.

The breeding ground for communalism is monopoly capital. Monopolists, whether Indian or foreign, give financial assistance so communal bodies. It is unfortunate that the Government has taken no steps against them.

There are certain newspapers and books, which propagate communalism. Government should ban such newspapers and books. Fascist organisation should also be banned.

With these words I support the Bill and wish that it should be passed as early as possible.

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : In our country much blood has been shed on account of communal hatred. In no other country there has been that much bloodshed in the name of communalism. I don't want to go in details of the partition. That is a very pathetic story.

We in our country have chosen a democratic structure. There is no place for communalism in a democracy. The essence of democracy is brotherhood and equality. We have to take all necessary care so that communalism does not shake the foundations of our democratic structure.

With these words, I welcome this Bill.

श्री समर गुह (कन्टाई) : यद्यपि मैं इस विधेयक का विरोध नहीं करता परन्तु यह साम्प्रदायिकता की विषैली समस्या को समाप्त करने के लिए बहुत हल्का हथियार है। साम्प्रदायिकता हमारे राष्ट्रीय जीवन को नष्ट कर रही है।

बंगला देश के निर्माण से दो राष्ट्र के सिद्धांत का खण्डन हो चुका है और एक नया वातावरण पैदा हुआ है, जिसके अन्दर समूचे भारतीय उप-महाद्वीप को इस समस्या का निडरतापूर्वक मुकाबला करना चाहिए ता कि साम्प्रदायिकता को हमारे जीवन से सदा के लिए उखाड़ बाहर किया जाय। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य किसी एक विशेष संगठत पर प्रतिबन्ध लगाना है। विधेयक पेश करने वाली माननीया सदस्या ने उस संगठन का नाम नहीं लिया है, यद्यपि उसी संगठन को ध्यान में रख कर यह विधेयक पेश किया गया है। अतः एक तरह से इस विधेयक को उद्देश्य रहित कहा जा सकता है।

बंगला देश को मुक्त कराने हेतु वहां के निवासियों ने साम्प्रदायिक संगठनों के प्रति अपना रोष व्यक्त किया। उनके कार्यालय जला दिए, उनकी प्रवृत्तियों को कुचलनें का हर संभव यत्न किया किन्तु यहां, हमारे देश में साम्प्रदायिक दल चुंनावों में भी भाग ले रहे हैं।

इस विधेयक का उद्देश्य अत्यन्त सीमित है। कई सदस्यों ने आशा व्यक्त की है कि साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों को आमूल नष्ट करने हेतु एक प्रकार का प्रगतिवादी एवं क्रांतिकारी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मै सत्तारूढ़ दल से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनमें साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबंध लगाने का साहस है ? क्या वह हिन्दू होटलों और मुसलमान होटलों के बीच का भेदभाव मिटा सकते हैं ? क्या वह एक ऐसे कानून का निर्माण करेंगे जिससे किसी भी ऐसी चीज पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके, जो लोगों तथा विभिन्न जातियों के बीच मतभेद तथा नफरत पैदा करती हो ?

इस विधेयक में केवल नकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है। किन्तु हम एक प्रकार से सकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में सोच सकते हैं। अगर देश में साम्प्रदायिक वातावरण बनाने के बजाय सद्भावनापूर्ण वातावरण पैदा करने की कोशिश की जाय।

अभी एक माननीय सदस्य ने इतिहास की पुस्तकों को दुबारा लिखने का सुझाव दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में कुछ करेगी ? समय आ गया है कि हम इस समस्या का निर्भीकतापूर्वक सामना करें। देश में सभी वर्गों में साम्प्रदायिक भावना, साम्प्रदायिक दृष्टिकोण और साम्प्रदायिक विचारधारा व्याप्त है। अतः यदि हम वास्तव में साम्प्रदायिक विष को समाप्त करना चाहते हैं और संश्लेषक दृष्टिकोण विकसित करना चाहते हैं तो हमें साहसपूर्ण ढंग से इस समस्या की ओर ध्यान देना होगा और इसका समाधान करने के लिए एक क्राँतिकारी तथा व्यापक विधेयक पेश करना होगा।

Shri K. C. Pandey (Khalilabad) : It is really regrettable that even after 25 years of independence, we have not banned communal parties. Communal parties are always active in creating hatred between different sections of our people. They are misleading our students. Communal organisations should be banned. It is very strange that so far Government has not enacted any law in this regard. Now the bill has been presented in the House, Government should aceept it.

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : श्रीमती सुभद्रा जोशी द्वारा पेश किया गया विधेयक सराहनीय है, परन्तु क्या यह उन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकेगा जिसके लिए इसे लाया गया है। भारत में सब धर्मों का आदर किया जाता है किन्तु ब्रिटिश सामाज्यवाद ने इस देश के लोगों को विभिन्न समुदायों में विभाजित कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध काम करना आरम्भ कर दिया और तभी से हम इन साम्प्रदायिक कठिनाईयों का शिकार होते चले जा रहे हैं। हमारी राजनीति भी इसके प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकी है। राजनीतिज्ञ विभिन्न समुदायों की भावनाओं का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने साम्प्रदायिक सामंजस्य के पीछे अपने प्राण दे दिये। किन्तु फिर भी वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाये। इस समस्या को समाप्त करना कोई आसान काम नहीं है। हमारी राजनीति तथा वर्तमान ढांचे में कुछ त्रुटियां हैं, जो इस कार्य को दुष्कर बना रही हैं।

कई समाचार पत्र तथा पत्रिकायें साम्प्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा दे रही हैं। समाचार पत्रों में छपने वाले ऐसे लेखों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए, जो समाज के विभिन्न वर्गों को गलत जानकारी देकर गुमराह करने का प्रयत्न करते हैं।

माननीया सदस्या यदि इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक पेश करतीं तो अधिक बेहतर होता। इसमें राष्ट्रीय जीवन के सभी पहलुओं को लेते हुए यह देखना चाहिए था कि साम्प्रदायिक सामंजस्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यह केवल धर्म के आधार पर साम्प्रदायिक सद्भावना का प्रश्न नहीं है अपितु जाति तथा समुदाय के आधार पर भी सद्भावना का प्रश्न है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, जिन पर हमें विचार करना है। हमें इन सब मामलों की पूरी छान बीन करनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनमत तैयार करके इन बुराइयों को दूर किया जाए। उदाहरण के तौर पर, अन्तर्जातीय विवादों तथा एक धर्म से दूसरे धर्म में विवादों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। सरकार को ऐसे लोगों को, जो दूसरी जाति अथवा धर्म में विवाह करें कुछ प्रोत्साहन देने चाहिए। जहां तक विभिन्न संगठनों के नामकरण का सम्बन्ध है, इनको भी समाप्त किया जाना चाहिए। अभी एक माननीय सदस्य ने हिन्दू होटलों और मुसलमान होटलों का उल्लेख किया है। हमारे दक्षिण वाले तो इससे भी एक दर्जा आगे बढ़ गए हैं। वहां पर ब्राह्मण और गैर-ब्राह्मण होटल हैं और यह लोगों को इस बात का अहसास दिलाते हैं कि वह किस जाति के हैं। अतः इस प्रकार के रवैये को मिटाना होगा अन्यथा हम विधेयक के उद्देश्य की प्राप्ति में सफल नहीं हो सकते।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Mr. Speaker, Sir, the object of the Bill is appreciable but will it be carried into effect ? The law provides capital punishment for murderers but how many are acquitted for want of truthful witnesses ? Reform is needed as long as there is no change in the mind of public. Such bills are of little avail. Our Constitution provides for social justice but how many receive this social justice ? The sons of Rajas, Maharajas and Ministers are educated in public schools and they get high jobs whereas the children of the poor are deprived of these facilities. Therefore, the Government should change its policies.

It is, therefore, necessary to change the people. What can statute do if the culprit cannot be punished ?

Shri Shiv Nath Singh (Jhunjhunu) : I support the feeling behind the amending bill of Indian Penal Code. The danger to national integration is not today as reverse as has been shown in the Bill, but it does exist.

Neither Hindus nor Muslims as a community are communal. But communal people exist in both the communities.

Often it is said that Bengal is for Bengalis and Maharashtra for Maharashtrians. There should be a Bill to control these feelings. The views expressed by Shri Bibhuti Mishra in this regard deserves appreciation. The poison of provincialism is dangerous than that of religious one.

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : The amendment put forward by Shrimati Subhadra Joshi is commendable. Mere legislation is not enough. Prohibition could not be brought about by laws. When a book is banned, attention of every person is attracted towards it. Ours is a free society where everybody should have freedom to speak and write as one pleases. In the last elections, communalism was brought to fore. But the communal parties received severe set back in the elections.

Our country and its people have marched ahead. Today the reis no danger to Indian secularism and democracy. The people should be educated sufficiently so that social and political philosophies may succeed and the people may cost their values in a better way.

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : श्रीमती सुभद्रा जोशी के इस प्रशंसनीय विधेयक पर कई सदस्यों ने विचार व्यक्त किए हैं कि ऐसी संस्थाओं को, जो साम्प्रदायिक क्रियाकलापों अथवा विचारों को बढ़ावा देते हैं, विधि के दायरे में लाना है। यह सच है कि साम्प्रदायिक संस्थाओं ने विभिन्न स्थानों पर विधि और व्यवस्था की समस्याएं पैदा की हैं। परन्तु यह संतोष का विषय है कि ऐसी घटनाओं की संख्या घटती ही जा रही है। परन्तु खेद का विषय है कि अब भी साम्प्रदायिक प्रचार हो रहा है जो कि देश का अहित ही करता है।

श्री आर० वी बड़े (खरगोन) सदन में गणपूर्ति नहीं है।

श्री सभापति महोदय : घंटी बज रही है। अब गणपूर्ति हो गई है।

श्री एफ० एच० मोहसिन : आज हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना है।

जब साम्प्रदायिक भावनायें उभर आती हैं तब मानवता लुप्त हो जाती है। यदि किन्हीं व्यक्तियों को हताहत किया जाता है अथवा सम्पत्ति का विनाश किया जाता है तब हमें ऐसी क्षति को राष्ट्रीय क्षति के रूप में देखना चाहिए। अब समय आ गया है कि हम साम्प्रदायिक भावनाओं को परित्याग कर इस बात पर ध्यान दें कि देश समृद्ध बने।

सदस्य इस बात पर सहमत है कि साम्प्रदायिक संगठनों पर जो साम्प्रदायिक घृणा फैलाती हैं, रोक लगनी चाहिए।

श्री गोलवलकर जी का कथन है :

'यह उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति बिना समझे अपने बच्चों एवं घर में घुस आये। चोरों को समान अधिकार दें और अपनी सम्पत्ति उनके बीच बांट दें। यही बात हमारे देश में भी हुई है। आक्रमणकारियों को भी वही अधिकार हैं, जो घर के बच्चे को हैं।

शायद गोलवलकर जी सोचते हैं कि सभी गैर हिन्दू आक्रमणकारी हैं। इस प्रवृत्ति को रोका जाना आवश्यक है।

यदि कोई व्यक्ति कहता है कि कोई व्यक्ति देश का नागरिक नहीं है और उसका भारतीय-करण किया जाना चाहिए, तो यह प्रवृत्ति गलत है।

कौन से दल साम्प्रदायिक हैं और साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, यह बात महत्वपूर्ण हैं। आज जो संस्थायें साम्प्रदायिक हैं, कल वे अपना दृष्टिकोण बदल कर राष्ट्रीय बन सकती हैं। इसलिए संस्थाओं का नामोल्लेख करना उचित नहीं है।

हमने 1970 में इस सम्बन्ध में संशोधन विधेयक रखा था। सभी विरोधी दलों ने इसका विरोध किया था।

श्री समर गुह : हमें भय था कि उक्त विधेयक के अन्तर्गत राजनीतिक दलों को न शामिल कर लिया जाये।

श्री एफ० एच० मोहसिन : उस विधेयक के सम्बन्ध में राजनीतिक दलों में भिन्न-भिन्न भय थे। गृह राज्य मन्त्री के इस आश्वासन के बावजूद कि विधेयक का उद्देश्य श्रमिक संघों को कुचलना नहीं है, विरोध जारी रहा। विधेयक की धारायें इसके समान ही थीं। इससे सरकार को साम्प्रदायिक संस्थाओं के आपत्तिजनक क्रियाकलापों का सामना करने का अवसर मिलता।

हमारी विचारधारा आज भी वही है। हम इस विधेयक के मूल सिद्धान्तों से सहमत हैं।

मुझे विश्वास है कि हम सदन की भावनाओं के उपयुक्त उचित विधेयक रखेंगे और साम्प्रदायिक संस्थाओं को उचित दंड देंगे।

इन भावनाओं के साथ मैं श्रीमती सुभद्रा जोशी को अपना विधेयक वापस लेने को कहता हूं।

Shrimati Subhadra Joshi (Chandni Chowk) : There has been some misunderstanding about the Bill. As I did not mention the names of the organisations against which the Bill is intended, Shri Joshi probably took it that it was intended against Jana Sangh.

Shri R. V. Vade : There is no quorum in the House.

Mr. Chairman : The quorum bell is ringing. Now there is quorum.

Shrimati Subhadra Joshi : The quotation cited by me related to R.S.S. I am glad that they have accepted their link with R.S.S. It has been stated that castes should be included in the Bill. That is already there. As to the suggestion that there is necessity to change the personnel, there is no necessity for the legislation.

Guru Golwalker is a great admirer of Hitler as is apparent from his book "Our Nation lead defined".

Shri Jagannath Rao Joshi said, "Is it communal to organise Hindus ?" Replying to a similar question Sardar Patel said :

"Organising the Hindus and keeping them is one thing but going for revenge for its sufferings on innocent and helpless men, woman and children is quite another thing."

The following were the views of Shri Jawahar Lal Nehru :

"......The approach of R.S.S. as well as their activities have been definitely communal. What sometimes their leaders say is not borne out by what is done and there is great disparity between outward precept and real practice."

Does not the Home Minister know that there is an organization which teaches to play with knife and stick ? I am grateful to him that he has appreciated this approach. I hope that very soon a legislation will be enacted in the matter. In view of the assurance given by the Minister, I am ready to withdraw the Bill.

I beg to move :

"That leave be granted to withdraw the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

श्रीमती सुभद्रा जोशी : मैं विधेयक को वापस लेती हूं।

FILM INDUSTRY WORKERS BILL

श्री एस० सी० सामन्त (तमलुक) मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है एवं डाक्टर ने मुझे विश्राम की सलाह दी है। कृपया श्री राम सहाय पांडे को मेरी ओर से विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री राम सहाय पांडे (राजनन्द गांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि चलचित्र उद्योग में वेतनों के निर्धारण तथा कर्मकारों की कार्य दशा में सुधार की व्यवस्था करने सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाये।'

There are about 25,000 cinema houses and two studios in the country. The cinema goess spend about 40-50 crores of rupees every day in cash. This amount goes to the Producer, Director and Heroes and Heroines.

Shri R. V. Bade (Khargone) **:** There is no quorum in the house,

Mr. Chairman : Now there is quorum.

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : The Hon. Member has said that every Hero or Heroine has lakhs of rupees. I know Heroes like Dalip Kumar who is under debit.

Shri R. S. Pandey : I have nothing to say on exceptions. In the Film Industry, on the one hand there are Lakhs of starving people, on whom no Industrial Act is applicable. They have no off day, gratuity, provident fund etc. The entire recruiting is carried on through contractors. There is no wage board for them nor any tribunal to settle their disputes. An inquiry committee was appointed in 1949 which looked into every other matter except workers and labour.

I suggest that a commission may be appointed to find out the conditions of the workers in the industry and also to find out wherefrom the money invested in film industry comes. The contract rate of Rajesh Khanna is ten Lakh, contract for one Lakh and nine Lakh black.

Mr. Chairman : The person named is not in the House.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : If we do not name the persons who are not here, the business of the House connot be transacted. We have to criticise the Government officials.

Mr. Chairman : But we do not mention their names.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The leader of R.S.S. Shri Golwalker is not in the House. He is criticized....

Mr. Chairman : His book was read.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Apart from the book, much was said about him.

Mr. Chairman : There is difference in these matters. It is not appropriate to charge a person who is not here.

Shri R. S. Pandey : I have mentioned only the market rate.

Mr. Chairman : Then we don't object to it.

Shri R. S. Pandey : Thus against a contract of 1 Lakh, 9 Lakh black money is taken in which Financiers, Distributors, Producers all are involved. Because the large part is of black money, they say that they do not have money.

The most disquieting feature of the film industry is the circulation of black money. Every body including distributor, producer, director, financier and actors receive huge money under the table. But the general condition of the one million workers of the film industry is very miserable.

Government should appoint an enquiry committee to go into the service conditions of the workers of this industry. The committee should also investigate the extent of black money in circulation in this industry. Keeping in view all these things it will be better if this Bill is referred to a select committee.

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि चलचित्र उद्योग में कर्मकारों की मजदूरी के नियतन के लिए तथा उनके कार्य की दशा में सुधार के लिए व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच बिहार) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि चलचित्र उद्योग में कर्मकारों की मजदूरी के नियतन के लिए तथा उनके कार्य की दशा में सुधार के लिए व्यवस्था करने वाले विधेयक को निम्नलिखित 15 सदस्यों की प्रवर समिति को सौंप दिया जाए :

(1) श्रीमती मुकुल बनर्जी

(2) श्री ज्योतिर्मय बसु

(3) श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा

(4) श्री एच० आर० गोखले

(5) श्रा समर गुह

(6) श्री इन्द्रजीत गुप्त

(7) श्री निहार लास्कर

(8) श्री वी० मायावन

(9) श्री श्यामसुन्दर महापात्र

(10) श्री प्रियरंजन दास मुंशी

(11) श्री राम सहाय पांडे

(12) श्री एस० सी० सामन्त

(13) श्री अर्जुन सेठी

(14) श्री नवल किशोर शर्मा

(15) श्री बी० के० दासचौधरी

तथा समिति को निदेश दिया जाये कि अगले सप्ताह के प्रथम दिन तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दें ।"

श्री सुबोध हसंदा (मिदनापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस विधेयक पर 14 जुलाई, 1972 तक मत व्यक्त करने हेतु इसे परिचालित किया जाये ।"

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : हमारा चल चित्र उद्योग शायद विश्व का सबसे बड़ा चलचित्र उद्योग है। इसमें लगभग दस लाख कर्मचारी काम करते हैं। यह उद्योग कितना समृद्ध है इसका पता इस बात से चलता है कि अभिनेताओं को बड़ी मात्रा में काला धन मिलता है, जिसकी चर्चा सदन में भी होती रहती है। परन्तु इस उद्योग में कर्मकारों की स्थिति बहुत चिन्ताजनक है। चलचित्रों के निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण विभागों में कर्मकारों की स्थिति बहुत दयनीय है। यदि सरकार को सामाजिक न्याय के प्रति निष्ठा है तो इस विधेयक के सिद्धान्तों को स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मकारों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार को स्वयं एक विधान प्रस्तुत करना चाहिए।

छोटे-छोटे संस्थानों में बहुत अधिक संख्या में कर्मकार कार्य करते हैं इसलिए इनकी दशा खराब है और इन संस्थानों में अभी भी मालिकों और कर्मचारियों के बीच सामंत प्रथा जैसे संबंध है जिसके परिणामस्वरूप नियोजकों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए इन कर्मकारों का सफल संगठन बनाना कठिन हो जाता है फिर भी अनेक केन्द्रों में इन कर्मकारों ने अपने संघ बना लिए हैं और नियोजकों के साथ इन्हें कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे कई उदाहरण प्रकाश में आए हैं जब कि नियोजक इस बारे में बहुत ही घृणित उपाय अपनाते हैं। पश्चिम बंगाल में स्वयं सरकार ने चलचित्र उद्योग में कार्य करने वाले कर्मकारों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करने हेतु एक समिति गठित की है जिसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । परन्तु चलचित्र उद्योग के नियोजकों ने प्रतिवेदन के विरोध में उच्च न्यायलय से निषेधाज्ञा प्राप्त करके उच्चतम प्राधिकार द्वारा किए गए समझौतों के लाभों से कर्मकारों को वंचित कर दिया है।

छोटे-छोटे सिनेमा गृहों के नियोजक लाभप्रद स्थिति में हैं क्योंकि वहां कर्मकारों की संख्या बहुत कम होती है और वे संगठित भी नहीं हो सकते। क्योंकि जगह-जगह बिखरे होते हैं।

इस उद्योग के निर्माण और वितरण के क्षेत्रों में भी कर्मकार कम संख्या में होने के कारण नियोजक के विरुद्ध संगठन बनाने में कठिनाई अनुभव करते हैं। कलकत्ता, बम्बई जैसे बड़े-बड़े शहरों में चलचित्रों का बहुत बड़ी संख्या में निर्माण होता है फिर भी कर्मकारों की सेवा की कोई सुरक्षा नहीं है। वितरण और प्रदर्शन विभागों की भी यही स्थिति है।

अतः चलचित्र उद्योग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक विधान बनाने की आवश्यकता है क्योंकि कई मामलों में कर्मकार इतनी कम संख्या में होते हैं कि वे साधारण श्रमिक सम्बन्धों के क्षेत्राधिकार में ही नहीं आते। इन कर्मकारों की सुरक्षा करनी चाहिए क्योंकि ये नियोजकों की दया पर ही निर्भर हैं।

चलचित्र उद्योग की स्थिति तो जानी मानी है। यह उद्योग बहुत लाभ कमाता है। निर्माण वितरण और प्रदर्शन क्षेत्रों का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। अनेक मामलों में नियोजक तीनों क्षेत्रों में धन लगाते हैं और वहाँ से अर्जित लाभ पर अपना एकाधिकार करने का प्रयत्न करते हैं। अतः चलचित्र उद्योग के इन तीनों क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मकारों को विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिए। इसके लिये यहां श्रमिक विधान लागू किया जाना चाहिए। सरकार को यह आश्वासन देना चाहिए कि वह इस मामले पर पूरा ध्यान दे रही है और उसे इस विधेयक के सिद्धान्तों को स्वीकार करना चाहिए।

***श्री सुबोध हसंदा (मिदनापुर)** : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह एक महत्त्वपूर्ण विधेयक है। हमारे देश में लगभग 25,000 सिनेमा घर हैं और इस उद्योग में लगभग 10 लाख कर्मचारी कार्य करते हैं। किन्तु उनकी सेवा की शर्तें अत्यन्त निराशाजनक हैं। उन्हें बहुत कम मजूरी मिलती है। अधिकांश कर्मचारियों को ठेकेदारों के द्वारा नियुक्त किया जाता है और इनकी सेवा की कोई सुरक्षा नहीं है। चलचित्र उद्योग में कार्य करने वाले इन 10 लाख कर्मकारों की सेवा की सुरक्षा के लिए हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि अन्य उद्योगों अथवा कारखानों के कर्मचारियों को न्यूनतम मजूरी विधेयक के माध्यम से कुछ सुरक्षा प्राप्त है। परन्तु इन कर्मकारों को किसी प्रकार की सांविधिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। इनके लिए न्यूनतम मजूरी अथवा सेवा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोई विधान नहीं है। उन्हें सदा छटनी अथवा काम से निकाले जाने का भय लगा रहता है। यदि काम करते समय कोई कर्मकार दुर्घटनाग्रस्त हो जाये तो उसके डाक्टरी उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि वह विकलांग हो जाये अथवा मर जाये तो ऐसी स्थिति में उसके लिए मुआवजे के भुगतान की भी कोई व्यवस्था नहीं है। अतः हमें इन कर्मचारियों के कल्याण के लिए कुछ करने के लिए गम्भीरता से प्रयत्न करना चाहिए।

इस दिशा में यह विधेयक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। हमें इन कर्मचारियों के जीवन यापन और सेवा शर्तों में सुधार करने के लिए गम्भीरता से विचार करना चाहिए। इन कर्मचारियों के वेतन, अवकाश तथा अन्य सुविधाओं की जांच करनी चाहिये। इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाना चाहिए।

---

*बंगाली भाषा में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

***श्री मनोरंजन हाजरा** (आरामबाग) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । मैं समझता हूं कि यह विधेयक उपयुक्त समय पर लाया गया है । सरकार को यह विधेयक स्वीकार करना चाहिए और इसके प्रावधानों को शीघ्र लागू करना चाहिए । आज भारतीय चलचित्र उद्योग से लगभग 10 लाख व्यक्ति अपनी आजीविका चला रहे हैं । यद्यपि इन कर्मचारियों के प्रयास से ही यह उद्योग सुचारु रूप से चल रहा है फिर भी इन कर्मचारियों की बड़ी दयनीय दशा है । चलचित्र उद्योग में लगभग 50 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश है जो भारतीय पटसन उद्योग के पूंजी निवेश से कहीं अधिक है । परन्तु इस उद्योग में समन्वय के अभाव एवं कुप्रबन्ध के कारण इस उद्योग द्वारा कमाई जाने वाली विदेशी मुद्रा से हमें वंचित रहना पड़ रहा है । चलचित्र निर्माताओं को एक चलचित्र का निर्माण करने में बहुत धनराशि लगानी पड़ती है ।

चलचित्र निर्माण उद्योग के कर्मचारियों को कुछ लाभ नहीं मिलते । उनकी दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है । निर्माता भी जिन्हें फिल्में बनाने में बहुत धन खर्च करना पड़ता है, वितरकों एवं सिनेमा मालिकों की दया पर निर्भर रहते हैं । जब कोई चित्र प्रदर्शित होता है तो वितरक और सिनेमा मालिक भारी रकमें मांगते हैं । यदि कोई फिल्म विफल हो जाती है तो निर्माता को कोई लाभ नहीं मिलता यद्यपि वितरक और सिनेमा मालिक अपना हिस्सा खींच लेते हैं । इसी कारण कर्मकारों की हालत में सुधार नहीं होता । मेरा इस क्षेत्र से निकट का सम्बन्ध रहा है । सरकार को इस उद्योग के कर्मकारों को न्यूनतम वेतन दिलाने के लिए कानून बनाना चाहिए । सरकार बन्द सिनेमा गृहों को खोलने की भी व्यवस्था करें । मैं इस विधेयक का चलचित्र उद्योग में सुधार लाने के लिए स्वागत करता हूं ।

श्री बी० के० दासचौधरी : मैंने इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का संशोधन दिया है ।

इस विधेयक के प्रस्ताव ने कर्मचारियों की संख्या 10 लाख बताई है । हमारे देश में लगभग 25,000 सिनेमा गृह हैं और उन्हीं में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या बहुत बड़ी होगी । इसके अतिरिक्त निर्माताओं, वितरकों आदि के अन्तर्गत काम करने वाले लोगों की भी बड़ी संख्या है ।

यह विधेयक बहुत व्यापक है । इसमें 29 खण्ड हैं । इस उद्योग में 500 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी लगी है । हो सकता है कि अंशकालिक कर्मकारों को मिलाकर इस उद्योग में लगभग 20 लाख व्यक्ति कार्य करते हों । इसमें विभिन्न वर्गों के कर्मचारी हैं । उन सभी वर्गों की स्थिति की जानकारी हम यहां बैठकर नहीं प्राप्त कर सकते ।

सभी वर्गों के कर्मचारियों की स्थिति जानना अत्यन्त आवश्यक है । इसलिए इस विधेयक को पूर्ण विचार के लिए प्रवर समिति को सौंपना आवश्यक है । यह उद्योग महत्वपूर्ण है और इससे देश को, सभी राज्यों को करोड़ों रुपये की आय होती है ।

इस उद्योग में कोई वेतनमान नहीं हैं । कर्मचारियों के असंतोष के कारण हड़तालें होती हैं जिससे राज्य को तथा कर्मचारियों को हानि होती है । मैं सदन से तथा सरकार से अपील करता हूं कि इस विदेशी मुद्रा कमाने वाले उद्योग का समग्र रूप से अध्ययन किया जाए । इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को निम्न सदस्यों की एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाये ।

---

*बंगाली भाषा में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

सभापति महोदय : यह प्रस्ताव आप पहले ही कर चुके हैं।

श्री बी० के० दासचौधरी : आपकी अनुमति से उसमें एक संशोधन करना चाहता हूं। मैं इसमें श्री आर० एस० पांडे का नाम जोड़ना चाहता हूं।

श्री राम सहाय पांडे : स्वीकार है।

सभापति महोदय : आप यथासमय इसके लिए आग्रह करें।

श्री जी० एम० गौडर (नीलगिरि) : श्रीमान जी····

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार 17 अप्रैल, 1972/28 चैत्र, 1894 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, the April 17, 1972, 28/Chaitra, 1894 (Saka)

(Raja) Ram Kumar Press, Lko. 10-8-72/490.